राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ बैठक, बृहस्पतवार, दिनांक--२६ सितम्बर, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में ८-३४ बजे प्रातः प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १३१

पिछले वर्ष और इस वर्ष विभिन्न समाचार पत्रों को दिये शासकीय विज्ञापन

क्र श्री जसवन्तसिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १६५४-५५ में और सन् १६५५-५६ के १ अप्रेल से ३१ अगस्त, १६५५ तक किन किन अखबारों को सरकारी विज्ञापन दिये गये ?

(ख) किन किन अखबारों को विज्ञापन छापने के कितने कितने रुपये दिये गये ।

(ग) यह विज्ञापन किन किन आधारों पर अखबारों को दिये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) १६५४-५५ के साल में और ५५-५६ के अगस्त तक निम्न अखबारों को विज्ञापन दिए गए:—

राष्ट्रदूत, लोकवाणी, जयभूमि, जागृति, ज्वाला, कांग्रेस सन्देश, अमरज्योति, राजस्थान हैराल्ड, नवजीवन संदेश, नवयुग, अलवर पत्रिका, स्वतन्त्र भारत, नवयुग सन्देश, प्रजाबन्धु, नवयुग सन्देश, प्रजासेवक, लोकराज, लोकजीवन, ललकार, प्रेरणा, सेनानी, गणराज्य, लोकजीवन, वर्तमान लोकमत, नवजीवन, अरावली, लोकजीवन, पन्द्रह अगस्त, किसान सन्देश, राजस्थान, जनवाणी ।

Page No.2

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ख) निम्न पत्रों को जितने रुपये का विज्ञापन दिया गया वह उनके नाम के आगे बताया गया है :

अखबार का नाम	रु०	आ०	पा०
राष्ट्रदूत	२६८३८	८	०
लोकवाणी	१६८८९	८	०
नवयुग	७००	०	०
जयभूमि	२३६	०	०
अमर ज्योति	९,३२६	०	०
कांग्रेस सन्देश	६७४४	०	०
राजस्थान हैराल्ड	६२२	०	०
राजस्थान समाचार	२००	०	०
जागती ज्योति	६७	८	०
स्वतंत्र भारत	२४५२	१०	०
नवयुग सन्देश	३९०१	०	०
अलवर पत्रिका	४२७	०	०
नवयुग सन्देश	२९५	८	०
प्रजाबन्धु	८०	०	०
नवजीवन	११७२६	०	०
अरावली	५८५३	०	०
लोकजीवन	४३५	०	०
पन्द्रह अगस्त	४००	०	०
राजस्थान	४,५८२	०	०
किसान सन्देश	३,९२२	८	०
जनवाणी	१५४७	०	०
सेनानी	४३०१	०	०
गणराज्य	२४२२	०	०
लोकजीवन	९३७	०	०
प्रजा सेवक	११११३	०	०
ज्वाला	७०२४	४	०
लोकजीवन	२८६३	०	०
लोकराज्य	२२५२	८	०
ललकार	१३८९	०	०
प्रेरणा	१५०	०	०

Page No.3

[श्री रामकिशोर व्यास]

सन् ५५ से ५६ अगस्त तक निम्न निम्न अखबारों को उनके आगे लिखे रुपये के विज्ञापन दिये गये:—

अखबारों के नाम	रु०	आ०	पा०
राष्ट्रदूत	३६७०	८	०
लोकवाणी	४६६६	०	०
नवयुग	१५४६७	०	०
जयभूमि	४८	०	०
अमरज्योति	७०७२	८	०
कांग्रेस सन्देश	२१४७	०	०
राजस्थान हैराल्ड	३१८	०	०
स्वतंत्र भारत	५१५	८	०
नवयुग सन्देश	१६८४	८	०
अलवर पत्रिका	१७४	८	०
नवयुग सन्देश	३२१	०	०
नवजीवन	६८५६	४	०
अरावली	२८८४	१४	०
लोकजीवन	४३०	०	०
पन्द्रह अगस्त	८१०	०	०
राजस्थान	४०८७	०	०
किसान सन्देश	५०८	८	०
जनवाणी	८८२	८	०
सेनानी	२०३६	८	०
गणराज्य	१३२	०	०
लोकजीवन	१२३४	८	०
वर्तमान	६०	०	०
लोकमत	३१०	०	०
प्रजा सेवक	४५०६	१२	०
ज्वाला	३७५०	८	०
लोकजीवन	४८६	०	०
लोकराज्य	४२६	०	०
ललकार	८६८	८	०

Page No.4

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ग) सरकारी विज्ञापन देना निर्धारित करने के लिये अनेक बातों को ध्यान में रखा जाता है। इनमें पत्रों की प्रतिष्ठा, ग्राहक संख्या, पाठकों की श्रेणी, पटनीय सामग्री प्रस्तुत करने का स्तर, पत्रकारिता व आदर्श के प्रति समाचार-पत्र द्वारा प्रदर्शित भाव आदि हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह— जैसा कि अभी माननीय मंत्री द्वारा सुनने में आया है कि पिछले साल राष्ट्रदूत को करीब २६ हजार रुपये के विज्ञापन दिये गये जब कि इस साल केवल ३ हजार रुपये तक के देने का क्या कारण है ? क्या उस पत्र का सक्युलेशन कम हो गया या उसका स्टाफ निकम्मा हो गया ? क्या कारण है पर्सेन्टेज इतना कम कर देने का ?

श्री रामकिशोर व्यास— इस पत्र को विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह— क्या कारण थे जिसके कारण बन्द कर दिया विज्ञापन देना ?

श्री रामकिशोर व्यास— इसके लिये अलग से सवाल पूछिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह— माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ क्या वह मूल प्रश्न से रिलेवेन्ट नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास— आपका प्रश्न था कि किन किन पत्रों को विज्ञापन दिया गया और कितने कितने रुपयों का दिया गया, मैंने अपने जवाब में बता दिया।

कु० श्री जसवन्तसिंह— आपने अपने जवाब में अभी विज्ञापन देने के कुछ आधार बताये। मुझे यह पूछना है कि इस पत्र में किस आधार की कमी हो गई जिसके कारण आपने विज्ञापन देना बन्द कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास— आप किसी इन्डिविजुअल पेपर के लिये पूछना चाहते हैं तो इसके लिये अलग से सवाल पूछिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह— माननीय मंत्री कृपा करके क्या यह बतलायेंगे कि सरकारी विज्ञापन जिन पत्रों को दिया जाता है उनमें पब्लिक एडवर्टाइज़मेन्ट की क्या रेट है और गवर्नमेन्ट किस रेट से एडवर्टाईज़मेन्ट देती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—राष्ट्रदूत, लोकवाणी और नवयुग तीनों की एक ही रेट्स हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह— मेरा प्रश्न यह है कि उन पत्रों में पब्लिक एडवर्टाइज़मेन्ट की क्या रेट है, और गवर्नमेन्ट किस रेट से देती है, ?

श्री रामकिशोर व्यास— जहां तक मुझे याद है, तीन और सात रुपये के बीच होगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह— पब्लिक रेट क्या है और गवर्नमेन्ट किस रेट से विज्ञापन देती है, ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग प्रश्न है।

कु० श्री जसवन्तसिंह— कोई रिलेवेन्ट सवाल भी हो तो भी वह अलग सवाल हो गया। माननीय अध्यक्ष, मैं इस बारे में आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष— Other remedies are also open.

कु० श्री जसवन्तसिंह— I have sufficient arms in my armoury.

श्री अध्यक्ष— Don't exhaust all just now.

कु० श्री जसवन्तसिंह—दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह सच है कि ऐसे जो अखबार जिनको कि चार चार हजार और तीन तीन हजार महीने के विज्ञापन दिये जा रहे हैं उनका प्रिन्टेड मैटीरियल और टाइप का होता है तथा विज्ञापन और टाइप का होता है ताकि ऐसा मैटीरियल बहुत ज्यादा पेजों में आ सके और सरकार से बहुत अधिक पैसा मिल सके, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सब को एक सा ही दिया जाता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि नोर्मल टाइप है उसमें न छापकर जान बूझ कर बड़े टाइप में सरकार के विज्ञापन छापे जाते हैं ताकि स्पेस ज्यादा बढ़ जावे और सरकार से ज्यादा पैसा वसूल हो सके ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेरी समझ में नहीं आता। हर सवाल में कहा जाता है कि उनकी जानकारी में नहीं है। आखिर उनकी जानकारी में है क्या ? फिर भी मैं यह पूछना चाहता हूँ ... ...

श्री अध्यक्ष—आप जानते हैं तो फिर क्या पूछते हैं ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह बात सही है कि गवर्नमेन्ट द्वारा विज्ञापन का ऑर्डर नहीं दिया गया और अखबारों ने फिर भी विज्ञापन छाप दिया और बाद में कहने लगे कि हमने यह छापा है और यह हमारा बिल है, इसका पेमेन्ट किया जाय और सरकार ने पेमेन्ट कर भी दिया ?

Page No.6

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग प्रश्न है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, अब तो लिमिट पहुँच गई है कि अगर हमारी सरकार और हमारी सरकार के ये मन्त्री महोदय इसी तरह से बोलेंगे कि हमारी जानकारी में नहीं है, अलग प्रश्न है और इसी तरह से प्रश्नों को टालने का प्रयत्न करेंगे तो फिर इनका परमात्मा ही मालिक है।

श्री रामकिशोर व्यास—But how it is relevant, I don't know ?

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि जिस आधार पर सन् ५४-५५ में राष्ट्रदूत समाचार पत्र प्रगतिशील काम कर रहा था वह इस समय उस आधार पर काम नहीं कर रहा है ?

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार ने ......

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि सन् ५४-५५ में जिस आधार पर राष्ट्रदूत समाचार प्रकाशित कर रहा था उसी आधार पर इस वर्ष काम नहीं कर रहा है ? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। उसके स्तर में अन्तर आया है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं समझा नहीं ? मैंने सुना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इसके स्तर में अन्तर आया है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—पत्रकारिता का स्तर राष्ट्रदूत का जो पहले था उसमें अन्तर है।

श्री भैरोंसिंह—वह अन्तर किस प्रकार का है ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—वह अन्तर एडिटोरियल में है या समाचार छापने में है ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सही बात है कि ....

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

(अल्प विराम के अनन्तर)

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सही बात है कि अभी हाल में, माननीय अध्यक्ष, शिक्षा विभाग द्वारा एक एडवर्टाइज़मेन्ट एक दफा एक या दो अखबारों में छपवाने के लिए भेजा गया था उसको अपने जितने कृपापात्र अखबार हैं उनको सबको बहुतायत से कई दफा दिया गया ?

Page No.7

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने निवेदन किया कि सरकार की जानकारी में यह बात आ गई है। पूरी जानकारी करके बताया जा सकेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी अजीब बात है। जो बात, जो सवाल पूछा जावे उसका एक ही जवाब कि या तो जानकारी नहीं या अलग से सवाल पूछिये।

श्री किशनलाल शाह—ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर, "यह अलग सवाल है, रिलेवेन्ट या सप्लीमेन्टरी नहीं हैं, इसका निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष का है या मन्त्रीजी का ?

श्री कंवरलाल जेलिया— क्या राजस्थान सरकार विज्ञापन देने .....

कु० श्री जसवन्तसिंह—I want a ruling.

श्री किशनलाल शाह— I want a ruling from the Chair.

श्री सभापति— There is no point for any ruling.

कु० श्री जसवन्तसिंह— तो यह बार बार इवेड कर देते हैं कि, "अलग प्रश्न है, अलग प्रश्न है, अलग सवाल पूछिये, अलग सवाल पूछिये, जानकारी नहीं है जानकारी नहीं है" तो इस पर आप अपना मत दीजिये कि आया यह रिलेवेन्ट है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष— ऑर्डर ! ऑर्डर !!

इसमें कोई रूलिंग की बात नहीं है। प्रश्न जैसा जनरल तौर का है उस तौर से अगर सवाल पूछा जावे तो मैं समझता हूँ कि मन्त्री मण्डल को बाध्य होना पड़ेगा उत्तर देने के लिए।

(विरोधी पक्ष की ओर से "हियर हियर")

इसमें अगर पर्टिक्युलर अखबार के लिए पूछा जाता है तो इसमें इसका कोई संकेत नहीं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—We admit that.

("हियर-हियर" सरकारी पक्ष की ओर से)

श्री अध्यक्ष—(जारी रखते हुए)—यदि इसके विपरीत भी रिलेवेन्ट प्रश्न का उत्तर न दें सकते हों तो हाफ एन अवर डिस्कशन का रास्ता खुला है।

श्री रामकिशोर व्यास— आपने जितना पूछा उनके सप्लीमेन्टरी का जवाब देने को तैयार हूँ।

श्री कु० जसवन्तसिंह— I am afraid, the questions were inconvenient. गत वर्ष के कार्य में और इस वर्ष के कार्य में राष्ट्रदूत के स्तर में क्या अन्तर रहा और जो अन्तर रहा वह अन्तर क्या है, यह बतावें आप।

श्री अध्यक्ष—It is an abstract affair.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—It is a matter of.........

कु० श्री जसवन्तसिंह— जो एडवर्टाइज़मेन्ट दिया जाता है उनको पहले इश्यू करते हैं अखबार को; तब वे छापते हैं या क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास— हां, पहले इश्यू करते हैं प्रायः।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही बात है कि ऐसे इश्यू न किये हुए भी कई एडवर्टाईज़मेन्ट छप गये हैं और पेमेन्ट हो गया है।

श्री रामकिशोर व्यास— अगर आप कोई ऐसा वाक्या बतावेंगे तो जांच की जावेगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह— बराबर बताएंगे।

श्री भैरोंसिंह— क्या विज्ञापन देने के लिए यह आवश्यक है कि जिसका सर्कुलेशन अधिक हो, उसको सबसे ज्यादा विज्ञापन दिया जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह भी एक कन्सीडरेशन है, पर इसके साथ और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें शुरू में ही पढ़ कर मैंने आपको सुनाया है ?

श्री भरोंसिंह—क्या यह सबसे-ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर— It is one of the reasons.

कु० श्री जसवन्तसिंह—जहां अखबारों के आठ पृष्ट हैं वहां उनके ६ पृष्ट विज्ञापन के ही हों और बाकी में दूसरा मैटीरियल है.........

श्री अध्यक्ष— Now a general reply has come and the criterion has been stated before the House and the Members can table their supplementaries on particular topics and seek information.

Page No.9

कु० श्री जसवन्तसिंह— इससे तो हाफ एन अवर डिस्कशन के विना काम चल नहीं सकेगा क्योंकि मन्त्रीजी किसी का भी जवाब देने को तैयार नहीं हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया— क्या विज्ञापन देने के लिए ....

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Ten minutes have been wasted.

कु० श्री जसवन्तसिंह— Not wasted, Sir.

श्री अध्यक्ष— But no replies have come.

(हियर हियर)

श्री रामकिशोर व्यास— The questions were like that.

श्री अध्यक्ष—When the questions were like that, how the replies could have come,

(हियर हियर)

श्री कंवरलाल जेलिया— इसी सवाल से सम्बन्धित प्रश्न है क्या ?

श्री अध्यक्ष —order ! order !! shri Chand Mal Mehta.

प्रश्न संख्या १३२

जनवरी, १९५४ के पश्चात् ओफिशियेटिंग इन्सपेक्टर बनाये गये पुलिस स : इन्सपेक्टर्स

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, सन् १९५४ के बाद जयपुर रेन्ज में किन २ एस. आईज. को प्रोमोशन दिया जाकर आफिशियेटिंग सर्किल इन्सपेक्टर बनाया गया ?

(ख) उक्त व्यक्तियों की योग्यता व लेन्थ ऑफ सर्विस कितनी है और सीनियरिटी में उनका कौनसा स्थान है ?

(ग) उक्त व्यक्तियों को किस आधार पर आफिशियेटिंग सर्किल इन्सपेक्टर बनाया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) १ जनवरी १९५४, के बाद जयपुर रेन्ज में निम्नलिखित व्यक्ति अफिशियेटिंग सर्किल इन्सपेक्टर बनाये गये :

(१) श्री जीवराजसिंह

(२) श्री किशनलाल सैनी

(३) श्री डालचन्द

(४) श्री जगन्नाथ प्रासाद

(ख) ये निम्नलिखित हैं :

	योग्यता	लेन्थ ऑफ सर्विस	सीनियरिटी में स्थान
(१) श्री जीवराज सिंह	मैट्रिक, ट्रेन्ड	९ वर्ष	६४ जयपुर रेन्ज
(२) श्री किशनलाल सैनी	इन्टर, ट्रेन्ड	साढ़े सात वर्ष	१० ए जयपुर रेन्ज
(३) श्री डालचन्द	मैट्रिक	७½ वर्ष	१७ ए जयपुर रेन्ज
(४) श्री जगन्नाथप्रसाद	मिडिल	२३½ वर्ष	७५ कोटा

(ग) डी. आई. जी. पुलिस की सिफारिशों पर बनाई गई एप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर यह व्यक्ति सर्किल इन्सपेक्टर बनाये गये।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो लिस्ट दी है वह बिलकुल अपूर्ण है और इसमें कई आदमी छोड़ दिये गये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास— वह मेरे ख्याल से अपूर्ण नहीं है।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि जो प्रोमोशन दिये गये हैं वे सीनियोरिटी के आधार पर नहीं हैं?

श्री रामकिशोर व्यास— सीनियोरिटी कम मैरिट के आधार पर हैं।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि एप्रूव्ड लिस्ट बनी है वह सरकार के इशारे पर डी. आई. जी ने बनाई है?

श्री रामकिशोर व्यास— नहीं, यह तो मुझे मालूम ही कल हुई है।

Page No.11

श्री चांदलल मेहता— क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे सरकार यह जान सके कि इस तरह की एप्रूव्ड लिस्ट बनाकर लोगों के अधिकारों पर आघात किया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास— ऐसी बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों को सर्किल इन्सपेक्टर बनाया गया है उनके मुकाबले में ऐसे कितने आदमी हैं जो उनसे कई गुना सीनियर हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास— मैंने आपसे कहा है कि सीनियर हो सकते हैं, लेकिन उनको सीनियोरिटी कम मेरिट्स के बेसिस पर लगाया है।

श्री चांदमल मेहता— किस अधिकारी ने बनाया है ?

श्री रामकिशोर व्यास— आई. जी. पी. ने बनाया है।

श्री चांदमल मेहता—जो सीनियोरिटी लिस्ट बनाई है, प्रोमोशन देते वक्त, उसे इग्नोर किया जा सकता है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास— आप फरमायें दुबारा, तकलीफ तो आपको होगी।

श्री चांदमल मेहता— जो प्रोमोशन दिये जाते हैं, उसमें सीनियोरिटी के आधार पर कि जिसका जैसा स्थान है उसका कोई खयाल नहीं रखते हुए दूसरे आधार के ऊपर प्रमोशन दिये जाते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष— सीनियोरिटी कम मेरिट्स बतलाया, सीनियोरिटी एन्ड मेरिट्स ऑलसो।

श्री चांदमल मेहता— जिन व्यक्तियों को प्रोमोशन दिया गया है उनके मेरिट्स के बारे में क्या उनकी सर्विस बुक में कोई इन्ट्रीज़ दर्ज हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—ज़रूर होगा।

श्री चांदमल मेहता—हैं या नहीं, मैं निश्चित उत्तर चाहता हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास— अलग से पूछें तो कहा जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जहां इस तरह के सवालात होते हैं, जो मूल प्रश्न से संबंधित होते हैं उनके लिए माननीय मंत्री महोदय को तैयार होकर आना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास—जी हां, मैं तैयार हूँ। किसी के मेरिट पर क्या लिखा है, इस प्रश्न को नहीं बता सकता हूँ।

श्री चांदमल मेहता— क्या माननीय मंत्री महोदय, जो उनके रेकॉर्ड में दर्ज है, उसकी कॉपी सदन की मेज पर रखने को तैयार हैं।

श्री रामकिशोर व्यास— जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता— नहीं रखने का क्या कारण है ? जब कि दर्ज किया हुआ है तो जाहिर करने में क्या एतराज है ?

श्री रामकिशोर व्यास— हर एक ऑफिसर का पर्सनल रेकॉर्ड कॉन्फीडेन्शियल रहता है।

श्री रघुराजसिंह— क्या सर्किल इन्सपेक्टर्स का सिलेक्शन, सिलेक्शन बेसिस पर माना जाता है या प्रोमोशन बेसिस पर ?

श्री रामकिशोर व्यास— प्रोमोशन बेसिस पर।

श्री रघुराजसिंह— प्रोमोशन बेसिस पर सिलेक्शन होता है, तो फिर सीनियोरिटी का सवाल क्यों नहीं आता है ?

श्री रामकिशोर व्यास— जी, आता है। मैं नहीं कहता कि नहीं आता।

श्री चांदमल मेहता— जो नाम मंत्री महोदय ने बताये हैं, उनमें से कौन २ आदमी सी लिस्ट में दर्ज हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने उसका आधार बताया कि सुपरिन्टेन्डेन्ट की रिकमन्डेशन्स पर डी. आई. जी. की एप्रूव्ड लिस्ट बनी हुई है, जिसको आई. जी. पी. ने एप्रूव किया है; उसके आधार पर, उसी के बेसिस पर यह दिये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता— मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि सीनियोरिटी लिस्ट में कौन २ सा स्थान है, उस नाते मुझे पूछने का अधिकार है जिसको कि मंत्री महोदय टाल रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—जिसको पढ़कर मैंने सुनाया है।

श्री चांदमल मेहता— इसके बारे में आपने पढ़कर नहीं सुनाया है।

Page No.13

श्री अध्यक्ष—What he intends to ask is that when a senior officer is superseded by a junior officer, is there any record made in his personal file against that senior man ?

श्री चांदमल मेहता— जी हां, यहीं बात है।

श्री रामकिशोर व्यास— इसकी जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री चांदमल मेहता— यह जानकारी कब तक देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—जब भी आप चाहेंगे।

प्रश्न संख्या १३३

सिरोही शहर हेतु कोयले के लिए रखा गया कूप

श्री जवाननसिंह— क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोही शहर की खपत के वास्ते कोयले के लिये इस साल कौन सा कूप रखा था और भविष्य में कौन सा कूप रखा जायगा ?

(ख) इस कूप से कितना कोयला शहर में खपत हुआ और कितना निकास किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वनमंत्री)—(क) सन् १९५४–५५ में सिरोही शहर में कोयले की खपत के लिये कूप आक का बारा रखा गया था और भविष्य के लिये कूप पीपलानी रखा गया है।

(ख) कूप आक का बारा में कुल ८३४ मन १० सेर कोयला तैयार हुआ, उसमें से ४९९ मन ३० सेर ८ छंटाक कोयला सिरोही में खपत हुआ।

प्रश्न संख्या १३४

एफोरेस्टेशन के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में आने वाली भूमि

श्री तनसिंह—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) एफोरेस्टेशन के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में जो भूमि ली गई है, उसमें किन २ के खेत, घर और अचल सम्पति आती है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) अब तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वनमंत्री)—(क) इसकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) एवजाने की रकम की स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने प्रश्न पूछा है, एफोरेस्टेशन के अन्दर ली हुई चल-अचल संपत्ति के नाम बताये जाने चाहिए थे। यह तो एवजाने के देने-लेने का सवाल हो गया। मेरे ख्याल से माननीय मंत्रीजी इस बात को समझे नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— सवाल आपने पूछा है कि एफोरेस्टेशन में किन २ की जमीन ली गई है और अभी तक उस कार्य में कितनी प्रगति हुई ? जमीन ली गई है तो उसके एवजाने की बात आयेगी ही सही।

श्री अध्यक्ष— एफोरेस्टेशन की प्रगति चाहते हैं।

श्री तनसिंह— एफोरेस्टेशन की प्रगति के बारे में है, उसका मुआवजा देने के बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष— आपसे संबंध है एफोरेस्टेशन की प्रगति का।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— इनके प्रश्न का उत्तर मुझसे संबंधित है कि जो भूमि ली गई है और किन २ व्यक्तियों की चल और अचल संपति इसमें आई है उसके अन्दर सवाल आया है, कि इसमें क्या प्रगति होनी चाहिए तो चल और अचल संपति को मुआवजे से एक्वायर करने की प्रगति के बारे का सवाल हुआ है। अगर आप एफोरेस्टेशन के बारे में प्रगति चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम पूछ लें।

श्री अध्यक्ष— It is some what vague.

प्रश्न संख्या १३५

टोंक जिले की सहकारी समितियों द्वारा दिया गया ऋण

श्री सरदारसिंह—क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री सरदारसिंह जी]

(क) टोंक जिले में कितनी और कहां कहां सरकारी समितियां हैं ?

(ख) उन्हें अब तक सरकार की ओर से कितना ऋण दिया गया है ?

(ग) सरकारी समितियों ने कितना और किन किन (जातियों के मनुष्यों) को ऋण दिया है ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मन्त्री)—(क) टोंक जिले में १०८ सहकारी समितियां ७६ ग्रामों में काम कर रही हैं जिनकी सूची संलग्न है। माननीय अध्यक्ष, अगर आज्ञा दें तो पढ़कर सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष—जी।

(ख) इन समितियों को १-७-५४ से ३०-६-५५ तक ४८,८६५) रु० का ऋण जयपुर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा दिया गया है।

(ग) इन समितियों ने अपने सदस्यों को ५१०४६ रु० ऋण के रूप में दिये हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री कंवरलाल जेलिया—ऋण जो दिया गया है उसका आधार क्या है। कितनी सहकारी समितियां खुली हैं।

श्री अमृतलाल यादव—उसका एम. सी. एल. हदकर्जा मुकर्रर किया जाता है जिसके लिए फॉरम्युला हमने निकाल रखा है कि उनकी पेड़ अप केपिटल और उनके जो डिपाजिट मनी और दूसरा कोई आधार है उसके ऊपर उनका हदकर्जा मुकर्रर करके उसके आधार पर कर्जा देते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—मेरी मान्यता यह है कि सम्मिलित जिम्मेदारी या सामुहिक जिम्मेदारी जो होती है उसका कितना गुना ऋण दिया जाता है ? मैं यह चाहता हूँ। गोलमाल-सा उत्तर नहीं चाहता हूँ।

श्री अमृतलाल यादव—समिति के सदस्यों की सम्मिलित जिम्मेदारी होती है और सहकारी भावना का मतलब यह होता है कि जितने भी मेम्बर हों उनकी लाएबिलिटी और एसेट्स जो कुछ भी हों उसमें उनकी सम्मिलित जिम्मेदारी होती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष, मेरा सवाल यह था कि सरकार के द्वारा सहकारी समितियों को कर्जा दिया जाता है वह कितने गुना दिया जाता है ? पूंजी से कितना गुना गवर्नमेंट की ओर से होता है, यह पूछता हूं ?

श्री अमृतलाल यादव—कोई 'गुने' का सवाल नहीं है। समिति की स्थिति को देखकर दिया जाता है। उसके हिसाब से ५-१० या ४-१० भी दिया जा सकता है, पर्टीक्युलर 'गुना' नहीं है कि इतने ही गुना दिया जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह क्या मन्त्रीजी की कृपा पर निर्भर है ? जो उनके कृपा-पात्र हैं उनको मिलेगा। (हंसी)

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !

प्रश्न संख्या १३६

कालीसिल बांध के पेटे में आई हुई भूमि के स्वामियों को मुआवजा

श्री धरमचन्द(३६)—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—(क) सरकार ने कालीसिल बांध के पेटे में आने वाले किसानों को किस तारीख को मुआवजा दिया ?

(ख) क्या प्रत्येक ग्राम का नाम मय नाम किसान तथा रुपया जो दिया गया है उसकी तादाद मन्त्री महोदय सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करेंगे ?

(ग) क्या जो मुआवजा पुख्ता कुओं व मकानों का किसानों को दिया गया है उस मुआवजे में वैसे ही कुए व मकान बना लेना संभव है ?

(घ) क्या सरकार मुआवजा पर्याप्त होने या न होने बाबत जांच कराने के लिए कोई सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों की एक कमेटी बनाने के लिये तैयार है ?

(ङ) यदि हां, तो यह कमेटी कब तक बनाने का विचार है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मन्त्री)—(क) इसका पेमेन्ट ३ जून, १९५५ को कर दिया गया है।

(ख) प्रत्येक ग्राम की नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) नहीं।

(घ) प्लैंथ एरिया के अनुसार तथा मकान व कुओं की दशा और ग्राम के अनुसार मुआवजे की रकम ठीक है। जो अनुमानपत्र बनाया गया था उसमें बहुत से मकान डूब में आ चुके। इसलिए कमेटी बनाना सार्थक नहीं होगा।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जवानसिंह—क्या यह मुआवजा तमाम आबादियों को दे दिया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—हमारी जानकारी के अनुसार तो सब आदमियों को दे दिया गया है । यदि किसी को नहीं मिलता है तो उनको चाहिये कि वे जानकारी दें ।

श्री भैरूसिंह—एक कुए के लिए कितना मुआवजा देना पर्याप्त समझा गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—किस व्यक्ति को कितना मिला, इसकी सूची पेश कर दी गई है ।

श्री भैरूसिंह—किसको कितना मिला, न मिला, इसका सवाल नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार एक कुए के लिये कितना मुआवजा देना पर्याप्त समझती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह कुए की स्थिति पर निर्भर करता है । कच्चे कुए के लिये कम दिया जाता है, पक्के के लिए उससे ज्यादा और नये के लिये उससे भी ज्यादा दिया जाता है ।

श्री भैरूसिंह—एक कुए के लिये कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—एवरेज पूछना चाहते हैं ।

श्री रामनिवास मिर्धा—कुए भिन्न भिन्न तरह के हैं । सरकार की तरफ से कोई निर्धारित रकम नहीं है ।

श्री भैरूसिंह—आपको तो इसकी जानकारी होगी । एवरेज बता दीजिये कि कितना कितना दिया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—पूरी लिस्ट मैंने पेश कर दी है । मैं नहीं कह सकता कि किस कुए को ज्यादा मिला है और किसके लिये कम मिला है ।

श्री भैरूसिंह—क्या आप एवरेज नहीं बता सकते ?

श्री अध्यक्ष—That is a matter of Calculation

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि एक कुए को बनाने में उसके मालिक को ८००० रु. खर्च करने पड़ते हैं जब कि सरकार ने एक कुए के १००० रु. ही दिये हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी बात नहीं हैं।

श्री जवानसिंह—तो क्या बात है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—किसको कितना मिला है, उस की जानकारी मैंने दे दी है। यदि किसी विशेष के बारे में जानना चाहते हैं तो अलग प्रश्न पूछिये।

श्री भैरूसिंह—क्या सरकार के पास गांव के कुछ लोगों के रिप्रिज़ेन्टेशन्स आये हैं जिनमें लिखा है कि उनको मुआवजा पर्याप्त नहीं मिला है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार के पास कुछ रिप्रिजेन्टेशन्स आये थे, उनकी जांच कराने से मालूम हुआ कि मुआवजा पर्याप्त ही मिला है।

श्री भैरूसिंह—यह जांच किस अधिकारी से करवाई गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारियों से।

श्री भैरूसिंह—क्या सिंचाई अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है कि मुआवजा अपर्याप्त है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं।

श्री भैरूसिंह—क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि समय पर मुआवजा नहीं दिया गया और बहुत देर में दिया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं। जून के महीने में मुआवजा दे दिया गया था।

प्रश्न संख्या १३७

नागोर जिले में विशेषतया नावां में सन् १९५४ से १९५६ तक दिया गया तकावी ऋण

श्री किशनलाल शाह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) नागौर जिले में १९५४-५५ और ५५-५६ में तकावी ऋण के लिये कितनी रकम दी गई ?

(ख) उक्त रकम में से नावां तहसील को कितनी कितनी दी गई ?

(ग) उक्त रकम में से कुओं और बैलों के लिये कितनी कितनी तकावी दी गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि-मन्त्री)—

(क) १९५४-५५ में ३,०२,५०० रु० की तकावी दी गई।

१९५५-५६ में २,६०,००० रु० की तकावी दी गई।

कुल जोड़ ५,६२,५०० रु०

(ख) नावां तहसील में सन् ५४-५५ में ६०,४३५ रु० ऋण के रूप में दिये गये।

(ग) कुओं के लिये नागौर जिले में ३,७५,००० रु० दिये गये।

बैलों की तकावी राजस्व विभाग द्वारा दी जाती है, उसके आंकड़े इस विभाग के पास नहीं है।

प्रश्न संख्या १३८

संचालक, जन सम्पर्क विभाग द्वारा चुनी हुई टेक्स्ट बुक्स सम्बन्धी समाचार-पत्रों में विज्ञापन

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that the Director of Public Relations recently issued an advertisement in respect of the selected text books ?

(b) If so, to which papers was it released and on what date was it released to each paper ?

(c) Is it a fact that the Education Department had requested that the advertisement in question should be released to only one paper ? If so, why was it issued to more papers and on what authority was it so issued ?

(d) What will be the total cost in respect of these insertions in terms of advertisement money ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) (क) यह सही है कि सार्वजनिक संपर्क विभाग के संचालक ने हाल ही में चुनी हुई पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में एक विज्ञापन जारी किया था।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ख) यह विज्ञापन निम्न पत्रों को नीचे दी गई तारीखों को प्रकाशनार्थ दिया गया था।

नवयुग, जयपुर	२३ जून, १६५५
अमरज्योति, जयपुर	२५ जून, १६५५
लोकवाणी, जयपुर	२ जुलाई, १६५५
कांग्रेस संदेश, जयपुर	२४ जून, १६५५
प्रजा सेवक, जोधपुर	२४ जून, १६५५

(ग) यह सही है कि शिक्षा विभाग ने इस विज्ञापन को केवल एक ही पत्र में देने के लिये लिखा था। इसे एक से अधिक पत्रों में इसलिये दिया गया कि इसमें ऐसी सूचनाएँ थीं जिनमें बहुत से विद्यार्थी और उनके अभिभावक दिलचस्पी रखते थे और यह आवश्यक समझा गया कि यह सूचनाएं जितनी जल्दी हो सके उनके लिये सुलभ की जावें। पत्रों को यह विज्ञापन सार्वजनिक संपर्क विभाग के संचालक द्वारा दिया गया, जिन्हें ऐसे निर्णय स्वयं करने का अधिकार है।

(घ) इस विज्ञापन के प्रकाशन का कुल व्यय ८,४८६ रु० होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह विज्ञापन एक पत्र को न देकर ज्यादा पत्रों को देने का निर्णय किसने दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास— डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स ने।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या उनको इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार है ?

श्री रामकिशोर व्यास— अपने जवाब में मैंने यह कहा है कि वे दे सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा ?

श्री रामकिशोर व्यास— हां, उनको ऐसा करने का अधिकार है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह समझा जाय कि किसी भी विभाग द्वारा एडवर्टाइज़मेन्ट देने का निर्णय सार्वजनिक संपर्क विभाग कर सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास— यदि आवश्यकता हो तो कर सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या इस प्रकार का अधिकार उनको मौजूदा सरकार की कार्य-प्रणाली के अनुसार दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास— डी. पी. आर. को ऐसा अधिकार है।

श्री जसवन्तसिंह— यदि संबंधित महकमा किसी एक अखबार को एडवर्टाइज़मेन्ट देना चाहें तो भी क्या डी. पी. आर. को अधिकार है कि वह कइयों को दे दे।

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि वह समझे कि ज्यादा पब्लिसिटी देने की जरूरत है तो एक से अधिक को भी दे सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने इस एडवर्टाइज़मेन्ट पर कितनी कोस्ट करने का लिखा था और संचालक जन संपर्क विभाग ने कितनी कोस्ट कर दी ?

श्री रामकिशोर व्यास— अलग से जानकारी प्राप्त करके कह सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— इस एडवर्टाइज़न्ट के बिल्स को कौन से विभाग ने पे किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास— गवर्नमेन्ट ने पे किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— गवर्नमेन्ट के कौन से विभाग ने पे किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास— एज्युकेशन विभाग को करना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस विभाग ने एडवर्टाइज़मेन्ट का इन्डेन्ट नहीं दिया, वह किस आधार पर पे करेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—उन्होंने उनसे बात कर ली होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि टेक्स्ट बुक्स की लिस्ट में परिवर्तन हुआ था क्या, जिसके कारण इतना एडवर्टाइज़ करने की जरूरत पड़ी ?

श्री रामकिशोर व्यास— यह मैं नहीं कह सकता कि परिवर्तन हुआ था या नहीं, लेकिन मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम के कारण पब्लिश करना पड़ा।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या यह सही है कि पिछले वर्ष में चली आनेवाली टेक्स्ट बुक्स में से एक वैसी की वैसी लागू थी और चल रही थी और उसके बावजूद भी यह एडवर्टाइज़मेन्ट दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास— मुझे मालूम नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या मंत्रीजी के यह बात ध्यान में है कि जो एडवर्टाइज़मेन्ट सन् ५३ में दिया गया था वह बिल्कुल आइडेन्टिकल था ?

श्री रामकिशोर व्यास— मैं इसकी जानकारी करूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि एडवर्टाइज़मेन्ट के जरिये जो पब्लिसिटी दी गई है उसकी एवज में पर्चे छपवाकर बांटे जाते तो ८००० रु० में कितने ही लाख पर्चे छप जाते ?

श्री रामकिशोर व्यास— पब्लिसिटी का क्या तरीका हो, यह तो डी. पी. आर. के अधिकार में है; लेकिन आम तौर से अखबारों में ही दिया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या यह सच है कि पुस्तकों की लिस्ट में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिये इतने ही से काम चल जाता कि पुरानी लिस्ट चालू है; फिर इतने रुपये क्यों खर्चे किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास— यह एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट के सोचने की बात थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास— एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट ने, सोचने के बाद यदि एक अखबार में एडवर्टाइज़मेन्ट देने का निर्णय किया तो उससे चार गुना अधिक खर्चा करने का निर्णय सार्वजनिक संपर्क विभाग के संचालक ने कैसे किया ?

श्री रामकिशोर व्यास— क्या फरमाया ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट ने एक ही अखबार में एडवर्टाइज़मेन्ट देने का निर्णय किया, उसमें जो कुछ भी खर्चा होता सो होता; लेकिन इसके बदले में संचालक, सार्वजनिक संपर्क विभाग ने चार गुना अधिक खर्चा किस आधार पर किया ?

श्री रामकिशोर व्यास— इस बारे में मैंने पहले निवेदन किया था कि ऐसा करने का डी. पी. आर. को अधिकार है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— सरकार को चाहिये कि वह इस अधिकार के कारणों को सदन के सामने प्रस्तुत करे। जब कि लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो किस आधार पर इतने पत्रों को एडवर्टाइज़मेन्ट दिया गया और यदि दिया गया तो डी. पी. आर. ने चार गुना अधिक खर्चा कैसे किया ?

श्री अध्यक्ष—The question hours are only meant to seek information and draw the attention of the House to particular gross acts of the Government and if that purpose is served, the Hon'ble member should not enter into discussion.

Page No.23

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know the reasons,

श्री अध्यक्ष—From the replies that have been given the position has become quite clear and there is no necessity now to enter into any discussion. If we enter into discussion, there will be no end to the discssion and then the question hours which are primarily meant for seeking information will be turned to discussin hours.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sometimes the Government is so thick skinned that no amount of pressure could make them answar.

श्री अध्यक्ष—The answers are there, but if you want the wrongs to be remeded by further questions, it will not be possible.

श्री हरिकृष्ण व्यास—There might have been some special reasons for all that, I am not awars. I only want to know if there was some guiding reason for the Government to give such a large insertion for such a small news.

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि बहुत से विद्यार्थी और उनके अविभावक इन्ट्रेस्टेड थे, इसलिये एडवर्टाइज़ किया गया।

श्री अध्यक्ष—वह बात इनके समझ में नहीं आई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, लिस्ट में परिवर्तन नहीं हुआ इसलिये केवल ३ लाइन छापने से ही काम चल जाता। सारी लिस्ट को छपवा कर इतने हजार रुपये क्यों बरबाद किये गये?

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या इनमें गवर्नमेन्ट को सपोर्ट करने वाले अखबार भी थे?

(उत्तर प्राप्त न होने पर)

श्री श्रीदास गोयल—डारेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने एक अखबार में छपवाने के लिये लिखा था तो क्या डी. पी. आर. ने एक से ज्यादा अखबारों में छपवाने के लिये उनसे स्वीकृति ले ली थी क्योंकि रूपये तो डिपार्टमेन्ट को ही देने पड़े?

श्री अध्यक्ष—उनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, उनका डिस्क्रीशन था।

प्रश्न संख्या १३६

गंगनहर क्षेत्र में गो हत्या और बाजार में भेड़ मास का नाम लेकर गौ-मांस की बिक्री

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) Whether cow killing is permissible within the state of Rajasthan ?

(b) Whether it has come to the notice of the Government that some people in the Gang Canal Colony of Bikaner Division have been killing cows for some time ?

(c) Whethet the Government is aware that meat of such slaughtered cows is sold in the market as mutton and innocent people are made to eat this against the tenents of their religion ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) ग्राम मोटासर सूनी की केवल एक घटना के अतिरिक्त, जिसमें एक गाय को चोट पहुँचाई गई थी और कोई घटना हमारे नोटिस में नहीं आई। इस मामले की पूरी तरह छानबीन करवाई जा रही है।

(ग) ऐसी भी कोई सूचना हमारे नोटिस में नहीं आई।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह कौन-से कानून के तावे काउ किलिंग (cow killing) राजस्थान में अलाउड नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—पुरानी स्टेटों के अलग अलग सक्युलर्स हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार ऐसा कानून बनाने के लिये विचार कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपने फरमाया तो विचार करेगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही नहीं है कि गंग केनाल कोलोनी में इसके लिये एजीटेशन हो रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—एजीटेशन तो नहीं हो रहा है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— क्या यह सही है कि करीब दो साल से कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के धन को जान-बूझ कर हानि पहुँचाने के लिये इस तरह गऊ को कत्ल करके बकरों के मांस के रूप में गंग केनाल कोलोनी में बेचा जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास —हमारे ध्यान में नहीं है ।

श्री भैरोसिंह— (दांता रामगढ) गौ हत्या को रोकने के लिये...

श्री अध्यक्ष—Order ! ये (कु० श्री जसवन्तसिंह) प्रश्न कर रहे हैं ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या गवर्नमेंट के ध्यान में है कि वाकई में ऐसी घटना नहीं हो रही है ।

श्री रामकिशोर व्यास—जी हां, जहां तक मालूम है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या १४० ।

प्रश्न संख्या १४०

सिरोही जिले के जंगलों में नीलाम हुए कूप

श्री जवानसिंह—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) इस साल कितने जंगलों के कूप सिरोही जिले में नीलाम हुए हैं ?

(ख) क्या कटे हुए जंगलों में पेड़ों के पौधों की तरक्की संतोषजनक है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—(क) सिरोही जिले में इस साल तीन कूप्स नीलाम हुए ।

(ख) जी हाँ ।

श्री जवानसिंह—संतोषजनक है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनकी ग्रोथ अच्छी है ।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इस मामले में जांच करने को तैयार है कि जहां जंगल कटे हैं वहाँ एक भी पौधा नहीं उग पाया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स बतायें तो जांच करवाई जा सकती है ।

श्री जवानसिंह—मैं जानना चाहता हूँ कि एक भी जंगल में जहां पेड़ कटे हैं वहां एक भी पेड़ ऊगा है; जहां कि आप ग्रोथ अच्छी बताते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं, ऐसी सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या १४१

अधिग्रहण के समय ठिकाना उनियारा द्वारा सम्हलाया गया वन-क्षेत्र

श्री सरदारसिंह—क्या मंत्री, वन-विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) ठिकाना उनियारा ने अधिग्रहण के वक्त कितना और कहां कहां का जंगलात का एरिया सम्भलाया था ?

(ख) ऐसे जंगलात के एरिया का क्या क्षेत्रफल है और क्या आमदनी और क्या खर्च है ?

(ग) क्या उस जंगलात एरिया की पहले ही कोई सीमा निर्धारित थी ?

(घ) अगर नहीं, तो क्या सरकार ने उस जंगलात एरिया की सीमा को अब निर्धारित कर दिया है ?

(ङ) अगर नहीं किया है, तो सरकार कब तक सीमा निर्धारित कर देगी ?

(च) क्या सीमा निर्धारित न करने की वजह से कृषकों को दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक असुविधा हो रही है ?

(छ) इस असुविधा के निवारणार्थ सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ठिकाना उनियारा के अधिग्रहण के समय निम्नलिखित वन संभलाये गये—

१. बनेठा   २. नगर और   ३. आंवा।

(ख) संभलाये गये वन का क्षेत्रफल ४३ वर्ग मील है और आमदनी जुलाई, १९५४ से मार्च, १९५५ तक ८३९७ रु० १० आने की हो कर खर्चा ३५८३ रुपये ४ आने का हुआ (इस रकम पेटे ११५९ रुपये २ आने की तनख्वाह का चुकारा हो चुका और २४२४ रुपये २ आने का चुकारा अब होगा)।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ङ) सीमा-निर्धारण का कार्य जल्द ही शुरू होगा।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री सरदारसिंह—सीमा निर्धारण का कार्य कब तक शुरू होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में स्टाफ लगा हुआ है। उन दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में काम पूरा होते ही उस स्टाफ को इधर लगा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४२

नांवां तहसीलमें सन १९५३ से १९५५ तक पांच हजार रुपयों से अधिक दी गई तकावी

श्री किशनलाल शाह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या, नांवा तहसील में सन् १९५३—५४—५५ में ५००० रुपयों से अधिक तकावी ऋण की रकम किसी व्यक्ति को दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को कौन कौन सी साल में दी गई और कितनी कितनी दी गई ?

(ग) जिन कार्यों के निमित्त उक्त बड़ी बड़ी रकमें तकावी की दी गई हैं क्या उन व्यक्तियों ने वे कार्य करवाये हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त रकमों की पुनः वसूली की सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

(ङ.) यदि की है, तो कितनी रकम पुनः वसूल हुई।

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १४३

कृष्णावती नदी बांध के बनाने की शासकीय योजना

श्री जवानसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या कृष्णावती नदी बांध को बनाने की योजना सरकार ने मंजूर कर ली है ?

(ख) अगर नहीं तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई है और इतनी देरी का क्या कारण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) नहीं।

(ख) रिटर्न कम होने के कारण मंजूरी नहीं की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४४

किशनगढ सब-डिवीजन में न्यायालयों में पुलिस के विरुद्ध चलने वाले मारपीट के मुकदमे

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) किशनगढ़ सब डिवीजन में ऐसे कौन २ से पुलिस कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ मारपीट करने के अपराध में किशनगढ़ की अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं ?

(ख) उक्त कर्मचारियों के अदालत में उपस्थिति होने के सम्मन्स कितनी मरतबा अदालत द्वारा पुलिस में भेजे गये ?

(ग) पुलिस ने कितनी मरतबा सम्मन्स की तामील करा करके भेजा ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) किशनगढ सब डिवीजन के निम्नलिखित ४ पुलिस कर्मचारियों के मारपीट का मुकदमा चल रहा है—

१. सुमेरसिंह, हैड कॉन्सटेबिल।

२. नारायन, कॉन्सटेबिल।

३. गोविन्दराम, कॉन्सटेबिल।

४. भूराराम, कॉन्सटेबिल।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ख) चार बार ।

(ग) सम्मन की तामील केवल एक बार सुमेरसिंह हैड कान्सटेबिल पर हुई ।

श्री चांदमल मेहता—ये मुकदमें कब चालान हुए ।

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो प्राइवेट कम्पलेन्ट है ।

श्री चांदमल मेहता—सम्मन की तामील नहीं करके भेजने का क्या कारण है ?

श्री राम किशोर व्यास—डिटेल तो मैं इस समय अर्ज नहीं कर सकता, परन्तु हिदायत कर दी गई है ।

श्री चांदमल मेहता—अब तक तामील नहीं करवाई तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—उन लोगों के नाम पता वगैरह सही नहीं थे, उन लोगों के ट्रान्सफर्स वगैरह हो गये थे ।

श्री चांदमल मेहता—क्या पुलिस के अधिकारियों को उनके बारे में पता नहीं कि वे कहां पर हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—जहां का पहले का एड्रेस दिया हुआ है वहां सम्मन जाते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या वे किशनगढ़ सब डिवीजन में नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—हैं तो किशनगढ़ सब डिवीजन में ही ।

श्री अध्यक्ष—अब हिदायत कर दी है कि हाजिर हो जायगें ।

प्रश्न संख्या १४५

फोरेस्ट रेन्जर्स के एकीकरण की अवधि

श्री मोहब्बत सिंह—Will the Minister for Forests be pleased to state :

(a) Whether the Government is contemplating to complete the integration of the forest rangers ?

Page No.30

श्री मोहब्बतसिंह

(b) If so, by what time ?

(c) What has been the progress in this direction so far ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) शीघ्रातिशीघ्र।

(ग) अब सबआर्डिनेट सर्विसेज व क्लास चतुर्थ की तनख्वाह के ग्रेड तय होकर हुक्म जारी हो चुके हैं। मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में फिक्सेशन के नक्शे तैयार कराने की व्यवस्था जारी है। बहुत सी फहरिस्तें तैयार भी हो चुकी हैं। इस कार्य को मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान महा लेखापाल की सम्मति से शीघ्रातिशीघ्र तय कराने का प्रयास कर रहे हैं। नये वेतन दर १-४-५० से अदा होंगे।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सरकार के ध्यान में है कि गत बार प्रश्न किया गया तो यह आश्वासन दिया गया था कि ३ महीने के अन्दर इन्टीग्रेशन हो जायगा। फिर यह प्रश्न किया तो १ महीने का अवकाश बताया गया, फिर भी कई साल गुजर गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पहले ऐसा कहा गया था, पर वन-संरक्षक नये आ गये ; उनके आने के बाद नई लिस्टें तैयार हुई हैं। वे नई लिस्टें ए० जी० को भेज दी गई हैं। ए० जी० के यहां से आते ही प्रकाशित कर दी जायंगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि जब जब लिस्टें तैयार होती हैं तब तब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरेस्ट का तबादला हो जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसी बात तो नहीं है, एक बार ही बदली हुई है।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सही है कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरेस्ट के बदलते ही सरकार की नीति भी बदल जाती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं, आदमी बदलता है, नीति नहीं बदलती।

श्री मानसिंह महार—सरकार की डिक्शनेरी में शब्द "शीघ्रातिशीघ्र" की परिभाषा क्या है ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Next.

प्रश्न संख्या १४६

जहाजपुरा के किसानों से वन-विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा चरागाहों में मवेशी चरने का दो रुपया अधिक लेना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister in charge for forests be pleased to state:—

(a) Is the Government aware that the authorities of the Forest Department have been recovering from the Kisans of Jahazpur money at the rate of Rs. 2 per persen on trumped up allegation of straying cattle?

(b) Is the Government aware that these areas are free for grazing and that this recovery is illegal?

(c) Will the Government take steps to set right this grievance of the Kisans of Jahazpur and Shahpura?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सरकार को निर्धारित रेट से कुछ अधिक लेने के समाचार मिले हैं।

(ब) इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराई गई है।

(स) शाहपुरा की तो कोई शिकायत ही नहीं है, जहाजपुर के सम्बन्ध में जांच की रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जांच कराई गई?

श्री अध्यक्ष—उचित जांच कराई गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—डी० एफ० ओ० टोंक को मुकर्रर किया गया है कि जांच करके रिपोर्ट करे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ६ महीने पहले जांच करके ४ सम्बन्धित लोगों को दोषी ठहराया था और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सरकार ने उन्हें नोटिस दे दिया था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मुकम्मिल जांच नहीं हुई थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जांच पूरी होने के बाद ४ आदमियों को दोषी ठहराया गया था और उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाय, इस सिलसिले में उनसे जवाब तलब किया गया था?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--उसमें खामी होने से दुबारा जांच का आॅर्डर हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जांच हुई उस वक्त ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कानून से कहीं ज्यादा रकम तो वसूल नहीं की है। किसी से ज्यादा रकम वसूल की गई होगी तो जिस अधिकारी ने ज्यादा रकम वसूल की होगी और जिसकी गल्ती होगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी और ज्यादा रकम वापिस देने की आज्ञा दी जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास— यह जांच कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा— शीघ्रातिशीघ्र।

श्री हरिकृष्ण व्यास— दिनों में या वर्षों में।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४७

सिरोही तहसील में ऋण के रूप में किसानों को वितरित की गई तकावी

श्री जवानसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सिरोही तहसील में, इस साल ऋण के रूप में कितनी तकावी काश्तकारों को बांटी गई ?

(ख) उपरोक्त तहसील के लिये इस साल कुल कितनी रकम मंजूर हुई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—(क) अब तक ३४०० रु० सिरोही जिले में बांटे गये।

(ख) इस साल सिरोही जिले में १,०५,००० रु० मंजूर हुये हैं।

श्री जवानसिंह-- क्या इसकी तहसीलवाइज़ लिस्ट है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— तहसीलवाइज़ लिस्ट नहीं है।

श्री जवानसिंह-- तकावी रुल्स होते हुए भी क्या यह सही है कि तकावी समय पर वितरित नहीं हुई ?

श्री रामनिवास मिर्धा— ऐसी कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं आई कि फलां रूल्स के अनुसार तकावी समय पर नहीं बांटी नई। सब जगह तकावी के रुपये जल्दी समाप्त हो जाते हैं लेकिन सिरोही में ऐसा नहीं हुआ।

श्री जवानसिंह— क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है कि मांग होते हुए भी लोगों को तकावी नहीं दी गई?

श्री रामनिवास मिर्धा— सरकार के सामने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

श्री जवानसिंह— क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है कि मांग तकावी की होते हुए भी लोगों को तकावी नहीं दी गई?

श्री रामनिवास मिर्धा— जब सरकार के सामने कोई विशेष बात ही नहीं हो कि इतनी दरख्वास्तें आई और इतनों पर कार्यवाही नहीं की गई, तो हम कुछ करते।

श्री जवानसिंह— तो क्या यह माना जावे कि सरकार की जानकारी में यह बात नहीं है कि कितनी तकावी के लिये मांग की गई?

श्री रामनिवास मिर्धा— जी नहीं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू— क्या सिरोही में तकावी दिलाने के लिये दलालों की कमी है?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४८

कालीसिल बांध के बनने के संबन्ध में डूब के पेटे में आने वाली भूमि के स्वामियों (किसानों) को नोटिस

श्री धरमचन्द— क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या कालिसिल बांधके बनने के संबन्ध में डूब के पेटे में आने वाली किसानों को लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत में कोई नोटिस दिया गया है?

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री रामनिवास मिर्धा— (क) लैंण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत में नोटिस सिंचाई विभाग द्वारा नही बल्कि राजस्व विभाग (कलेक्टर) द्वारा दिया जाता है।

[श्री धरमचन्द]

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट.

प्रश्न संख्या १४९.

२२ अगस्त, १९५५ की रात्रि को किसान सभा के दो व्यक्तियों की नीम के थाने में गिरफ्तारी

श्री हरिकृष्ण व्यास— Will the Home Minister be pleased to answer ;-

(a) Is it a fact that two workers of the kisan Sabha were arrested a Neem-ka-thana on the night of the 22nd August, 1955?

(b) Is it a fact that a complaint has been made regarding the conduct of the police officer making the arrest in as much as he wrongly showed the arrests as having been made on the spot, while in reality the persons were arrested from their houses at dead of night ?

(c) Has any enquiry been conducted into this allegation?

(d) If so, what is the result of such enquiry?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जी हां, यह सत्य है ।

(ख) जी हां, यह भी सत्य है ।

(ग) डिप्टी सुपरिन्टेन्डन्ट ऑफ पुलिस, नीम का थाना ने इसकी तहकीकात की थी ।

(घ) तहकीकात से यह पाया गया कि पुलिस के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये थे वे सही नहीं हैं, निराधार हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तहकीकात किसने की ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तहकीकात डिप्टी सुपरिन्टेन्डन्ट ऑफ पुलिस, नीम के थाने ने की ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस तहकीकात के समय शिकायत करनेवाले को भी सूचना दी गई या नहीं ?

Page No.35

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो मुझे मालूम नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको अपनी गवाहें पेश करने का मौका दिया गया या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये अलग से प्रश्न करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जांच किस सिलसिले में हुई?

श्री रामकिशोर व्यास—आपने प्रश्न पूछा है उसके सिलसिले में जांच हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर जांच उसी सिलसिले में हुई तो उनको पूछा जाने का और उनके गवाह देने का मौका दिया जाना चाहिये?

श्री रामकिशोर व्यास—जो जाब्ते की कार्यवाही है वह जरूर की गई होगी। डिटेल्स में मैं नहीं कह सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर नहीं की गई तो फौरन करने के लिये ·····

श्री वेदपाल त्यागी—क्या कोई जांच की रिपोर्ट माननीय मंत्रीजी के पास आई है?

श्री रामकिशोर व्यास—आनी ही नहीं चाहिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह जांच प्रश्न पूछने के बाद की गई?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं।

प्रश्न संख्या १५०.

सं० २००८ में वर्षा के अभाव में जयपुर जिले की कुछ तहसीलें कमी वाले क्षेत्र घोषित होने पर बीड़ों के ठेके रद्द होना इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि संवत् २००८ में बारिश न होने की वजह से जयपुर जिले में कुछ तहसीलों को कमी वाला क्षेत्र घोषित किया गया?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वर्ष में कमी वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार के बीड़ों में निःशुल्क मवेशी चराने की आज्ञा दी गयी और ठेके मंसूख कर दिये गये?

Page No.36

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) यदि हां, तो ऐसे कौन से स्थान हैं जहां उक्त आज्ञा के होते हुए भी ठेकेदारों से रकम ठेका वसूल की जा चुकी है?

(घ) ऐसे कौन २ से स्थान हैं जहां ठेकों के मंसूख होने की आज्ञा होते हुए भी रकम ठेका वसूल करने के लिये कुर्कियां जारी की गयी हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा —(क) जी हां।

(ख) जी हां, फार्मर राजस्थान की फोरेस्ट मेन्युवल के परिशिष्ट १ की धारा १७ के अनुसार चन्द घास के बीड़ों के ठेके रद्द किये गये थे, किन्तु सब घासों के बीड़ों के नहीं और उनमें निशुल्क मवेशी चरने की आज्ञा दी गई थी।

(ग) ऐसा कोई स्थान नहीं है। जिन बीड़ों से घास काटने के ठेके रद्द नहीं किये गये थे केवल उन्ही ठेकेदारों से रकम ठेका वसूल की जा चुकी है।

(घ) ऐसा कोई स्थान नहीं है।

श्री चांदमल मेहता —क्या यह सही है कि किशनगढ़ में ऐसे ठेके थे और उनको रद्द करने के बाद में भी ठेकेदारों से रकम वसूल की गई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जिनके ठेके रद्द किये गये उनसे वसूली नहीं की गई।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि सरकारी विज्ञप्ति कमीवाले क्षेत्र में ठेके नहीं देने की निकलने के बावजूद भी ठेके मंजूर किये गये?

श्री बृजसुन्दर शर्मा — जितनी बीड की जरूरत होती है उतना ही ठेका कैंसल किया।

श्री चांदमल मेहता — क्या सरकार ने यह विज्ञप्ति निकाली था कि फलां फलां बीड़ों में निःशुल्क मवेशी चराये जावें और उनके ठेके मंसूख किये गये?

श्री बृजसुन्दर शर्मा — इसके लिये अलग से जानकारी पूछें तो उत्तर दिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता — एक ओर माननीय मंत्रीजी बताते है कि उन स्थानों का ठेका मंजूर किया गया, जो फिगर्स मैंने दिये उसका हवाला नहीं है। माननीय मंत्रीजी को तैयार होना चाहिये कि कौन कौन से स्थानों का ठेका मंजूर हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा — माननीय अध्यक्ष, आपका प्रश्न यह है कि उक्त वर्ष में कमी वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार के बीडों में निःशुल्क मवेशी चराने की आज्ञा दी गयी और ठेके म सूख कर दिये गये ? इसमें स्थान आपने नहीं पूछा है। जब ऐसा कोई स्थान ही नहीं पूछा गया तो किसका जवाब दिया जावे।

श्री चांदमल मेहता—मैं आपके जवाब को चैलेंज करता हूँ कि यह दुरूस्त नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप तो हमेशा ही चैलेंज करते रहते है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये रोज चैलेंज करते हैं, एक दिन तो चैलेंज एक्सेप्ट करो।

श्री चांदमल मेहता—जिस प्रश्न के बारे में चैलेंज किया जावे तो उस सम्बन्ध में ...

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या १५१

डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट अधिकारी द्वारा कौरली सब डिवीजन में सन् ५४-५५ मे दौरे।

श्री धरमचन्द—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट ऑफिसर ने पिछले वर्ष सन् १९५४-५५ में करोली सब डिवीजन में किन किन मुकामों का कब कब दौरा किया ?

(ख) क्या करोली के जंगलों की रक्षा भली प्रकार से हो रही है ?

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये सरकार की क्या नीति है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) डिवीजनल फोरेस्ट आफीसर ने माह मार्च, १९५५ में करोली बड़ी रूंध और संलोहर रूंध का दौरा किया।

(ख) स्टाफ की कमी एवं आवागमन की कठिनाई और हदबन्दी के कुछ झगड़ों के कारण करौलो के जंगलों की रक्षा वैसी नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिये।

(ग) सर्वे और हदबन्दी का प्रबन्ध किया जा रहा है और यह कार्य समाप्त होने पर ही जंगलों को चन्द टुकड़ों में बांट कर आवश्यकतानुसार फोरेस्ट गार्ड नियुक्त किये जावेंगे और वर्किंग-प्लान बना कर वैज्ञानिक रीति से इन वनों का प्रबन्ध किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५२

सिरोही मोटर सर्विस के मृत भागीदार के उत्तराधिकारी द्वारा राजस्थान सरकार पर दावा

जवानसिंह :—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि सिरोही मोटर सर्विस के मरहूम भागीदार के वारिस ने राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई दावा दायर किया है ?

(ख) अगर हां, तो क्या कारण है ।

[ग) उपरोक्त दावा कितने रुपयों के लिये है ?

(घ) क्या उपरोक्त दावे में रिटन स्टेटमेंट पेश करने के लिय जयपुर से एक यातायात विभाग के सीनियर अफसर सिरोही गये थे ? अगर हां, तो उसका सफर का खर्च व भत्ता कितना हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) जी हां । यह सही है ।

(ख) जागीरदार के वारिस ने अपने हिस्से के लिये दावा किया था ।

(ग) यह दावा रु० ५०, ००० के लिये था ।

(घ) यातायात विभाग के सीनियर अफसर राजकीय वकील सिरोही से इस संबन्ध में तथा रिटन स्टेटमेंट के विषय में पर्यावलोचन करने एवं यातायात संबन्धी कार्यों का निरीक्षण करने गये थे । उनके ऊपर सफर आदि का कुल खर्चा ८६।।।) हुआ ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—उसको ड्युटी पर समझा जावेगा या क्या समझा जावेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा —५० हजार रुपयों का दावा था और उस सिलसिले में रेकर्ड देखने के लिये व यातायात संबन्धी निरीक्षण करने के लिये एक अधिकारी को भेजा गया था ।

श्री जवानसिंह—सरकारी वकील कुछ समय पहले जयपुर आकर इस मामले को देख कर स्टेटमेंट तैयार करके गया था, क्या यह सही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके अलावा भी एक अधिकारी को वहां जरूरी रिटन स्टेटमेंट को देखने व दूसरे काम के लिये जाना बिल्कुल उचित था ।

श्री जवानसिंह—क्या कारण है कि सिरोही मोटर वाले ने ५० हजार का दावा किया और उसके पहले सरकार ने उससे तसफिया नहीं किया ?

Page No.39

श्री जवानसिंह— यह दावा करने का क्या कारण पैदा हुआ। उससे पहले सरकार ने तस्फिया क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष— 'ख' भाग के जवाब में बता दिया।

श्री जवानसिंह —दावा करने की नौबत क्यों पैदा हुई ?

श्री अध्यक्ष—तस्फिया नहीं किया इसलिए दावा किया।

श्री जवानसिंह —सरकार ने पैसा भागीदर को क्यों नहीं चुकाया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—कई क्लेम्स थे जो सरकार को मंजूर नहीं थे इसलिए उससे समझौता नहीं हुआ।

श्री जवानसिंह—क्या यह बात सही है कि सरकारी अफसर यह रुपया नहीं देना चाहते थे, उसको और किसी व्यक्ति विशेष को दिलाना चाहते थे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी कोई बात नहीं है।

प्रश्न संख्या १५३

राजस्थान में शरणार्थियों के लिये विभिन्न शहरों में दुकाने बनाने हेतु किया गया व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या पुनः स्थापन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में शरणार्थियों के लिये दुकान बनाने के लिये किस २ शहर में कितना २ रुपया कब कब खर्च किया गया ?

(ख) किशनगढ़ शहर में शरणार्थियों के लिये दुकानें बनाने की योजना कितने समय से सरकार के विचाराधीन है ?

(ग) उक्त योजना को अब तक कार्यान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(घ) राजस्थान में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां इस प्रकार की योजना अभी तक विचाराधीन है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः स्थापन मंत्री):— (क) नीचे लिखे स्थानों पर शरणार्थियों के लिये दुकानें बनाई गईं और उन स्थानों के नाम के सामने निम्न प्रकार व्यय है ;

१.	जयपुर	६,७७,२११ रु० ८ आना ३ पा०
२.	जोधपुर	१,८८,०४७ रु० ० ,, ० ,,
३.	पाली	४३,२०० रु० ० ,, ० ,,
४.	बीकानेर	४०,६४७ रु० १४ आ० ० ,,
५.	गंगानगर	५१,६७० रु० ० ,, ० ,,
६.	कोटा	२,३७,४७५ रु० १० ,, ० ,,
७.	बूंदी	१६,००० रु० ० ,, ० ,,
	कुल	१२,५७,५५२ रु० ० ,, ३ ,,

किस वर्ष में कितना व्यय किया गया, उसका नक्शा संलग्न है ।

(ख) किशनगढ़ में दुकाने बनाने का प्रश्न करीब पांच साल से विचाराधीन है ।

(ग) ये दुकाने अब तक इसलिए नहीं बन सकीं कि जमीन अभी तक एक्वायर नहीं हो सकी ।

(घ) निम्नलिखित स्थानों पर दुकानें बनाने का प्रश्न विचाराधीन है :

१. अलवर

२. चितौड़गढ़

३. सवाई माधोपुर

४. हनुमानगढ़

५. भीलवाड़ा

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि माननीय मन्त्री महोदय के विधान सभा में आश्वासन के बावजूद भी किशनगढ़ में दुकानें नहीं बन सकी हैं ?

Page No.41

श्री अमृतलाल यादव—मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस परिस्थिति से परिचित हैं और उन्हें सहयोग देना चाहिए था, उसके बजाय प्रश्न करते हैं। वह जमीन कबूतरखाने की है जो कि जैनियों की धार्मिक संस्था है, सरकार ने उनको पर्स्युएड किया कि कबूतरों से ज्यादा इन्सान की जिन्दगी है और वे तो अहिंसा के जानने वाले हैं। माननीय सदस्य भी उस धर्म से सम्बन्धित हैं, लेकिन वह बात मानने में नहीं आई इसलिए हमने उस जमीन को एक्वायर करने का निर्णय कर लिया है और वहां दुकाने जरूर बनावेंगे।

श्री चांदमल मेहता—एक्वायर करने का निर्णय कब किया गया?

श्री अध्यक्ष—यह दूसरा प्रश्न है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि कोटा शहर में हरिजन शरणार्थियों ने इस सम्बन्ध में अपनी मांग सरकार के सामने प्रस्तुत की है?

श्री अमृतलाल यादव—क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—आप जब कोटा पधारे थे तो क्या हरिजन शरणार्थियों ने अपनी मांगें आपके सम्मुख इस सम्बन्ध में पेश की थीं?

श्री अमृतलाल यादव—शरणार्थियों में हरिजन और गैर हरिजन का भेद नहीं करते।

('हियर हियर' की आवाज)

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह बात सही है कि जो व्यवस्था कोटा शहर में नहीं की है, किन्हीं शरणार्थियों ने अपनी आवश्यकता महसूस करते हुए राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, दिलाया है। स्टेशन और शहर के बीच सुन्दर बाजार तैयार है। श्रीमान् माननीय सदस्य देख सकते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—जिन लोगों ने मांग की है उस विषय में सुन्दर बताने वाले माननीय मन्त्री बतावेंगे कि वहां ....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री किशनलाल शाह।

प्रश्न संख्या १५४

नावां तहसील में सन् १९५४-५५ में चोरियें एवं अपराधियों की गिरफतारी

श्री किशनलाल शाह—क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नावां तहसील में सन् १९५४-५५ में कितनी नकबजनियां हुईं ?

(ख) उक्त नकबजनियों में से कितनी बरामद हुईं ?

(ग) उक्त नकबजनियों में से कितना माल बरामद हुआ ?

(घ) उक्त चोरियों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफतार किये गये, कितने मामलों का अदालत में चालान किया गया और कितने मामले पुलिस के पास विचाराधीन हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—नावां तहसील में सन् १९५४ में ३३ तथा सन् १९५५ में अभी तक १७ नकबजनी हुई ।

(बिना माइक के जोर से बोलने पर हंसी)

(ख) इनमें से ९ बरामद हुईं ।

(ग) इनमें रु० १२,२०६।०।० का माल बरामद हुआ ।

('बारह हजार बीस सौ छः' बोलने पर बाद में श्री कपिलदेव अग्रवाल द्वारा प्रश्न किया गया)

(घ) ९ आदमी गिरफतार हुए, ६ मामले में भेजे गये व ६ मामले पुलिस में जेर तफतीश हैं ।

('हियर हियर' की आवाज)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह "बारह हजार बीस सौ छः" कौनसी रकम है ?

श्री रामकिशोर व्यास—१२,२०६ रु० हैं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

Page No.43

प्रश्न संख्या १५५

करनपुर की घाटी के नीचे के इलाक में फोरेस्ट गार्ड्स की कमी

श्री धर्मचन्द—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) करनपुर की घाटी के नीचे के इलाके में कितने फोरेस्ट गार्ड हैं और क्या वें इतने बड़े इलाके के लिए पर्याप्त हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—इस समय एक फोरेस्ट गार्ड है। क्षेत्र के लिहाज से फोरेस्ट गार्ड बढ़ाने की कार्यवाही चल रही है।

श्री जवानसिंह—यह कब से कार्यवाही चल रही है राजस्थान बनने के बाद ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सर्वे अब हो रहा है और अब मालूम पड़ा कि कितने फोरेस्ट गार्ड रखने की आवश्यकता है। (अश्रव्य) स्टाफ का फिक्सेशन और स्ट्रेन्थ कायम हुई है।

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

प्रश्न संख्या १५६

गत छः माह में सिरोही मोटर सर्विस के मैनेजर द्वारा मार्ग में गाड़ियों का निरीक्षण

श्री जवानसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत छः माह में सिरोही मोटर सर्विस के मैनेजर साहब ने कितनी बार गाड़ियों का रास्ते में इन्स्पेक्शन किया ?

(ख) उपरोक्त इन्स्पेक्शन के सिलसिले में कितना रुपया टी. ए., डी. ए. के रूप में खर्च किया गया ?

(ग) उपरोक्त इन्स्पेक्शन में कभी कोई त्रुटि पायी गई या नहीं ? अगर हां, तो क्या ?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मन्त्री)—(क) सात बार ?

(ख) ५५ रु० ६ आने।

(ग) हां। निम्तलिखित त्रुटियां पाई गई। उनके सम्बन्ध मे प्रत्येक के सामने लिखी गई कार्यवाही की गई ;

श्री जवानसिंह—वह क्या है ? (विराम) वह जो त्रुटि पायी गई वह क्या है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी नकल भेज दी गई है यहां पर और मेरे ख्याल से वह नोटिस में मौजूद है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जवानसिंह—यह ख्याल आपका सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १५७

जिलिया ठाकुर (त० नावां) के यहां हुई चोरी में माल की बरामदगी एवं अपराधी की गिरफ्तारी

श्री किशनलाल शाह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिलिया ठाकुर (तहसील नांवा) के हुई चोरी में कितने रुपये बरामद हुए और शेष रुपये क्यों नहीं बरामद हो सके ?

(ख) उक्त चोरी के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) जिलिया ठाकुर के यहां चोरी हुई थी । पुलिस के पूरी कोशिश करने पर भी माल बरामद नहीं हो सका । मुल्जिम का पता अलबत्ता लगा लेकिन कोई सबूत न होने के कारण गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी । दौराने तफतीश यह अवश्य ज्ञात हुआ कि मुस्तगीस ने मुल्जिम से मिलकर लगभग नौ या दस हजार रुपये हासिल कर लिये ।

(ख) कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया ।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि दस हजार रुपये पुलिस की मार्फत किसी को मिले थे ।

श्री रामकिशोर व्यास—उनके आपस में कोई समझौता हुआ होगा, यह आपने सुना होगा ।

श्री किशनलाल शाह--पुलिस विभाग की ओर से इस प्रकार के ओर्डर्स हैं कि यदि ४० प्रतिशत केसेज़ बरामद न हों तो अफसर मुतल्लिक पर एक्शन लिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह है जरूर।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या इस तरह का आपसी समझौता अलाऊ करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने निवेदन किया था कि आपने सुना होगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५८

राजस्थान के वर्तमान चीफ कन्जरवेटर ओफ फोरेस्ट्स की योग्यता, कार्यकाल इत्यादि

श्री धर्मचन्द—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के मौजूदा चीफ कन्ज़रवेटर ऑफ फोरेस्ट की क्या योग्यता है ?

(ख) इनको कितना वेतन मिल रहा है ?

(ग) वे किस प्रान्त से बुलाये गये हैं और इनका कार्यकाल कितने समय का है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) श्री नरेन्द्रनाथ सेन, मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान वन विभाग रिटायर्ड इन्डियन फोरेस्ट सर्विस (आई०एफ०एस०) हैं।

(ख) इनका वेतन २२५० रुपये माहवार है। जिसमें से ८५०० रुपया सालाना पेन्शन काट ली जाती है।

(ग) वे उत्तर प्रदेश से बुलाये गये हैं। इनका कार्यकाल केवल दो वर्ष का है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५९

कुछ कस्टम इन्सपेक्टर्स के प्रमोशन का आधार

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will ths Minister for Separate Revenue be pleased to answer—(a) Have any of the Customs Inspectors recently been promoted to Grade one ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(b) If so, what are their names and length of service of each.

(c) What were the reasons for promoting those persons when the question of proper fixation of all the Inspectors is yet under consideration ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) कोई स्थायी तरक्की नहीं की गई है। कमिश्नर एक्साइज व टैक्सेशन ने गत मास तीन व्यक्तियों को प्रथम ग्रेड में ऑफिशियेट करने का अवसर दिया।

(ख) इन तीनों के नाम व सेवाकाल ये हैं :

		सेवाकाल
१.	जसवन्तसिंह लोढा	१८ साल
२.	श्री प्रियदर्शन	२३ साल
३.	श्री मन्नालाल आर्य	७ साल

(ग) सेल्स टैक्स के कारण जिम्मेदारियां बढ़ जाने और फर्स्ट ग्रेड में जगह खाली होने से चंद इन्स्पेक्टरों को प्रथम ग्रेड में ऑफिसियेट करने का अवसर देने के लिए डिप्टी कमिश्नरों ने अपने अपने डिवीजनों के विषय में कमिश्नर को सिफारिश की। कमिश्नर ने जोधपुर, कोटा और जयपुर डिवीजनों की सिफारशों में से इन तीन व्यक्तियों को अच्छी कार्यवाही आदि के आधार पर अस्थायी रूप से प्रथम ग्रेड का अवसर दिया। यह ऑफिशियेटिंग प्रबन्ध किसी की सीनियोरिटी पर असर नहीं डालता और स्थायी फिक्सेशन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कमिश्नर, कस्टम्स एन्ड एक्साइज विभाग ने अलग अलग डिवीजनों को लिखा कि वे अपने डिवीजन से पांच नाम भेजें ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह क्या सही है कि हर डिवीजन से जो पांच पांच नाम आये थे वे कुल मिलाकर २५ नाम होते हैं और उनमें से केवल इन तीनों के लिए लिखा कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—वे कहते हैं कि जानकारी में नहीं है, उनके पांच पांच नामों के बारे में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आये उनकी तो जानकारी होगी। उनके पास नहीं होगी।

श्री अमृत लाल यादव—उनके प्रश्न के उत्तर में जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि डिप्टी कमिश्नरों से सिफारिश आयी और कमिश्नर कोम्पिटेन्ट है कि उनमें से प्रोमोट करे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—डिप्टी कमिश्नरों ने उनके नाम रिकमन्ड करके भेजे और आपने कितनों को प्रोमोट किया ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मैंने बताया कि यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पी. एस. सी. ने उनकी लिस्ट सरकार को कब भेजी ?

श्री अमृतलाल यादव—आप कमिश्नर कह रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर ?

("डिप्टी कमिश्नर" की आवाज)

वह तो मैंने आपको पढ़कर बताया और तीन नाम पढ़े भी हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मंत्री महोदय बतावें कि पी.एस.सी. से उनको लिस्ट कब भेजी ?

श्री अमृतलाल यादव—यह अलग प्रश्न है। अलग प्रश्न करेंगे तो जवाब दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि पब्लिक सरविस कमीशन द्वारा भेजी गई लिस्ट का खयाल न करते हुए फेवरेटिज्म के इरादे से प्रोमोशन दिया गया।

श्री अमृतलाल यादव—यह सही नहीं है। इन्तजाम ओफिशियेटिंग है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जिनको प्रोमोट किया गया वे सीनियरमोस्ट हैं।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अर्ज किया कि इन लोगों को प्रोमोशन केवल सीनियोरिटी के आधार पर नहीं दिया गया, इसमें मेरिट्स और अन्य चीजें भी देखी जाती हैं और यह अस्थायी रूप से इन्तजाम किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सीनियोरिटी न हो, फिर भी प्रोमोशन के लिये चीफ मिनिस्टर का साला होना यह स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या उनके हक में जाती है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो सरासर जुल्म हुआ है, दो मिनिट और दिये जांय।

प्रश्न संख्या १६०

राजस्थान सरकार द्वारा सन् ५४-५५ में विभिन्न जिलों में बींजों का वितरण

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ५४-५५ के वर्ष में राजस्थान सरकार द्वारा किस किस जिले में कितना कितना अनाज बीज के निमित्त वितरण किया गया ?

(२) किस किस जिले में किस किस रेट पर कितना कितना अनाज बाढ़ी के रूप में सरकार द्वारा वसूल किया गया ?

(३) बीज वितरण में सरकार द्वारा प्रतिमन कितना खर्चा हुआ ?

(४) सरकार को बाढ़ी से जो लाभ हुआ है वह लागत पर कितने प्रतिशत रहा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(१) सन् १६५४-५५ के वर्ष में जिन जिन जिलों में बीज का वितरण किया था उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(२) इसके विषय की सूचनायें जिला कृषि अधिकारियों से मंगवाई गई है जो आने पर प्रेषित की जावेंगी।

(३) बीज वितरण में सरकार द्वारा प्रति मन ३ रु० से ४ रु० तक खर्च किये जाते हैं।

(४) यह बीज बिना हानि व लाभ के सिद्धान्त पर वितरण किया जाता है, अतएव लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री चान्दमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मेरी शिकायत यह है कि जिस सूची के लिये कहा गया है वह सदन की मेज पर रखी गई है। वह सूची मैं आज नोटिस ऑफिस में मांगने गया किन्तु वहां पहुँची नहीं। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जब कि मैंने यह प्रश्न ३ सितम्बर को यहां भेज दिया था, जिसको आज करीब २६ दिन का समय हो गया किन्तु माननीय मंत्री फरमा रहे है कि कुछ सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं तो माननीय अध्यक्ष, अगर ऐसा ही है तो हमें प्रश्न भेजने का ज्यादा समय दिया जाय; दो-तीन महिने की अवधि निर्धारित कर दी जाय ताकि हम जो कुछ पूछें उसका जवाब तो मिल सके।

रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, मैंने संलग्न तालिका कल शाम को ही नोटिस ओफिस में भिजवा दी थी, वह नोटिस आफिस में होनी चाहिये।

दूसरा माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि इन्फोर्मेशन पूरी नहीं दे रहे हैं तो इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि कई जिलों में कई तरह की व्यवस्था है, एक एक जिले में तीन-तीन प्रकार की व्यवस्था है। इसलिये कई जवाबात आने में देरी हो जाती है। फिर भी मैं माननीय सदस्य ने जो सूचना चाही है उसके प्राप्त होने पर सूचना जल्दी ही सदन के सामने पेश कर दूंगा।

राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५४ पर अध्यक्षीय घोषणा

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि दिनांक ४ नवम्बर, १९५४ को माननीय राजस्व मंत्री द्वारा राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५४ को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर श्री भैरूसिंह (१९) ने आगामी अधिवेशन के पहिले दिन तक विधेयक पर जनता की सम्मति प्राप्त करने का प्रस्ताव संशोधन के रूप में उपस्थित किया था जो सदन द्वारा स्वीकृत किया गया किन्तु १९५५ के अधिवेशन की कोई तिथि ज्ञात न होने के एवं उस समय सदन की बैठक भी नहीं होने से इस सचिवालय द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें ३१ जनवरी, १९५५ तक कलेक्टरों के पास सम्मति भेजने के लिये सर्व साधारण को सूचित किया गया। कलेक्टरों से जो सम्मतियां सचिवालय में समय पर पहुँचीं उनके उद्धरण सदस्यों के पास भेज दिये गये हैं। अतः मेरा यह प्रस्ताव है कि इस सचिवालय द्वारा जो तिथि निश्चित की गई है उसकी पुष्टि की जावे।

क्या सदन इस बात की पुष्टि करता है ?

(स्वीकृति)

सदन द्वारा पुष्टि की गई।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू बिल को पुनः सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया है, उसका मैं विरोध करता हूँ।

धारा सभा के सामने यह बिल करीब करीब दो साल से है और सिलेक्ट कमेटी ने, जिसके कि माननीय सदस्य (श्री हरिकृष्ण व्यास) भी मेम्बर थे। काफी मेहनत करके, काफी विचार करके यह रिपोर्ट सदन के सामने पेश की है। लेकिन आज दुबारा माननीय सदस्य बिल के सिद्धान्तों की बहस करके इस बिल को फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं जो किसी भी तरह से उपयोगी नहीं कहा जा सकता। इस पर बोलते हुए माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि इसमें समाजवाद की बातें

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

नहीं है, अगर हम इस बिल में समाजवाद को नहीं ला पायेंगे तो किस तरह से देश का भला होगा, ये सब बातें इस बिल के संबन्ध में बोलते हुए माननीय सदस्य ने कही हैं। इसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बिल ऐसा बिल है कि जिसमें समाज का फायदा हो सकता है और कल्याणकार कानून बन सकता है। एक तो समाज में परिवर्तन लाने वाला बिल टीनेन्सी बिल था जो एक्ट के रूप में आ चुका है और बहुत जल्दी ही लागू किया जायगा। यह तो लेन्ड रेवेन्यू बिल है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से मुकदमों की सुनवाई की जायगी। किस किस्म का दावा किस प्रकार से सुना जाय, किस अदालत को अधिकार होगा, कौन अपील कहां होगी, रेवेन्यू बोर्ड की जो व्यवस्था है उसके क्या कायदे होंगे, ये दो एक ऐसी बातें हैं जिन पर सदन में भी विचार किया जा सकता है। बाकी सारी बातें प्रोसीजर की हैं जिससे कोई खास फर्क पडने वाला नहीं है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि कई बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे कानून के विपरीत पड़ती हैं। मैं उनका ध्यान इस बिल के क्लॉज़ २ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है :

"Nothing in this Act shall be construed so as in any way to affect or restrict the operation of the provisions of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of jagirs Act, 1952 (VI of 1952) or the Rajasthan Lands Summary Settlement Act, 1953(XIX of 1953) or the Rajasthan Tenancy Act, 1955(III of 1955) or any other law or enactment not repealed by section 298."

तो मैं माननीय अध्यक्ष, यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो कुछ बातें कहीं वे एक प्रकार से निर्मूल थीं। एक बात इन माननीय सदस्य ने यह भी कहीं कि एक कानून के तहत हम किसानों को मकान बनाने के लिये जमीन देते हैं और मुफ्त देते हैं; उसके लिये सरकारी रूल्स भी बन गये हैं जो सरकारी गजट में शाया भी हो चुके हैं। उनका कहना है कि हम इस कानून द्वारा वे सब अधिकार वापिस ले रहे हैं। हमने रियायतें किसानों को दी हैं वे एक एक्ट द्वारा दी गई हैं, दूसरे एक्ट में वापिस ले रहे हैं ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मैं समझता हूं कि इसके क्लॉज़ २ के पढ़ने के बाद उनको पता चल जायगा कि उनकी यह दलील बिलकुल निर्मूल है, उनकी दलील का कोई वजन नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें स्पेसिफिकली पंचायत एक्ट का जिक्र होना चाहिये वह भी नहीं। मैं यह मानता हूं कि पंचायत एक्ट का इसमें जिक्र होना चाहिये और जहां तक मुझे पता है, जब इस बिल पर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार होगा उस समय भी इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट लाया जा सकता है और सरकार उस पर विचार करके मान भी सकती है। इसके अलावा जो कुछ दूसरी बातें कही गई वे कोई खास वजनदार नहीं हैं।

एक बात दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, जिसमें काफी वजन है। वह है रेवेन्यु बोर्ड से संबन्धित बात। रेवेन्यु बोर्ड रेवेन्यु कानून का सर्वोच्च न्यायलय माना जाता है, जिसकी रूलिंग रेवेन्यू के मामले में फाइनल होती है। वह न्यायालय ऐसा होना चाहिये जिसमें जुडिशियरी की तरह डिस्ट्रिक्ट जज के रेंक का आदमी हो।

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

यह सही है कि वे रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स आम तौर पर एग्ज़ीक्युटिव पोस्ट पर नहीं बदले जाने चाहिये या एग्ज़ीक्युटिव पोस्ट से रेवेन्यु बोर्ड के सदस्य नहीं होने चाहिये।

आज के प्रजातन्त्र के जमाने में अगर न्यायालयों की प्रतिष्ठा ऊंची करनी है और उनमें जनता का विश्वास कायम करना है तो यह जरूरी है कि हम रेवेन्यू बोर्ड ऐसा कायम करें जिसमें जनता का विश्वास हो, जिसमें जनता का कॉन्फिडन्स हो और मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं और पूरे जोर के साथ कि जब हम इस कानून में आगे बहस पर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पढ़ते हुए आगे रेवेन्यु बोर्ड की स्थापना के बारे में जो सैक्शन्स हैं, उनको रीड करते वक्त तरमीम लावें और यह बात कहें कि रेवेन्यु बोर्ड के ऑफिस होल्डर्स की यह परिभाषा होनी चाहिये, इनके अपॉइन्टमेन्ट्स या ट्रान्सफर्स एक पर्टिक्युलर ऑथोरिटी से होना चाहिये। तो यह सुझाव दे सकते हैं, पर सिर्फ इस वजह से इसको सिलेक्ट कमेटी में वापिस भेज दिया जावे, यह जरूरी नहीं है। यह हाउस में ही हो सकता है और वे तरमीम ला सकते हैं।

दूसरी बातें जो मुझे बतानी हैं वे हैं विलेज हैडमैन या चौकीकार के बारे में। इस पर अगर चौकीदार और पंचायत में कन्फ्लिक्ट है तो मैं कहूँगा कि इसे आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो कोई भी क्लॉज़ कॉन्फ्लिक्टिंग नजर में नहीं आवेगा। पंचायत एक्ट में लिखा है कि Government may have some authority.

तो इससे जरूर मालूम होता है कि पंचायतों को अधिकार देने का है, पर पंचायतें अभी तक शुरू शुरू में कायम हुई हैं इसलिए यह पता नहीं चला कि ये किस हद तक काम कर सकेंगी इसलिये कि पंचायतों की सिक्योरिटी नहीं है। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपया जो कलेक्ट किया जावेगा लगान के रूप में उस रुपये को कहां रक्खा जावेगा? उनके पास कोई तिजोरियां या सेफ तो हैं नहीं, उनके पास सेफ कस्टडी का इन्तजाम नहीं है। यह जब तक नहीं हो जाता तब तक ही रुकावट है। यह शब्द "May" इसलिये रक्खा है। जब सरकार यह समझने लगेगी कि पंचायतों का काम बहुत अच्छी तरह चलना शुरू हो गया है और अब उनसे कलेक्शन का काम भी लिया जा सकता है उस वक्त तरमीम कर दी जावेगी। पर अगर इस वक्त यह एजेन्सी कायम नहीं की जावे तो फिर वसूल कैसे की जावेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पंचायतों द्वारा लगान वसूली करना उचित नहीं, बल्कि शायद खिलाफ कानून भी होगा। इसलिये जो खिलाफवर्जी की जा रही है पंचायतों को यह अधिकार नहीं दिये जाने की यह गलत बात है।

एक दूसरी मांग है वह शायद उचित भी है। पटेल मुकर्रर किया जावे, एक एक गांव में एक किया जावे। इसमें यह नहीं ध्यान दिया गया कि किस गांव में कितनी आबादी है और कितनी रेवेन्यु का कलेक्शन है। दरअसल यह चीज़ ध्यान में रक्खी जानी चाहिये।

जैसा मैं कह चुका हूं इन छोटी छोटी बातों के लिए इसे वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजा

Page No.52

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

जावे, यह उचित नहीं है। जो तरमीम आप कराना चाहते हैं वह हाउस में ही कराई जा सकती है और जो आप कहना चाहें वह यहां कह सकते हैं, उस पर गौर किया जा सकता है।

इसलिये मेरी गुजारिश है कि जो तरमीम पेश की गई है और जो दलीलें उसके विपरीत मैंने दी हैं उन सब को मद्दे नजर रखते हुए इतनी मेहनत से तैयार किये गये इस सिलेक्ट कमेटी के बिल को वापिस नहीं किया जावे और उस पर यहीं क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन किया जाना चाहिये।

श्री वेदपाल त्यागी— माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष यह समस्या पेश है कि यह बिल जिस रूप में सिलक्ट कमेटी ने सदन के सामने रक्खा है उसको उसी तरह से क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जावे या जैसा कि मेरे मित्र जोधपुर से आने वाले सदस्य ने यह प्रस्ताव रक्खा है कि इसको पुनः सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे ताकि जो डिफेक्ट्स, जो भूलें इसमें रह गई हैं वे दूर हो सकें।

मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि आज के प्रोग्रेसिव जमाने में जब कि हम तरक्की करना चाहते हैं हमको लैंण्ड रेवेन्यू के कलक्शन में इसके एडिमिनिस्ट्रेटीव सिस्टम में तब्दीली लानी पड़ेगी। इस बात को मद्दे नजर रख कर देखने से पता लगता है कि वह पुराना दकियानूसी सिस्टम जो अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने कायम किया था आज भी चल रहा है। मेरे माननीय मित्र जिन्होंने कि अभी यह कह कर समाप्त किया, उनकी इस बात को मैं मानता हूँ कि रेवेन्यू बोर्ड जो कि हाइएस्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसको इस प्रकार से बनाया जाना उचित है, जिससे लोगों को रेवेन्यू के सम्बन्ध में जो इंसाफ करने वाली अदालत है उसमें विश्वास पैदा हो। रेवेन्यू बोर्ड के जो मेम्बर्स बनाये जाते हैं वे एग्ज़ीक्युटिव से बनते हैं, उन्हें एग्ज़ीक्युटिव ही अपोइन्ट करती है और वे वहां से हटाये जाकर दूसरी पोस्ट पर भी इसी एग्ज़ीक्युटिव बोडी द्वारा लगाये जा सकते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि एग्ज़ीक्युटिव के मातहत होकर इन्हें काम करना पड़ता है और इसके कारण से लोगों में जो विश्वास इस रेवेन्यू बोर्ड में जनता का होना चाहिये वह हो नहीं सकता। इसलिये निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि हाउस को इस बात में निर्णय लेना चाहिये कि जैसे हाईकोर्ट को हमने इन्डिपेन्डेन्ट बोडी बनाया है उसी तरह से रेवेन्यू बोर्ड को भी इन्डिपेन्डेन्ट बोडी बनाएं ताकि फिर ऐसा होने की कभी सम्भावना ही नहीं रह जावे कि अगर कोई फैसला एग्ज़ीक्युटिव के खिलाफ हो जावे तो वे उन्हें वहां से बदल कर दूसरी जगह नहीं भेजें। जिस तरह पी. एस. सी. का स्वतन्त्र बोर्ड बना है उसी तरह कॉन्स्टीट्यूशन में हाई कोर्ट का भी स्वतन्त्र अस्तित्व है और उसी तरह से रेवेन्यू बोर्ड को भी इन्डिपेन्डेन्ट बोडी होना चाहिये ताकि उसके मेम्बर इन्डिपेन्डेन्टली अपना निर्णय ले सकें क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड को काफी अधिकार दिये गये हैं रेंट रेट मुकर्रर करने के लिए और भी रेट्स हैं, एग्रीकल्चर रेट्स और दूसरी रेट्स हैं, तो इनमें वे फैसला करेंगे इसलिये इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी उनका होना अनिवार्य है।

[श्री वेदपाल त्यागी]

इसके अतिरिक्त जो विलेज के एडमिनिस्टेशन का सिस्टम रक्खा है वह दकियानूसी सिस्टम है, आज उस सिस्टम की हमें आवश्यकता नहीं। उसे अंग्रेजों ने हमारे देश में कायम किया इसलिये कि हरेक गांव में वे अपने सी. आई. डी जुटाना चाहते थे, जिसके जरिये से गांव को जितनी भी एक्टिविटीज़ हों उनका पता लगता रहे। उस अनुचित सिस्टम को हमने इस बिल के द्वारा फिर जारी रखने का प्रयास किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अब उसे बदलने की जरूरत है।

आज हमारे यहां पंचायतें बन गई हैं। पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन भी हर गांव से सम्बन्धित है इसलिए विलेज हैडमैन और चौकीदार रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ तवज्जोह मैं दिलाना चाहता हूं वह यह है कि लैण्ड रेवेन्यू का यह सिस्टम अंग्रेजों का कायम किया हुआ है।

आज हम देखते हैं कि दूसरे क्षेत्रों में टेक्सेशन का जो सिद्धान्त है वह यह कि जो जितना कमाता है उससे उतना ही लिया जाता है। पर यहां पर यह सिद्धान्त लागू नहीं है। अनइकोनोमिक होल्डिंग और इकोनोमिक होल्डिंग और बड़े होल्डिंग जितने भी हैं सब पर लैण्ड रेवेन्यू एक सा ही मुकर्रर किया जावे। मैं निवेदन करूंगा कि हमको इस सिद्धान्त को आज बदलना है। जो अन-इकोनोमिक होल्डिंग हैं, जहां लोगों को पेट पालने के लिए जमीन से पूरी पैदावार नहीं होती है उस पर लैंड रेवेन्यू नहीं रहना चाहिये। वह वैसा ही सिद्धान्त होना चाहिये जैसा कि इनकम टैक्स का है कि जितनी इनकम हो उसमें से जितनी उसकी आवश्यकता के लिए जरूरी है वह काटकर बाकी पर टैक्स लगे। इस बिल में मैं यह देखता हूँ कि वही पुराना सिद्धान्त जो अंग्रेजों ने कायम किया था उसी पर हमें आज की यह सरकार चलाना चाहती है। तो इस बदलते हुए जमाने में, जब कि कांग्रेस ने भी सोश्यलिस्टिक पैटर्न का नारा लगाया है और जब कि दुनिया भी बदलती जा रही है, अगर हम इन बिलों में नई चीजों का समय के अनुसार समावेश नहीं कर पाते हैं जिनकी कि नितान्त आवश्यकता है सोशलिस्टिक स्टेट बनाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, लोगों के सामने इस तरह का ढांचा खड़ा करने के लिए कि हिन्दुस्तान के किसान वर्ग को राहत मिले; गरीबों को राहत मिले और अमीरों पर टेक्सेशन करें, उन पर अधिक बोझा पड़े, तो हम अपने कर्तव्य से च्युत होंगे, देश के प्रति अपराध करेंगे और इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस पृष्ठ भूमि में इसको दुबारा प्रवर समिति के पास भेज दिया जावे तो बेहतर होगा कि वह इस सिद्धान्त पर विचार कर ले। हाउस में जिस प्रकार से क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन होता है उससे कहीं अधिक अच्छी तरह से प्रवर समिति में इस पर विचार हो सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि इसे मन्जूर कर लें और प्रवर समिति को दुबारा सुपुर्द कर दें।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव प्रवर समिति को दुबारा भेजने का हाउस के सामने रखा गया है इसको सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। जो सज्जन इस-

[श्री गोपीलाल यादव]

प्रस्ताव को रखना चाहते हैं वे यह कैसे आशा रखते हैं कि हाउस उनकी इस बात को तो मान लेगा, कि हां, इसमें यह कमियां ठीक हैं और उनको मानकर खुद हाउस उन पर विचार नहीं कर सकेगा, बल्कि विचार हो सकेगा प्रवर समिति में, क्योंकि प्रवर समिति में पार्टी व्हिप इश्यू नहीं होता है। मुझे इस प्रकार की दलील जो है वह इस कदर गलत नज़र आती है। अगर हाउस इस बात को मान ले कि वास्तव में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो पॉवर्स दी गई है वह कम या ज्यादा होनी चाहिए, तभी इसको प्रवर समिति में भिजवाना चाहिए और फिर प्रवर समिति में भिजवाने की आवश्यकता नहीं रहती है यदि हाउस मान लेता है, मेजोरिटी पार्टी मान लेती है; तो उसको यहीं ठीक कर दें।

इस बात में दो-तीन छोटी २ बातें उन्होंने और कहीं। मेरे एक मित्र ने कहा है कि बलाई रख दिया गया है। वह अगर हरिजन लोगों के सामने रखा जाय तो कितना बुरा मानेंगे। यह बलाई जाति नहीं रखी गई है। पहले एक जाति बनादी गई थी, लेकिन यहां एपॉइन्टमेन्ट ऑफ ए बलाई है उसके लिए ब्राह्मण भी एप्लाई कर सकता है कि मैं विलेज बलाई बनना चाहता हूँ। यदि वह ब्राह्मण विलेज बलाई बनाया जाना चाहेगा .....

श्री वेदपाल त्यागी—आप ही उसको यादवों में से निकाल देंगे, अगर कोई यादव बलाई बन गया तो।

श्री गोपीलाल यादव—सुनिये। इस प्रकार कोई भी आदमी किसी भी पोस्ट पर एप्लाई कर सकता है। कहीं सफाई के काम के लिए जरूरत है तो यह जरूरी नहीं है कि भंगी ही एप्लाई करे। ब्राह्मण भी करेगा तो उसको तनख्वाह मिलेगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सारी की सारी चीजें होंगी। मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ इस बिल के खिलाफ बताई है वह बगैर सोचे-समझे कही गई है।

केवल एक सबसे पहली चीज़ कहूँगा। लेन्ड रेवेन्यू लगान जो लिया जायगा, उसके लिए सुझाव भेजे गये हैं। एक साहब कह रहे थे कि तीन साल का एवरेज, क्रोप का इन्स्पेक्शन कराकर या कुछ हर साल का एक्सपेरीमेंट कराकर होना चाहिए। मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि इस तरह से इस बिल में रखा गया है कि जो पहले ओरीजिनल क्लाज़िज़ थीं वे इसमें छपी हुई हैं, उनके ब्रैकट लगा हुआ है। बाद में तब्दील की हुई जो है वह छपी हुई हैं और वे अन्डरलाइन्ड हैं। पढ़ने वाले समझे नहीं हैं। किसी ने ऊपर का पढ़ लिया है और किसी ने नीचे का पढ़ लिया है। उन्होंने नहीं सोचा कि लेन्ड रेट की दर यह रखी है कि पिछले बीस सालों का एवरेज लगाया जायगा। पिछले बीस सालों के एवरेज में १० साल का एवरेज ऐसा निकलेगा कि जिनमें चीज़ों का भाव बहुत सस्ता था। २० साल में कुछ महंगा निकलेगा। आखिर नतीजा यह है कि वह एवरेज आ जायगा जो कि एक बीघे पर एक रूपया या बारह आने लगान लेनी चाहिए। अब जो लगान लिया जा रहा है इस वक्त में वह २० साल के एवरेज पर है। १, २, या ३ साल के एवरेज से

[श्री गोपीलाल यादव]

लगाते हैं तो नतीजा यह है कि कहीं ८) रु० या ७) रु० फी बीघा, यह हिसाब लगान का पिछले ३ साल से लगता है। वह लगान कायम रखते हैं तो किसान बरबाद हो जायगा। इसलिए गवर्नमेंट ने दो कानून निकाले हैं। एक पिछले सेशन में बना लिया, लेन्ड रेट्स को रिवाइज़ करने का पास कर लिया है। दूसरा अब यह तय करने वाला है कि किस तरह से रिवाइज़ किया जाय। बीस साल का एवरेज लेने पर बहुत से मित्र कहते हैं कि उसमें इस चीज़ को देखा जायगा कि जागीरदार क्या लेता था, लेकिन जागीरदार क्या लेता था उसका कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि " To over ride the clause " उसके आखिर में लिख दिया है, कि किसी भी सूरत में १।६ से ज्यादा होगा नहीं। कम कितना ही हो सकता है, १।१० या १।३६ भी हो सकता है। जिन्होंने १, २, ३ साल का निवेदन किया था, जितना कम लगान लिया जाय उतना इसमें होना चाहिए। सेटलमेंट के रूल्स और रेंट के रूल्स बनाये हैं। हम लोगों ने जो खास तौर से किसानों की तरफ से आये हैं, वे जानते थे कि इस वक्त क्या मुसीबत है? सिलेक्ट कमेटी के सामने वे चीज़ें रखीं, और सिलेक्ट कमेटी के सभी मित्रों के इत्तफाक से इस चीज़ को माना कि इस तरह का नियम बनाया जाय जिससे कि किसानों का बोझ घटे। अब मेरी समझ में यह नहीं आया कि कानून दकियानूसी किस तरह से है? क्या मतलब है दकियानसी का कि यह अंग्रेजों के ज़माने पर एप्लाई करता है? लेकिन इस कानून का कुसूर नहीं है। हिन्दुस्तानी मेन्टेलिटी इतनी दकियानूसी है कि अब भी हम सब घर में या प्राइवेट में वही काम करते हैं जो अंग्रेज़ हमें सिखा गये हैं, किसी काम में जरा भी नहीं बदले हैं। यहां भाषण देते हैं तो २० शब्द अंग्रेज़ी के बोलने लग जाते हैं। इस असेम्बली में काम कर रहे हैं तो ठीक उसी ढंग से कर रहे हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता था। तो मेरा निवेदन यह है कि अकेले कानून का कुसूर नहीं है। सबसे पहले अगर यह बिल अंग्रेजी तरीके से आया हुआ था तो आप एक नया बिल कोई भी साहब सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश कर देते कि देखिये प्रोग्रेसिव बिल इस प्रकार का होना चाहिए, तो मैं खुद दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी उस पर विचार करती। अब भी कोई मित्र उन चीजों को पेश नहीं कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिव या कम्युनिस्ट तरीकों का बिल इस तरह से होगा। अब भी लायें तो विचार करने को तैयार हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि उधर की बेन्चेज़ के, कांग्रेस की बेन्चेज़ पर जितने भी आदमी हैं उनकी सबकी इच्छा है कि किसानों का बोझ कम किया जाय। सोशियेलिस्टिक पेटर्न वह बनाया जाय, लेकिन इसमें तो उन चीजों से कोई संबंध नहीं है। किसानों का संबंध टिनेन्सी से है। टिनेन्सी को इतना सोश्यलिस्टिक किया गया है, किसानों को राहत दी गई है। जो बिल अंग्रेजों के जमाने में था उसकी शक्ल बदली गई है। यह लेन्ड रेवेन्यू कलेक्शन का है। इसमें यह है कि जमीन के लिटिगेशन किस तरह से कम हों। इसके अन्दर किसानों को राहत मिल सकती है। लिटिगेशन को कम करने के कई तरीके सुझाये हैं कि तीन अपीलों की २ अपीलें रह जायं। नीचे के अफसर इतने योग्य हों, इतनी मेहनत से काम करें कि बाद की दूसरी अपील की जरूरत ही नहीं हो, सिर्फ एक अपील हो या रिवीज़न से काम चल जाय। रेवेन्यू बोर्ड जैसी संस्था जो ज्यादा मजबूत बनाया जाय। मैं खुद मानता हूँ कि रेवेन्यू बोर्ड के किसी आदमी को तब्दील करना, यह किसानों के साथ अन्याय होगा,

[श्री गोपीलाल यादव]

उनके ऊपर एक किस्म का बड़ा भारी आघात होगा। आज मैंने सुना कि रेवेन्यु बोर्ड के एक सदस्य को कमिश्नर बनाकर जोधपुर भेज दिया गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसी चीज आजकल के युग में हो सकती है कि एक आदमी को कहीं भी भेज दें। जो वहां काम कर रहा है उससे जूनियर को यहां रख दें। यह चीज ऐसी है जिसको कि कांग्रेस का हर आदमी महसूस करता है, चाहे किसी क्वार्टर की गलती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इसको स्वीकार करेगी और हाई कोर्ट के मुकाबले में रेवेन्यू बोर्ड को बनायेगी। एक दफा रेवेन्यु बोर्ड के अन्दर मेम्बर पहुँच गया तो तनख्वाह २०००) रु० से कम नहीं मिलनी चाहिए और ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इम्पीचमेंट वगैरह असेम्बली में उसके खिलाफ हो तो राजप्रमुख से प्रार्थना की जाय कि उसको हटा दिया जाय। जब तक इस प्रकार का रेवेन्यु बोर्ड नहीं बनेगा तब तक कोई शक नहीं कि पूरे तौर से आशा कर सकते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। जितना ऑपोज़ीशन वाले महसूस करते हैं उतना ही गवर्नमेंट बैन्चेज़ भी महसूस करती हैं। अब सवाल है कि यह बिल दुबारा सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। आप की इस दलील के अनुसार इसमें सुधार होना चाहिए। यदि वह सुधार होगा तो हाउस उसे मान लेगा। जिस वक्त यह प्रस्ताव आयेगा तो इसके खिलाफ व्हिप इशू नहीं होगा, यह आशा हाउस से जरूर रखनी चाहिए। यह आशा जरूर रखनी चाहिए हरेक व्यक्ति को कि यह चीज़ हाउस में पास हो जायगी। इसलिए इस चीज में समय लगेगा। आगे यहां जो अच्छी २ चीजें हैं उनको रखा जाय, अच्छे २ एमेन्डमेन्ट रखे जायं। चाहे वे कॉम्युनिस्टिक या सोश्यलिस्टिक किसी तरह का पेटर्न समझें वे एमेन्डमेन्ट हमारे सामने रखे जायं, जिन पर कि हम विचार करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, इस सदन में कल से जब से यह प्रस्ताव विरोधी पक्ष के जोधपुर से आने वाले माननीय साथी ने रखा है कि इस लेन्ड रेवेन्यू बिल को इस सदन में अभी विचारार्थ न लिया जा कर वापिस उसी सिलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए, जिससे कि यह पा होकर सदन में आया है इसी पर बहस हो रही है। उन्होंने बड़ी लम्बी बहस की। उस बहस में यह बताने की उन्होंने कोशिश की कि इसमें कुछ सैद्धान्तिक कमियां रह गई हैं, और वह कमियां ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस के पुराने कमिटमेन्ट्स हैं या जो दूसरे देशों में कुछ लेन्ड रेवेन्यू सिस्टम्स हैं, ऐतिहासिक बेक-ग्राउन्डस हैं, उन बातों को देखते हुए इस बिल को जो इस सदन में इस स्वरुप में आया है, अभी आया है, उसमें कुछ कमियां हैं। उन्होंने अपनी बहस के दौरान में इन दो बुनियादी सिद्धान्तों की ओर इशारा किया जिसका विरोधी पक्ष के कई सदस्यों ने अपनी बहस के दौरान में समर्थन किया। वे जो दो मुद्दे हैं वे यह हैं। एक तो इस कानून में जो पटेल, पटवारी, नंबरदार या चौधरी का सिस्टम रखा है वह पुराना और दकियानूसी है और अभी के जमाने में जिसमें से हम गुजर रहे हैं वह इस बात की डिमान्ड नहीं करता कि वे सरकार के पुराने दलाल बने रहें। उनको दलाल कहा गया है, वे अब कायम नहीं रहने चाहिये और यह जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें अब वह पुराना सिस्टम फिट इन नहीं होता। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूँगा कि हम जिस ट्रान्ज़िशन पीरियड में से गुजर रहे हैं उसमें डेमोक्रेसी या प्रजातंत्रवाद के जो अलग अलग हिस्से हैं उनका सब तरह

[श्री गोपीलाल यादव]

से अलग अलग स्वरुप ग्रहण कर रहे हैं। हमने गांवों में ग्राम पंचायतें कायम की हैं। आगे हम उनको एपेलेट पॉवर्स देना चाहते हैं इसलिये तहसील पंचायतों को कायम करने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य—तहसील पंचायतें तो कायम तो हो चुकी हैं।

श्री **नाथूराम मिर्धा—(भाषण जारी रखते हुए)** पंचायत कानून को हमने इसी सदन में पास किया है। इसके अलावा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट भी इसी सदन ने पास किया है। उसमें एक धारा है कि गांवों में लेन्ड रेवेन्यू का कलेक्शन भी पंचायतों द्वारा किया जा सकेगा और सरकार जब वाजिब समझेगी तब जिन पंचायतों से लेन्ड रेवेन्यू का कलेक्शन करवाना वाजिब समझेगी उनको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार देगी। सदन में इस तरह के कई माननीय सदस्य होंगे जिनकी अलग अलग तरह की राय आ सकती है कि अमुक अनुक पंचायतें इस काम को कर सकती हैं और अमुक नहीं कर सकती हैं। इसलिये यह प्रोविजन रखा था कि जैसे जेसे सरकार पंचायतों को इस काम के काबिल समझे वैसे वैसे उनको अधिकार दें। सरकार का और हमारा यह इरादा है कि डेमोक्रेसी ज्यों ज्यों जमती जाय उसी तरह से उनको अधिकार दिया जाय। लेकिन जब तक सरकार यह अधिकार सभी पंचायतों को नहीं दे सकती तब तक यह जरूरी हो जाता है कि सरकार को जो लैन्ड रेवेन्यु कलेक्ट करनी है वह किसी न किसी तरह से वसूल तो करनी पड़ेगी और उसे वसूल करने के लिये गांवों की कुछ एजेन्सीज़ से मदद लेनी पड़ेगी। कुछ एजेन्सीज़ तो मदद के लिये जरूर चाहिये और इसमें मदद देने के लिये जो चौधरी हैं या जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं; जैसे कहीं चौधरी कहते हैं, कहीं पटेल और कहीं नंबरदार कहते हैं उनको एक तरह से सरकार के दलाल बताना कतई सही नहीं है। इन्होंने सरकारी लगान वसूल करने में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया है। उनकी वजह से गांवों का एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा रहा है। हो सकता है कि उनमें से कुछ आदमी अच्छे नहीं हों, लेकिन यह कहना कि यह सिस्टम ही खराब है और ये लोग सरकार के दलाल हैं, यह बात मेरे ख्याल से बहुत सही नहीं होगी। उन्होंने हमेशा लेन्ड रेवेन्यु कलेक्ट करने में बहुत अच्छा पार्ट अदा किया है। इसलिये जहां तक ट्रान्ज़ीशन पीरियड चल रहा है वहां तक इसमें बहुत जल्दी करना उचित नहीं होगा। राजस्थान को बने सात वर्ष हुए हैं। इन सात वर्षों में हमने टीनेन्सी बिल पास किया है और लेन्ड रेवेन्यु बिल आपके सामने पेश किया है। टीनेन्सी एक्ट १०-१५ दिनों में लागू होने वाला है और उसकी तहत में नियम आदि भी बन चुके है। इस तरह से भिन्न भिन्न स्टेट्स में जो टिनेन्सी कानून चल रहा था उसको यूनिफॉर्म करने के लिये टीनेन्सी कानून बनाया गया और अब लैंड रेवेन्यु का कानून बनाने जा रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के लैंड रेवेन्यु के कानून चल रहे थे। उन सब में जो प्रोविज़न्स नहीं थे वे भी इस कानून में प्रोवाइड किये गये हैं। इसलिये जिस कमी को हम पिछले ७ वर्षों में महसूस कर रहे थे यह सदन उसकी पूर्ति करने जा रहा है। मेरे माननीय मित्र यह दलील देते है कि यह नंबरदारों का गलत है इसलिये इस बिल को वापिस प्रवर समिति को भेजना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि यह बात कभी उपयोगी नहीं होगी और सदन और दूसरे लोगों का इससे फायदा नहीं होगा।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

दूसरी दलील जो विरोधी पक्ष के सदस्यों ने दी है और यह बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया था कि सोश्यलिस्टिक पेटर्न की जो व्यवस्था हम करना चाहते हैं उसका कुछ स्वरूप इस कानून में लाने की कोशिश नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, यह कानून एक प्रिन्सिपल का कानून है। इसमें उन बातों और राइट्स का समावेश है जो आम लोगों को कानून के जरिये मिलने चाहिये। कोई इस कानून के अलग अलग चेप्टर्स को देखे तो यही व्यवस्था दिखेगी। इस कानून में यह कहा गया है कि हमारी लैंड रेवेन्यू का सिस्टम या तरीका क्या होगा, किस तरह से रेकॉर्डस रखेंगे, किस तरह से अपीलें होंगी, किस तरह से रेवेन्यु प्रोपर्टीज़ का पार्टिशन होगा, कहां मेप्स रहेंगे, कौन कौन ऑफिसर्स होंगे आदि; ये सारी बातें इस कानून में हैं। ऐसी सूरत में मैं समझ नहीं पाया कि बहुत से सदस्यों ने कैसे कहा कि इसमें सोश्यलिस्टिक पेटर्न का जो उसूल हमने मंजूर किया है उसकी झलक उनको इस बिल में देखने में नहीं आई। यह बताने की उन्होंने कोशिश की कि इस कानून में सोश्यलिस्टिक पेटर्न इस तरह नहीं पाया जाता कि लैंड रेवेन्यु का टेक्स एब्सोल्यूट टेक्स है, उसके इकोनोमिक होल्डिंग्ज़ पर भी टेक्स नहीं लगाना चाहिये। मोडर्न प्रिन्सिपल के अनुसार जिस आदमी की जैसी आमदनी है उसी के अनुसार जो स्केल्स बंधे हुए हैं उन्हीं के अनुसार टेक्स होना चाहिये। यह बताने की कोशिश की गई कि इनकम टेक्स जैसा है कि पर्टिकुलर लेवल के बाद में ज्यादा इनकम हो तो उसके अनुसार अलग अलग टेक्स जमा कराना पड़ता है। उसी तरह यही सिस्टम लैंड रेवेन्यु सिस्टम में भी लागू होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने एक टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन देश के बड़े बड़े इकोनोमिस्ट्स का बनाया था। उस टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तीन वोल्यूम्स में चंद महीनों पहले हमारे देश की पार्लियामेन्ट और सरकार के सामने पेश की थी। मैंने भी थोड़ा इस रिपोर्ट को देखा है। आज तक हमारे मुल्क में टेक्सेशन का क्या ढांचा है, टेक्सेसन के सही प्रिन्सिपल्स क्या हैं और उनकी दृष्टि कोण से किन किन से टेक्स वसूल करना वाजिब या उचित है और कौन कौनसा इंसिडेन्स किन किन लोगों पर किनना और कहां कहां पड़ेगा, ये सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से टेबल्स के साथ बताने की कोशिश की है। इसमें एक लैंड रेवेन्यु का चेप्टर भी है। जोधपुर से आने वाले साथी ने कहा कि लेन्ड रेवेन्यु का जो सिस्टम है वह कई कारणों से चेन्ज करना चाहिये। कमेटी ने अपनी दलील में कहा है कि लैंड रेवेन्यु का जो सिस्टम है यह प्रोविन्शियल सिस्टम है; हमारे मुल्क में एक ढांचा जमा हुआ है और हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने इसके लिये एक पंच वर्षीय योजना शुरु की थी। आज हम दूसरी पंच वर्षीय योजना शुरू करना चाहते हैं। हमारे यहां के जो फाइनेन्सेज़ हैं उनके विषय में आप सदन के सदस्य अखबारों में खबर देखते ही होंगे। वे सारी बातें आपके सामने आती हैं। हमें बहुत ज्यादा रुपयों की जरूरत है। हम मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ाकर लोगों की आर्थिक हालत सुधारना चाहते हैं, स्टेन्डर्ड ओफ लिविंग को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे जैसे स्टेन्डर्ड ओफ लिविंग बढ़ेगा वैसे वैसे ही केपेसिटी ओफ पेइंग टेक्स भी बढ़ेगी। तो यह एक गोलाकार सरकल है। हमको बहुत से कामों की शुरुआत करनी है

[श्री नाथूराम मिर्धा]

उनके लिये हमको रुपयों की जरुरत है। हर प्रोविन्स अपनी अपनी पंच वर्षीय योजना बना रहा है। हर स्टेट में ज्यादा आमदनी लैंड रेवेन्यु से आती है। कह सकते हैं कि हर स्टेट की लैंड रेवेन्यु की इनकम २५ प्रतिशत से ३५ प्रतिशत तक जाती है। कम से कम लें तो भी १५ प्रतिशत तो है ही। जब हमारे देश की आमदनी का बहुत सा हिस्सा लैंड रेवेन्यु पर ही आधारित है तो ऐसे वक्त में हम यह सोचें कि इकोनोमिक होल्डिंग्ज़ पर हमको टेक्स नहीं लेना चाहिये। यह कहां तक उचित है? यदि इस रिपोर्ट को शुरू से देखें तो पता लगेगा कि आज इंसिडेन्स ओफ टेक्सेशन औसतन लैंड रेवेन्यु पर कम हुआ है। जब से प्रजातन्त्रवाद कायम हुआ है, जब से अलग अलग जगहों पर जिम्मेदार हुकूमतें कायम हुई हैं तब से किसानों पर जो बोझ था वह अवश्य घटा है और जो इन्सीडेन्स था उसमे टेक्सेशन का इन्सीडेन्स भी होगा पर अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ को टेक्सेशन से फ्री कर देना चाहिये। इसके सिलसिले में यह बातें कहीं गई कि हम ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं जब हमें राष्ट्र के निर्माण के लिये ज्यादा से ज्यादा धन की आवश्यकता है, मुल्क के सब लोगों को इसके लिये ज्यादा से ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। इसलिये अगर स्टेट लैंड रेवेन्यु सिस्टम की चैंज करने के लिये अभी कदम उठाने को तैयार होंगे तो प्लान में जो रुपया है वह नहीं ला सकेंगे। आप कर के प्लान को पूरा करें, इससे मुल्क को फायदा होगा, मुल्क की दौलत बढ़ेगी और इसका असर हमारे समाज पर पड़ेगा। जिस मुल्क में पैसे की कमी हुई, जिनके आमदनी के जरिये कम हों, इस साउन्ड टेक्सेशन के प्रिन्सिपल से सोच सकें, यह टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। मैं मानता हूँ कि माननीय सदस्य जो सदन में मौजूद हैं वे सोचेंगे कि इस आर्ग्युमेंट में बहुत वेट है। अभी टिनेन्सी एक्ट में किसानों को कई बातों में काफी राहत दी गई है। यह कहना तो ठीक नहीं रहेगा कि कोई खामी नहीं रही, पर जिस ट्रान्ज़िशन पीरियड में से हम गुजर रहे हैं उसको देखते हुए काफी दिया है।

जो दो प्रिन्सिपल्स के पोइन्ट्स बता कर यह बात कही गई कि इस कानून पर अभी बात नहीं की जाय, वापिस प्रवर समिति में भेज दिया जाय; मेरे खयाल से उन सिद्धान्तों पर अच्छी तरह से चर्चा की है और यहां सदन में भी उन पर अच्छी तरह से चर्चा कर सकते हैं।

इसके आलावा विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कई बातें बहस के दौरा में कहीं और अलग अलग बातें अलग अलग बातों से जोड़ कर कहीं, जो इससे सम्बन्ध नहीं रखतीं।

एक बात यह कहीं गई कि रेवेन्यू बोर्ड का जो गठन है वह हाई कोर्ट के जजेज़ की तरह इन्डिपेन्डेन्ट होना चाहिये। आज रेवेन्यु बोर्ड के जो मेम्बर्स है उनको एग्ज़ीक्युटिव लाइन में ले लिया जाता है और जो एग्ज़ीक्युटिव लाइन के हैं उनको रैवेन्यु बोर्ड में ले लिया जाता है, यह ठीक नहीं है; इसे इन्डिपेन्डेन्ट बनाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, में ठीक तरह से इस अन्दाज को पूरी तरह नहीं समझ पाया कि वे

कि रेवेन्यु बोर्ड को इन्डिपेन्डेन्ट बनाने से क्या तस्वीर बनाना चाहते हैं, इसकी साफ तस्वीर किसी माननीय सदस्य ने नहीं बताई है, उसूल की बातें बताई हैं। जिस तरह के फंक्शन्स रेवेन्यु बोर्ड डिस्चार्ज कर रहा है और सदन में चर्चा चली है तो माननीय सदस्यों ने जोर दिया है कि यह मामला भी रेवेन्यु बोर्ड में रखा जाय। मैं मानता हूं कि जुडिशियरी के मामले, अपीलों के मुकदमे उनको देते हैं; इस मामले में रेवेन्यु बोर्ड बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट है, किसी तरह की कसर नजर नहीं आती ; पर कुछ एग्ज़ीक्युटिव मामले ऐसे हैं...

श्री अध्यक्ष—That is not the subject matter of this.

श्री नाथूराम मिर्धा—उन्होंने यह उसूल की बात बताई और दलील दी रेवेन्यु बोर्ड को इन्डिपेन्डेन्ट बनाने के लिये इस बिल को पुनः प्रवर समिति को भेजा जाय। इसलिये मैं यह सब बता रहा हूं। प्रवर समिति क्या करेगी ?

तो माननीय अध्यक्ष, इसके अलावा और कई बातें कही गई, पंचायत कानून को कन्फ्लिक्ट की बातें इसके क्लॉज़ेज को पढ़ कर बताने की कोशिश की। मेरी समझ में नहीं आता कि इस दलील पर इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये क्यों कहा जाता है? अगर सिलेक्ट कमेटी में थोड़ा बहुत दो-चार शब्दों का हेर फेर हो सकता है तो उसे इस सदन में बैठ कर ठीक कर सकते हैं, इसे वापिस प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये इस पर यहीं पर विचार कर लेना चाहिये और जो प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से रखा गया है उसे गिरा देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—आज दो रोज से श्री एच. के. व्यास ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उस पर विवाद चल रहा है और इस पर काफी विवाद हो चुका है। उन्होंने दो मुद्दे अपने अमेंडमेंट में रखे हैं जिनसे वे इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी में भिजवाना चाहते हैं।

पहली बात तो उन्होंने रखी है :

"that the Bill be—committed to the same Select Committee with direction to :

(a) provide for more democratic system in respect of village servants and village officers; and"

दूसरी बात उन्होंने यह बताई है कि :

"(b) provide for more scientific and equitable system of assessment of rent rates.";

Page No.61

[श्री दामोदर लाल व्यास]

उनका एतराज दो बातों पर है। जो विलेज सर्विसेज़ का इस बिल में है वह उनके ख्याल से डेमोक्रेटिक और सेटिस्फक्टरी नहीं है, दूसरी बात जो रेंन्ट रेट डिटर्मिन करने की है वह ठीक नहीं है। श्री एच. के. व्यास इस प्रवर समिति के सदस्य थे। जिस वक्त, रेंट रेट डिटर्मिन करने की और विलेज सर्विसेज़ की दोनों सेक्शन्स पर विचार किया गया और सिलेक्ट कमेटी ने फैसला किया था तो उस समय वे वहां मौजूद थे और उन्होंने किसी तरह के समाजवादी ढांचे का या कोम्युनिस्टिक ढांचे का सुझाव पेश नहीं किया और उनकी पूर्ण सहमति से, पूरी कन्सेन्ट से दोनों सेक्शन्स प्रवर समिति ने पास किये थे। फिर आज क्या बात हो गई है, आज वे यहां नहीं हैं। इन्हीं दो ग्राउन्ड्स के ऊपर इस बिल को वे प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं।

फर्क इतना है कि प्रवर समिति में प्रेस के साहबान नहीं थे और आज हाउस में मौजूद हैं।

बहुत सी बातें इन दो मुद्दों पर बहस के दौरान में उस ओर के माननीय सदस्यों ने कहीं, उनमें से बहुत सी बातों का माननीय सदस्यों ने जवाब दे दिया है।

एक बात यह कही गई है कि टिनेन्सी एक्ट में काश्तकारों को मकान बनाने के लिये जमीनें मुफ्त में दे दी जायेंगी और इस बिल में यह रखा गया है कि किसी को जमीन मुफ्त में नहीं दी जायगी। मैं इस बारे में यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस बिल के क्लॉज़ ३ में प्रवर समिति ने साफ किया है कि जो राइट्स काश्तकारों को टिनेन्सी एक्ट से दे दिये गये हैं उन राइट्स पर इस बिल का कोई असर नहीं होगा।

पंचायत एक्ट की धारा को कन्फ्लिक्ट करने की जो बात कही गई है वह गलत है। पंचायत एक्ट में जो प्रोविजन है, उसमें और इसमें कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो यह कहना कि पंचायतों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया हैं, वास्तव में उनको अधिकार दिया गया है। इसमें सरकार ने यह अधिकार दिया हैं कि सरकार जब चहे पंचायतों को लगान वसूल का अधिकार दे सकती हैं। लेकिन यह बात सही है कि अभी सरकार ने किसी भी पंचायत को लगान वसूली का अधिकार नहीं दिया है और लगान वसूली के लिये उचित नहीं समझा है। जब तक उनको अधिकार न दिया जावे तब तक यह प्रोविजन रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जावेगा तो यह लेक्युना रहेगा। आबादी की बात कहीं गई है। मगर मैं यह कहूँगा कि इसमें भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन पैदा नहीं होता। अगर आबादी के लिये पंचायतें काम करेंगी तो कोई बुरा नहीं है। जहां तक विलेज सरवेन्ट्स का सवाल है उसके बारे में यह कहा गया कि सरकार पुराने अंग्रेजी शासकों की तरह से कार्य कर रही है और अंग्रेजी सरकार की दलीलें दीं और कहा कि सरकार सी. आई. डी. रख कर जनता के अधिकारों को अपने पास रखना चाहती है और नम्बरदार की जगह ऐसी है जिसको आप ४६ दफा मुलाहिजा करें तो आपको मालूम होगा कि नम्बरदार आदि सरकार के लिये किसी प्रकार का सी.

[श्री दामोदरलाल व्यास]

आई. डी. का कार्य करेंगे और सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे, पर ऐसा नहीं है। वे लोग जनता के खिलाफ सी. आई. डी. का कार्य नहीं करेंगे बल्कि उनकी इस प्रकार ड्युटी रखी गई है कि जो पहले और अब भी जरूरी है। अगर कोई विलेज बाउन्डरी को प्रोटेक्ट करता है और कोई शख्स डेमेज़ करता है तो उसकी रिपोर्ट देना कोई सी. आई. डी. का काम नहीं है। किसी को अनड्यू कब्ज़ा नहीं करने देना उसका काम है। चारागाहें आदि पर किसी को दखल नहीं करने देना, उसका काम हैं। विलेज सरवेन्ट जमीन की और खाम की निगरानी करता है तो कोई बुरा काम नहीं है। इसलिये यह कहना कि ये लोग सरकार के लिये सी. आई. डी. का काम करेंगे और इस प्रकार की दलील सदन के सामने रखना, यह बिल्कुल गलत बात होगी। मैं तो यह कहूँगा कि उनका रखना बहुत आवश्यक है और उनकी जो इस प्रकार की डयूटी है वह बहुत आवश्यक हैं। इसके अलावा जहां पर चकबन्दी का प्रश्न हैं हमने काफी वाद-विवाद के बाद तय किया है और ऐसा तरीका अपनाया है कि जिससे किसानों को बहुत बड़ा हित होगा। आज शिकायतें आती हैं कि लगान की दरें बहुत ज्यादा मुकर्रर हो रही हैं, मगर जो नीति सरकार ने अपनाई है उससे यह शिकायत रफा हो जावेगी। २० साल पिछले की पैदावार की रेट्स के भाव थे उनको देख कर आज हमने तय किया है। इसमें बहुत सी बातें ध्यान में रखी गयी हैं और रखी जाती है। इन बीस सालों में अच्छे साल और बुरे साल, मंहगाई और सस्ताई के सभी भाव आ जाते हैं। इससे ज्यादा दूसरा अच्छा तरीका कौनसा होगा? श्री एच. के. व्यास यहां पर मौजूद नहीं है, उन्होंने इसकी आलोचना की मगर समाजवादी या कोम्युनिस्ट कोई भी तरीका उन्होंने सदन में नहीं बताया कि इसके अलावा दूसरा क्या अच्छा तरीका हो सकता है और वे क्या तरीका चाहते हैं?

कु० श्री जसवन्तसिंह—वह कोम्युनिस्ट तरीका बताते, तो आप क्या उसको मानते?

श्री दामोदरलाल व्यास—उचित होता तो मानते। इस पर प्रिविलेज कमेटी ने काफी विचार किया है और उसके बाद सदन में इसको भेजा है। अगर कोई सदस्य किसी प्रकार का सुझाव एमेन्डमेंट के तौर पर देना चाहेंगे, अगर वह वाजिब होगा तो उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन अब तक की बहस में कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है जिसमें यह कहा जावे कि जो इन दो मुद्दों पर एमेन्डमेंट पेश किये हैं उनके माना जावे। इसको वापिस दुबारा प्रवर समिति में भेजने से कानून जो हम चाहते हैं पिछले ७ सालों से कि जल्दी से जल्दी आवें उसमें ज्यादा देर होगी और किसानों और पब्लिक को भी इससे तकलीफ रहेगी, और कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि इन एमेन्डमेंटों को रिजेक्ट किये जावे।

कु०·श्री जसवन्तसिंह—रूस के बारे में तो कोई जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—That has been digested. Shri H. K. vyas is not present.

श्री जवानसिंह—Neither the vistor to Russia.

श्री बृजसुन्दर—He was not serious about it.

श्री अध्यक्ष—So I put it to vote

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने राजस्थान लैंड् रेवेन्यु बिल को फिर उस प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये रखा हैं उसे स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Ayes Have it, Sir.

श्री खेतसिंह—Noes have it, Sir.

(विभाजन घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लैन्ड रेवेन्यु बिल को फिर उसी प्रवर समिति के सुपर्द किया जावे।

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

(विराम)

कु० श्री जसवन्तसिंह को संबोधित करते हुए आप क्या डिविजन चाहते हैं ?

(कोई उत्तर प्राप्त न होने पर)

ना पक्ष जीता। संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यु बिल को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विराम)

Clause 3. There are many amendments to clanse 3. Shri Tansingh.

श्री चांदमल मेहता—जनरल डिस्कशन का मौका दिया जाय।

श्री तेजमल बापना—जनरल डिस्कशन का मौका दिया जाय।

(विराम)

दो रोज जो बहस चली है वह श्री एच. के व्यास के अमेन्डमेन्ट पर चली है। अब जनरल डिस्कशन का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—On the prineipies ?

श्री तेजमल बापना—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—After the principles were accepted, the Bill was referred to the Select Committee.

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा क्लॉज ३ में अमेन्डमेन्ट यह है,

"Substitute the word 'any' for the words, figures and brackets "the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952 (VI of 1952) or the Rajasthan Lands Summary Settlement Act, 1953 (XIX of 1953) or the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (III of 1955) or any other occurring in the clause."

मेरे इस संशोधन से यह मतलब है कि यह जो ओरिजिनल क्लॉज हैं उसमें कुछ कानूनों का प्रभाव बतलाया गया है, उनमें एक राजस्थान लेन्ड रिफॉर्म्स एन्ड रिज़म्पशन ओफ जागीर्स एक्ट, १९५२, दूसरा राजस्थान लेन्ड्स समेरी सेटलमेंट एक्ट और तीसरा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट है; उन कानूनों का असर नहीं होगा। यदि इस कानून के विरुद्ध दूसरे कानूनों में कोई बात हो तो उन कानूनों की बात पहले मानी जायगी और इस कानून की बात दूसरी मानी जायगी। तो ऐसी बात है कि यदि उनका नाम देना है तो फिर " any other law " से भी वही मतलब निकलता है। मेरे अमेन्टमेंट के अनुसार जो क्लॉज़ का रूप बनेगा वह ऐसा बनेगा ....

"Nothing in this Act shall be construed so as in any way to afect or restrict the operation of the provisions of any other law or enactment not repealed by section 298."

क्योंकि इन सारे शब्दों का आडम्बर जो इसके अन्दर रखा गया है, तीन कानूनों की लिस्ट जो इसमें दर्ज की गई है, सिर्फ " auy other law " से जो आपने बाद में लगाया है, इसमें

[श्री तनसिंह]

आजाता है। ये तीनों नाम इस जगह देने से कोई फायदा नहीं है। इनको हटा देने और "auy other law"से मतलब हल हो जाता है। चूंकि इन शब्दों का अपव्यय होगा इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—मैं इसका जवाब दे दूं।

यह अमेन्डमेन्ट, जो माननीय सदस्य ने मूव किया है, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसमें लिख दिया गया है कि ये लॉज़, राजस्थान लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट, १९५२, और राजस्थान लेन्ड समेरी सेटलमेंट एक्ट १९५३, और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५, चूंकि ये स्पेशल लॉज़ हैं जिनमें राइट्स दिये हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, इसलिए इनका प्रोविजन रखना जरूरी है और इनमें जो राइट्स कन्फर कर दिये गये हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा। आपने जो अमेंडमेंट रखा है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

(राज श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री तनसिंह—माननीय चेयरमेन, यह संशोधन स्वीकार नहीं है। यह बात तो मैं भी समझ सकता हूँ कि स्वीकार नहीं है। लेकिन यह क्या स्वीकार नहीं है, मैं नहीं समझ सका। यदि माननीय मन्त्रीजी समझा देते तो ठीक होता बजाय इसके कि यह कहना कि स्वीकार नहीं है क्योंकि जब एनी अदर लॉ जहां आता है वहां जितने कानून इस विधान सभा द्वारा पारित हैं और जो राजस्थान में लागू हैं वे सारे कानून उसमें आ जाते है और उसके अन्दर ये तीन एक्ट्स भी आ जाते हैं और ऐसी क्या आवश्यकता है कि इन कानूनों का उल्लेख करके और फिर "any other law" या "any other law for the time being in force." का उल्लेख करते।

ये रिपील्ड हुए हैं या नहीं हुए, या जो फॉर्म है, उन सब कानूनों का असर अपेक्षाकृत अधिक है, यही क्लॉज की मंशा है। राजस्थान लेन्ड रिफोर्म्स एन्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट, राजस्थान लेन्ड्स समेरी सेटलमेंट एक्ट और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, इन तीनों कानूनों के सिवाय और कोई नहीं रखना चाहते तो यह आवश्यक है कि "any other law or enactment not repeated by Section 298." को यहां से हटा दिया जाना चाहिये और अगर यह मंशा है कि यह रखना चाहिए तो फिर इन तीनों कानूनों को यहां रखने का कोई मकसद हल नहीं होता है। जो मन्त्री महोदय ने दलील दी है वह न्याय-संगत और उचित नहीं मालूम होती है। मैं तो समझता हूँ कि यह केवल शब्दों का अपव्यय है। अगर सदन की मन्शा है इनको रखने की तो मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—I want to move an amendment.

श्री सभापति—आपका तो कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अभी पेश किया है। इसमें पंचायत एक्ट और जोड़ दिया जाय।

श्री सभापति—But I have got no amendment before me. How can I allow ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I agree to this amendment.

श्री तनसिंह—It is not the question of one's giving and agreeing to a perticular amendment but is a question of proper notice.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैंने औचित्य को ध्यान में रखते हुए अर्ज किया कि तीनों एक्ट्स के लिये स्पेसिफिकेली प्रोवीजन इसमें किया गया है और चूंकि आगे चल कर बहस के वक्त पंचायत के विषय में भी धारायें आवेंगी और ऐसी धारायें हैं कि इन्टरप्रेट की जायंगी तो इसको एड करना ठीक होगा।

श्री सभापति—मैं समझता हूँ कि आपने जो कहा वह ठीक है। लेकिन मेरे सामने तो आपका कोई अमेन्डमेन्ट नहीं आया है।

श्री जवानसिंह....इसीलिए कहा था कि पहले इसको फिर सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय।

(हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह...It is exactly the point. If the Government insists that it should make wrong laws, we must make wrong laws. They have the votes with them but now we insist that no amendmeut can now be submitted. Let the world at large laugh at us to the laws we are makiug. Already we have been laughed at before the Courts, it is a fact.

श्री श्रीदास गोयल—पोज़िशन यह है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५ के में आगे है "or any other law or enactment not repealed"" यानि "Or any other law" के पहले राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के साथ साथ पंचायत एक्ट का भी यहां एक्सप्लेनेटरी कर दिया जाय।

श्री सभापति—अभी अमेन्डमेंट है नहीं, आप क्यों प्रेस कर रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चैयरमैन, यह अमेन्डमेंट विचारार्थ लिया जाय, उस पर मेरा एतराज नहीं है, परन्तु मेरी दरख्वात यह है कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने वाले प्रस्ताव पर फिर से वोट ले लिये जांय क्योंकि शायद सदस्यों की राय बदल गई हो।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह तो बदकिस्मती से नामंजूर हो चुका है।

श्री सभापति—क्या यह आपको स्वीकार है कि यह ले लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे कोई एतराज नहीं है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—We have objection.

श्री सभापति—I allow you to move.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मेरा यह अमेन्डमेन्ट है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट (थर्ड ऑफ १६५५) है उसके आगे राजस्थान पंचायत एक्ट और जोड़ दिया जाय यानि "or any other law" के पहले। इससे यह होगा, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि कई क्लॉज़ेज़ इस बिल में ऐसी होंगी जो कि पंचायत एक्ट के साथ साथ पढ़ी जा सकती हैं और इसीलिए इसका स्पेसिफिकेली यहां मेन्शन नहीं हो जायगा तो काफी असुविधा रहेगी। इसलिये यह और जोड़ दिया जाय।

श्री जवानसिंह—क्या केवल पंचायत एक्ट ये शब्द बढ़ा दिये जावेंगे या नम्बर वगैरह भी कुछ किया जायगा।

श्री तनसिंह—माननीय सदस्य, जिन्होंने अमेन्डमेन्ट रखा है वे पढ़कर सुनादें कि वे वर्ड्स क्या हैं अमेन्डमेन्ट के, किस प्रकार से रखना चाहते हैं।

श्री कपिदेव अग्रवाल—मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि क्लॉज ३ के अन्दर "राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १६५५ (थर्ड ऑफ १६५५) के आगे व "any other law" के पहले 'The Rajasthan panchayat Act 19S3" और इनसर्ट कर दिया जाय।

श्री जवानसिंह—एक्ट का नम्बर वगैरह नहीं रखेंगे।

श्री तनसिंह—मैं संशोधन का विरोध करना चाहता हूँ।

श्री सभापति—करिये।

श्री तनसिंह—माननीय चैयरमेन, माननीय सदस्य ने जो एक नया संशोधन रखा, उसे बिना बहस किये ही माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया। मैं संशोधन कर्त्ता महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या एनी अदर लॉ में राजस्थान पंचायत एक्ट नहीं आता है क्या। जब इसके अलावा सारे एक्ट आते हैं तो इसका स्पेसिफिकली नाम रखने की क्या आवश्यकता है? प्रस्तावक महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे तो उचित होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन, कपिलदेव जी ने जो

[श्री दामोदर लाल व्यास]

संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसके बारे में अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि स्पेसिफिकली इस एक्ट का उल्लेख यहां क्यों किया जाता है, इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि कुछ लॉज़ ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेसिफिक लॉ कहते हैं, जिनका संबंध लैण्ड रेवेन्यू से ज्यादा रहता है। वैसे ही लॉज़ को स्पेसिफिकली दर्ज किया जाय ताकि समझने में आसानी होगी। तीन एक्ट्स तो पहले से ही दर्ज हैं और अब इस संशोधन के जरिये पंचायत एक्ट १९५३ और दर्ज किया जाता है तो इससे समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। महज इसके दर्ज करने से क्लॉज़ का मतलब आसानी से समझ में आ जायगा, इसलिये इसको दर्ज किया जा रहा है।

श्री सभापति—क्लॉज़ संख्या ३ पर श्री तनसिंह जी का अमेन्डमेन्ट है, उस पर वोट लिये जाते हैं।

श्री तनसिंह—मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन की मन्शा है कि श्री तनसिंह को अपना अमेन्डनेन्ट वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—क्लॉज संख्या ३ पर श्री कपिलदेव जी का अमेन्डमेन्ट है। क्या सदन को यह स्वीकार है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ संख्या ३, एज़ अमेन्डेड, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज तीन, एज़ अमेन्डेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ४

श्री तनसिंह—माननीय चेअरमेन, मैं, इस क्लॉज संख्या ४ के सब क्लाज (२) को डिलीट करने का संशोधन रखा है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जनरल क्लाज़ेज़ एक्ट इस लेजिस्लेचर द्वारा राजस्थान के लिए अलग पास हो चुका है। इसलिये सेन्टर लेजिस्लेचर द्वारा बनाया हुआ १८६७ का कानून लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मेरा यह साधारण सा संशोधन है। आशा है माननीय राजस्व मंत्री इसे जरूर स्वीकार कर लेंगे।

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन, मैं श्री तनसिंह जी के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करता हूँ।

श्री सभापति—क्लाज़ नं० ४ पर तनसिंह जी ने जो संशोधन रखा है और जिसे मिनिस्टर इनचार्ज ऑफ दी बिल ने स्वीकार किया है वह संशोधन स्वीकार किया जाय।

जो इसके पक्ष में हों हां कहें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—केवल मंत्री महोदय के स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा पहले संशोधन पर मत लिये जायं फिर अमेन्डेड क्लॉज़ पर।

श्री सभापति—I put the cause as amendod to vote.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The amendment should first be put to vote and then the ciause as ameded.

श्री सभापति—क्लॉज ४ पर श्री तनसिंह ने जो संशोधन रखा, उसके लिये मत लिये जाते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है।

(स्वीकृत)

श्री तनसिंह का अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ४, एज़ अमेन्डेड, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ४, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ५

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमैन, मेरा संशोधन क्लॉज़ ५ में इस प्रकार है—
"Substitute the following for the marginal heading: 'Establishment and composition of the Board.'

चेयरमैन महोदय, ओरीजिनल बिल में क्लॉज़ पांच और ६ अलग अलग रखे गये हैं। जब इस प्रकार का यह क्लॉज़ सिलेक्ट कमेटी के सामने आया तो सिलेक्ट कमेटी ने यह तय किया कि क्लॉज पांच और छ एक कर दिये जायं और सिलेक्ट कमेटी ने यह भी तय किया कि इसको अमुक हैडिंग के नीचे रखा जाय जो हैडिंग मैंने अपने संशोधन में दिया है "Establishment and Composition of the Board" इसी तरह से सिलेक्ट कमेटी ने तय किया था। लेकिन जो बिल हमारे पास आया है, जिस प्रकार से सिलेक्ट कमेटी ने तय किया उस प्रकार का नहीं है। सिलेक्ट कमेटी ने जिस प्रकार तय किया उस प्रकार इस बिल में नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमैन, यह जो अमेन्डमेन्ट श्री चान्दमल मेहता ने रखा है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। सिलेक्ट कमेटी ने क्लॉजेज़ पांच-छ के लिये मार्जिनल हैडिंग के लिये लिखा था। यह तो सारे चेप्टर का हैडिंग है। "The Board of Revenue"; इसलिए रखा गया है कि इसमें महज एस्टेब्लिशमेन्ट एन्ड कम्पोज़िशन ऑफ दी बोर्ड का सवाल नहीं। इसमें बोर्ड की ड्यूटिज़, कम्पोजिशन ऑफ दी बोर्ड के अलावा भी और कई बातें की हैं। इसलिये माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह मुझे स्वीकार नहीं। इसको स्वीकार करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। इसके मानने से वह एस्टेब्लिशमेन्ट एन्ड कम्पोजिशन का चेप्टर माना जायगा और खास तौर पर यह चेप्टर बोर्ड के फंक्शन और ड्यूटीज़ के सिलसिले में है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जैसा हैडिंग है वैसा ही रहने दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे माननीय मित्र कौन सी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री के पास नई रिपोर्ट है क्या?

> Page 2 of the Report—"The Committee think that these clauses could be conveniently combined into one clause under the marginal heading, "Establishment and Composif the Board."

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—मेरा ख्याल है कि कुछ माननीय सदस्यों को समझने में गलतफहमी हो गई। मेरा उनसे निवेदन है कि मार्जिनल हैडिंग और मेन हैडिंग में फर्क समझने की जरूरत है। सिलेक्ट कमेटी ने Establishment and Composition of the Board इन दोनों को एक सेक्शन बताया, मार्जिनल हैडिंग द्वारा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मार्जिनल हैडिंग के बारे में सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह आप पढ़कर सुनाइये।

(कुछ उत्तर प्राप्त न होने पर)

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, ऐसा लगता है कि माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में तैयार होकर नहीं आये है और शायद इस वक्त जो आप कह रहे हैं ऐसी बात कह रहे हैं जिसके बारे में मैंने अपने अमेन्डमेन्ट में चर्चा ही नहीं की। जहां तक कि चेप्टर दो के हैडिंग का ताल्लुक है, मेरा अमेन्डमेन्ट मार्जिनल हैडिंग क्या हो, यह है।

और अभी जैसा जोधपुर से आने वाले मेरे माननीय सदस्य ने कहा तो जो कि पेज दो पर है इस तरह है :

"Clauses 5 and 6: The Committee think that these clauses could be conveniently combined into one clause under the marginal heading 'Establishment and Composition of the Board' and this has been done accordingly." तो यहां यह कहा गया है "has been done accordingly."

यह हुआ नहीं और यह किया जाने के लिए मैंने अमेन्डमेन्ट पेश किया है और माननीय मन्त्री महोदय तैयार होकर नहीं आये है तो वे और विचार कर लें, तैयार होकर न आने की वजह से इन्कार न करें।

श्री सभापति—I think it is a printing error.

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मै साफ बात जानता हूँ कि क्या उनकी यह मंशा है कि चैप्टर ...

श्री चांदमल मेहता—क्लाज़ ५ पर मेरा अमेन्डमेन्ट है। आपने अमेन्डमेन्ट ही नहीं पढ़ा कि क्लॉज़ ५ पर मैंने क्या कहा है। चैप्टर पर मैंने नहीं कहा वह यह है "Substitute the following for the margiinal heading:—Establishment and composition of the Board, और उसका मार्जिनल हैडिंग बतावें।

श्री दामोदरलाल व्यास—वह ठीक है। Marginal heading 'Establishment of the Board' is sufficient and comprehensive रखने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कहां कहां? माननीय चेयरमेन, इसका तो संशोधन रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह तो दूसरे में लिखा है। यह प्रिन्टिंग एरर रह गई है।

श्री सभापति—I think it is a printing error and it will be corrected.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to this clause:—Sub—clause (4) and the following proviso to the Sub—clause:—

"Provided that at least one member of each bench of the Board shall be an officer of judicial service and experience."

यह जो प्रश्न है यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है। चेयरमेन महोदय, मुझे बोलने दिया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी पहले जनरल डिस्कशन के दौरान में माननीय सदस्य का अमेन्डमेन्ट आया है, यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें बहुत से सदन के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा आपस में बातचीत करने का मौका दिया जावे और इसलिए इसको आगे के लिए डेफर किया जावे। यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये (श्री दामोदरलाल व्यास) क्या कहना चाहते हैं। पर यह समझ जाने के बावजूद मैं खड़ा रहा था। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर सदन में पहले माननीय सदस्य अपनी अपनी राय व्यक्त कर दें, कुछ बहस यहां पर हो जावे फिर इसको पोस्टपोन करें। मालूम तो हो कम से कम कि इसके बारे में सदन की क्या राय है। सिलेक्ट कमेटी में तो बहस होनी है।

श्री कपिलदेव—मालूम तो बाद में भी हो जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, यह तो सिलेक्ट कमेटी में भी आया है इसलिये मैं अमेन्डमेन्ट इसमें मूव कर दूं। माननीय सदस्य अलग से अपनी राय देना चाहें तो दे दें। सदन में पहले सबकी इस पर राय जानली जावे, फिर पोस्टपोन किया जाय। नहीं तो फिर हमसे कहा जावेगा कि सिलेक्ट कमेटी में सबकी राय ले ली गई है और यह सबकी राय से फैसला हुआ है, इसलिए इसको मन्जूर किया जाय। तो मैं अर्ज करूं चेयरमेन महोदय, कि क्यों डेफर करें आप इसे बगैर बहस के?

सभापति—जरा सलाह कर लेने दीजिये मन्त्री महोदय को।

(कुछ विराम के अन्तर)

श्री दामोदरलाल व्यास—इसको डेफर कर दिया जाना चाहिये। He can move his amendment and give a long speech on the next turn when the Chapter will be taken into coniderations. I think other members will also come more prepared.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On the next turn I am going to place another material point.

एक माननीय सदस्य—नहीं नहीं, आप सुनें तो सही।

श्री सभापति—मैं यह समझता हूँ कि बेहतर होगा कि इस चैप्टर के विषय में डिबेट यहां हो जावे ताकि सभी मेम्बरों की जो इच्छा है वह प्रकट हो जावे और फिर इसको हाउस के समझने में भी सुभीता होगा कि किस किस की क्या क्या राय है और इसका स्पष्टीकरण अभी होना ठीक होगा। डेफर तो होगा ही।

श्री दामोदरलाल व्यास—We have already taken sufficiently long time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ५ के सिलसिले में अर्ज कर रहा था। उसके पहले मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि चैप्टर का चैप्टर ऐसा है जो पोस्टपोन करावेंगे तो फिर इसमें अमेन्डमेन्ट नोटिस देने का जो समय है वह नहीं रहेगा और उसको एक्सटेन्ड कराने का जिम्मा उनके काबू में नहीं है कि वे ले लें और यहां बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं उनको और बड़ी परेशानी हो जावेगी। उनके लिए (श्री दामोदरलाल व्यास) तो "हां या ना" कहना है, पर हमें तो लिख लिख कर देना है। अगर लिख लिखकर नहीं भेजते हैं तो यहां पर गुलेटिन हो जाता है। तो यह स्पीचों की बात है नहीं, व्यवहारिक बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिये। यह है एक मुद्दे की बात।

अब असल जो प्रश्न है वह उतना गोलमाल नहीं है जितना उसको यहां बनाकर रक्खा गया है। इस पर अलग अलग ढंग से बहस हुई, कुछ सिलेक्ट कमेटी में भी हुई और बाहर भी और एक उसूल सदन के सामने आया है, जो यह है कि जिस बोर्ड को, मैं रेवेन्यू को एक पार्ट गिनता हूँ। रेवेन्यु के मामले में सर्वोच्च अधिकार देते हैं उस बोर्ड का कम्पोज़ीशन, अपोइन्मेन्ट, ट्रान्सफर इत्यादि के बारे में क्या रुख इस सदन का होना चाहिये और क्या रुख हमारा इस क्लाज़ के सिलसिले में होना चाहिये ? मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार का यह क्लॉज़ है उसमें केवल इतना ही उल्लेख है कि उनके क्वालिफिकेशन्स सरकार मन्जूर करेगी और जो क्वालिफिकेशन्स वह मुकर्रर करेगी उन क्वालिफिकेशन्स के मुताबिक ही नियुक्तियां होंगी, नियुक्तियां हो गई, इसके बाद ट्रान्सफर्स हो सकते हैं, हालांकि यह ट्रान्सफर्स टेक्निकली ट्रान्सफर्स नहीं गिने जायेंगे। यह उस नियुक्ति के अन्त होने की घोषणा गिनी जायगी और इसीलिये नेक्स्ट क्लॉज़ जो है उसमें इस बात का उल्लेख है:

"All the Members of the Board shall hold office during the pleasure of the Raj Pramukh."

ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि दो-दो, तीन-तीन महीने में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मेम्बर हो जाय, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि एक साल में २-३ चेयरमेन बदल जांय और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के मेम्बर को और कोई दूसरा काम बीच में दे दिया जाय। यह सब गुंजायश आज जैसी क्लॉज है, उसके तहत रहती है। कई माननीय मित्रों ने इसके बारे अपने विचार व्यक्त किये भी हैं जनरल डिस्कशन में लेकिन जो जनरल डिस्कशन्स के वक्त किये गे उनमें हम उन डिटेल्स में नहीं जा पाये कि जिन डिटेल्स का उल्लेख होना आवश्यक है और जिनके आधार पर क्लॉज़ बनाना आवश्यक है।

सबसे पहली चीज़ जो है वह यह है कि रेवेन्यु बोर्ड के निर्णय, उन निर्णयों और निर्णयों के कारणों की जो पद्धति है, जो प्रणाली है, उस प्रणाली की एक सीमा हमें बना देनी चाहिए। वह सीमा होनी चाहिए जुडिशियल तरीके की। अमूमन होता यह है कि रेवेन्यू के काम करने वाले जो एक्ज़ीक्युटिव ऑफिसर्स हैं चाहे तो वे कलेक्टर हों, चाहे वे कमिश्नर हों उनको रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया जाता है और जिन्होंने वर्षानुवर्ष नौकरी की शुरूआत से केवल एक्ज़ीक्युटिव का काम किया है, चाहे वह रेवेन्यू का हो लेकिन उसका स्वरूप एक एक्ज़ीक्युटिव के काम का स्वरूप है। उनके कार्य का तरीका जी हजूरी के कार्य का तरीका हो सकता है और होता है और यदि ऐसे लोगों को रेवेन्यु बोर्ड के अन्दर ले जाकर हम बैठा देते हैं, केवल ऐसी ही लोगों के बिना पर राज्य की सर्वोच्च रेवेन्यु की अदालत का कार्यभार उनके हाथ सौंप देते हैं तो उसका नतीजा यह होगा माननीय चेयरमेन, कि जैसे एक कमिश्नर को टेलीफोन पहुंच गया और जयपुर शहर के आसपास की जमीन का एलोटमेंट का मामला आया तो आंख मूंदकर कर दिया। जैसे एक कलेक्टर के पास टेलीफोन पहुंच गया और उसके कोई केस सामने जैसा आया, उसकी फाइल पर उल्टा-सुलटा हुक्म लगा दिया, वैसी ही स्थिति केवल रेवेन्यू बोर्ड में जाकर हो सकती है। इसका खतरा मौजूद है। इस खतरे को अगर दूर करना है तो न सिर्फ यह आवश्यक है कि रेवेन्यू बोर्ड के जो सदस्य हों उनको कम से कम अपनी नौकरी के मामले में पूरी खातरी हो; यह आवश्यकता जो है वह तो है ही, लेकिन केवल इतना ही आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक है कि किसी निर्णय के देने की वजह से उनके खिलाफ परोक्ष या अपरोक्ष रूप में कोई कार्यवाही नहीं हो पाये। लेकिन इन दोनों से ज्यादा आवश्यकता है कि उनको निर्णय देने की आदत तो हो। जिनको उम्र भर की खैरख्वाही की आदत हमने डाली है, जिनकी टेलीफोन से निकालने की आदत हमने डाली है, इस प्रकार उनको स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने की आदत हमने डाली है उनको यदि हम सर्वोच्च न्यायालय में ले जाकर बैठा देंगे, तो जो आदत है वह आदत तो बदलने वाली नहीं है। उसका नतीजा राजस्थान के लिए, यहां की कृषि के संबंधों के लिए, यहां के काश्तकारों के लिए बहुत ही भयानक और बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए यदि हम इस क्लॉज़ को फिर से ठीक ढंग से बनाने का प्रयत्न करेंगे तो वह प्रयत्न करने में एक विशेष बात का ख्याल रखा जाना चाहिये। यह मन्शा मेरे संशोधन की है। मैंने इस क्लॉज़ को रीड्राफ्ट करने के लिए सिर्फ संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है, कई बीसियों कमियां उस क्लॉज़ में होंगी उन सबको दूर करने के लिए ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन एक विशेष चीज़ की ओर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उल्लेख करने के लिए संशोधन किया है और वह यह है कि रेवेन्यु बोर्ड की जो भी बेन्च होगी, चाहे डिवीज़न बेन्च हो, चाहे फुल बेन्च हो; उसमें लगभग दो सज्जन बैठते हैं तो उन दोनों में से एक ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसको जुडिशियल सर्विस का ज्ञान हो, जो जुडिशियल सर्विस में से आया हुआ हो। यह बात सही है कि रेवेन्यु के काम का ज्ञान आवश्यक है और यह भी बात सही है कि जैसा कि अदालतों के अन्दर सिविल काम होता है, उससे थोड़ा सा भिन्न रेवेन्यु का काम होना लाज़मी है। इसलिए मेरा जो संशोधन है वह इस बात को ख्याल में रखकर प्रस्तुत किया हुआ संशोधन है। एक मेम्बर चाहे रेवेन्यु का ज्ञान रखने वाला हो एक मेम्बर जुडीशियल सर्विस वाला हो ; तो दोनों का आपस में मेल मिल जाने से एक समन्वय हो जायगा। उसमें रेवेन्यु के अनुभव का समन्वय हो जायगा। रेवेन्यु के अनुभव के साथ जी-हुजूरी की आदत जिसने सीखी है उसकी काट जुडीशियल सर्विस वाला व्यक्ति कर देगा और इन दोनों का समन्वय हो जाने से हमारी रेवेन्यु की अदालतों के काम का स्तर ऊंचा उठकर आयेगा हमारे सामने। यह मुख्य बात मुझे सदन के सामने प्रस्तुत करनी है।

यह कहा जायगा कि जुडीशियल सर्विस के लोग मिलेंगे कहां से और यदि मिल भी गये तो उनको रेवेन्यू का अनुभव क्या होगा और अगर रेवेन्यू का अनुभव उनको नहीं होगा तो फिर वे रेवेन्यू बोर्ड में बैठकर किस प्रकार का निर्णय करेंगे ! इस कठिनाई को पहले से ख्याल में रखते हुए मैंने अपने संशोधन में केवल इतनी ही मांग की है कि बेन्च जो हो उस बेन्च में से एक व्यक्ति जुडीशियल सर्विस वाला हो, दूसरा व्यक्ति रेवेन्यू के अनुभव वाला हो; तो कुल बेन्च में मुमकिन हो कि पांच सदस्य हो तो उनमें से तीन रेवेन्यु के अनुभव वाले हो जायेंगे। यह विशेष बात सदन के जरिये माननीय मंत्री महोदय के दिमाग में पहुँच जाय और यदि उनको जंच जाय तो मामला बहुत आसान हो जायगा। यदि उनको नहीं जंचे तो फिर बहुत उधर बैठने वाले माननीय सदस्य, जिनको रेवेन्यु बोर्ड के सामने जाने का मौका आता है तो अपने अनुभव का ख्याल रखते हुए वह कम से कम इसके बारे में ठीक राय देंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। यह तो बुनियादी उसूल की बात है वहां तक।

उसके अलावा जो कल आम बहस हुई थी और चूंकि यह क्लॉज पोस्टपोन होने वाला है तो मैं मानता हूँ कि रीड्राफ्ट होकर हमारे सामने आयेगा तो ऐसी स्थिति में और कई चीजों का उल्लेख उसमें हो जाने की आवश्यकता है, जो सूची जनरल डिस्कशन में यहां आ गई थी। माननीय राजस्व मंत्रीजी के निकट बैठने वाले नीम के थाने से आये हुए मेरे माननीय मित्र ने लगभग यही कहा था ; उनकी नियुक्तियों के बारे में, उनके एप्वाइन्टमेंट के बारे में, बहुत से ट्रान्सफर्स के बारे में, कि इस पर भी कुछ ऐसा प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा जिससे यह नहीं हो कि आज एक रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर है तो कल कमिश्नर बना दिया, तीसरे दिन स्पेशल ऑफिसर बना दिया, चौथे दिन ओ.एस.डी. बना दिया और इस प्रकार से जैसे रोलिंग स्टोन (Rolling Stone) होता है वैसा रोलिंग स्टोन वह बनता जाता है। मुझे इस बात की ओर विशेष ध्यान केवल इसलिये दिलाना पड़ता है कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

राजस्थान में ऐसा होता है कि जिस ऑफिसर के रिटायरमेन्ट के दिन नजदीक आते हैं, ४-६ महीने में घर बैठने वाला होता है, ऐसी स्थिति में कहीं उसको रखने के लिए अमूमन सहूलियत नहीं होती है तो जैसे अपने घर के अन्दर बर्तन होते हैं वैसे रेवेन्यू ऑफिसर्स को बना रखा है; रेवेन्यू बोर्ड में, कहीं दूसरी जगह अगर गुंजायश नहीं है कि उसको क्या काम दे, तो उसको वहाँ बिठा दो। तीन-चार महीने रहकर रिटायर हो रहा है, ऐसा हमने यहां कार्य किया है। ६-६, ८-८ महीने रेवेन्यू बोर्ड का एक मेम्बर बीमार रहता है और बीमारी की छुट्टी पर रहता है व उसके एवज में दूसरा मेम्बर मुकर्रर नहीं हुआ है; ऐसी प्रणाली हमने यहां रखी है और जैसा कि दांता रामगढ़ से आनेवाले मित्र कल कह रहे थे कि आज के रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन कल के कमिश्नर हैं; ऐसी भी स्थिति राजस्थान की कार्य-प्रणाली में हो चुकी है तो मेरा ऐसा ख्याल है कि उसूल के तौर पर यदि ज्युडिशियल सर्विसेज़ वाली बात मान ली गई तो बाकी कठिनाइयां आसानी से हल हो जायेंगी। सरकार के हाथ में नहीं छोड़ा जाय और बंधन डाल दिया जाय, इसमें सबसे अच्छी बात मैं ज्युडिशियलवाली मानता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि गंभीरता से इस संशोधन पर केवल विचार ही नहीं होगा बल्कि उसे मान लिया जायगा। मै अपना संशोधन सदन के सामने पेश करता हूँ।

श्री सभापति—क्लॉज़ नं० ५ पर श्री भैरूसिंह का संशोधन है।

श्री भैरूसिंह (डि० नं० १६)—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 5Sub-clause (2) substitute the word 'six' for 'three' ; sub-clause (4) : Delete the sub-clause and snbsitute the following :—

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमेन, इस अमेन्डमेन्ट का नोटिस नहीं है। He don't have any notice of this amendment

श्री भैरूसिंह—मैं पढ़कर सुनाता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—But where is the nmendment ? I want notice for such amendment.

श्री सभापति—We received this at 8-30 this morning.

श्री भैरूसिंह—अच्छी बात है तो सुनना चाहिये।

श्री सभापति—क्योंकि आपकी यह मंशा है कि इस पर सब के विचार सुन लिये जावें, ऐसी सूरत में मैं इजाजत देता हूँ कि वे अपने विचार प्रकट करें।

श्रीब्रजसुन्दर शर्मा—अपना अमेन्डमेन्ट तो बतावें।

श्री सभापति—पढ़कर सुना देंगे।

श्री भैरूसिंह—"A committee appointed by the the Government consisting of the Chief Justice as its chairman and the Chairman of the Public Service commission and the Chrirman of Revenue Board as its memders shall prescribe the qualifications of person who shall be eligible for appointment a as Chairman or Member of the Board'"

माननीय चेअरमेन, कल जिस समय इस सदन में इस बिल पर आम चर्चा हो रही थी उस समय भी मैंने इस विषय पर चर्चा की थी और यह उम्मीद कर रहा था कि माननीय राजस्व मंत्रीजी की ओर से आज इस पर कुछ इत्तला मिलेगी, लेकिन उन्होंने इस मामले में चुप्पी साधी। इससे ऐसा समझ सकते है कि मौन रहना स्वीकृति का लक्षण है, इसलिये राजस्व मंत्रीजी इसको स्वीकार करने के पक्ष में हैं। अभी उन्होंने बताया कि इस चेप्टर को Defer किया जाय, यह भी उनकी इस तरह की मंशा का द्योतक है। आज जो रेवेन्यू बोर्ड का स्वरूप है और आगे हम इस कानून से उसका स्वरूप बनाने जा रहे हैं ये दोनों ही संदेहास्पद हैं। इसमें संशोधन आवश्यक है। इस भावना को लेकर मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

राजस्थान में रेवेन्यू बोर्ड की एक सीट रखी है और वह होगी जयपुर में। जैसा कि मैंने निवेदन किया था हमको कमिश्नरों की आवश्यकता नहीं है। जब इनकी आवश्यकता नहीं होती है तो कमिश्नरों का काम करने के लिये रेवेन्यू कोर्ट में काम बढ़ेगा या काम की कमी होगी, यह हमें पहले यह जानना होगा। यदि कमिश्नरीज़ को एबोलिश किया जाता है और राजस्थान में मौजूदा जो डिवीजनों की सूरत है उसको मंजूर नहीं किया तो रेवेन्यु बोर्ड में काम अधिक होगा और उसके लिये ३ से ज्यादा मेम्बर बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसलिये मैंने अपने संशोधन में ३ के बजाय ६ मेम्बर करने का प्रस्ताव किया है।

हाई कोर्ट की सीट राजस्थान में दो जगह है: जोधपुर और जयपुर। मुकद्दमों की जो अपीलें होती हैं वे दो जगहों में से अपने अपने जुरिसडिक्शन में होती हैं। उसी तरह हमें सहानुभूति से सोचना पड़ेगा कि जब हम जुडिशियल केसेज़ की सुनवाई के लिये दो स्थान मुकर्रर करते हैं और कहते हैं कि जोधपुर और बीकानेर के लोग जोधपुर में जाकर न्याय प्राप्त कर लें और जयपुर के आस पास के लोग जयपुर जाकर अपना न्याय प्राप्त कर लें तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि जोधपुर और बीकानेर के लोगों के रेवेन्यू केसेज़ हैं उनके लिये वे जयपुर क्यों आवें? जोधपुर डिवीजन में जैसलमेर का रहने वाला आदमी मामूली केस के लिये जयपुर क्यों आवे? जयपुर आने-जाने में ही उसको इतना खर्च करना होगा जितनी कि उसके केस की कीमत नहीं है। हमारा सिद्धान्त यह है कि लोगों को सस्ता से सस्ता न्याय मिले और इस सिद्धान्त की पूर्ति के लिये हमको सारे उपाय काम में लाने पड़ेंगे। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो केवल जयपुर में रेवेन्यू बोर्ड की सीट रखी है वह ठीक नहीं है, हालांकि यह जरूर रखा है कि यदि सरकार चाहे तो किसी समय किसी भी मेम्बर को

[श्री भैरूसिंह]

या बेंच को आदेश दे सकती है कि वह फलां जगह जाकर निर्णय करे, लेकिन इससे लोगों को जानने में नहीं आयेगा कि शुरु में जो आवेदन एस. डी. ओ. या कलेक्टर के हुक्म के खिलाफ करना है वह वहां करे। उनको तो इस काम के लिये जयपुर ही आना पड़ेगा और रेवेन्यू बोर्ड के सामने दरख्वास्त देनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर यह निर्णय हो सकता है कि उसकी सुनवाई उदयपुर में होगी या जोधपुर में। ये सारी बातें अनिश्चित होंगी। मुझे पूरी आशा है कि, कल से जैसी चर्चा है, कमिश्नरीज की समाप्ति करने की सरकार की नीति बन रही है, इस प्रकार की सबकी भावना है। इसलिये हमको दो सीट्स रेवेन्यू बोर्ड की करनी होंगी; एक जयपुर में और दूसरी जोधपुर में। स्थान से मुझे कोई खास सरोकार नहीं है कि जोधपुर में हो, बीकानेर में हो या कोटा में हो। पुरानी राजधानियों के महत्व को बढ़ाने का सवाल भी राजस्थान सरकार के सामने है इसलिये इस विवादास्पद मामले में सरकार निर्णय दे सकती है : जोधपुर, बीकानेर, कोटा या दूसरी किसी भी जगह इसकी एक बेंच रहे। मैं इस स्थान के विवाद में नहीं पड़ना चाहूँगा। लेकिन यह सुझाव देता हूँ कि सस्ता न्याय देने के लिये एक स्थान जो रखा है वह अनुपयुक्त है। रेवेन्यू बोर्ड की सीट दो स्थानों पर रखी जाने से लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स की क्वालिफिकेशन्स क्या होंगी? कौन कौन व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको रेवेन्यु बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है? उनका सिलेक्शन करने की क्या व्यवस्था होगी? इसमें लिखा है कि सरकार इनकी योग्यता निर्धारित करेगी, उसी के आधार पर बोर्ड के मेम्बर्स का अपॉइन्टमेन्ट होगा। सरकार उसका निर्णय करे, इसके बजाय तो एक समिति बनाई जानी चाहिये जिसके चेयरमेन राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हों और उसके मेम्बर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन और मौजूदा रेवेन्यु बोर्ड के चेयरमेन हों। वे लोग यह देखेंगे कि कौन कौन सीनियर आफिसर्स हैं, उन्होंने किस किस प्रकार का काम किया है, उनको किस प्रकार का टेक्निकल ज्ञान है, जुडिशियल ज्ञान है या नहीं, कलेक्टर के पद पर कितने दिन रहा है, कमिश्नर के पद पर कितने दिन रहा है, सर्विस शीट में सरकार की तरफ से बुराई तो नहीं दर्ज है? इन सारी बातों को देखना होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन इन सारी बातों को देख लेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यह सोचेंगे कि जुडिशियल न्याय के अनुसार निर्णय करने के लिये किन किन चीजों की आवश्यकता है। उसकी पूर्ति करनेवाला सदस्य ही राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। ज्युडिशियरी की तरह रेवेन्यू बोर्ड में भी लोगों को न्याय मिले, इस प्रकार की विचारधारा को प्रेरित करनेवाली बातें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देखेंगे। उस ऑफिसर ने सरविस में आकर क्या क्या काम किया है, टेक्निकल ज्ञान क्या है; आदि बातें पी. एस. सी. के चेयरमेन देख लेंगे।

जो व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है उसका जुडिशियल माइन्ड है या नहीं, इसके लिये कौन व्यक्ति उपयुक्त हो सकता है, इस प्रकार की विचार-धारा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दे सकता है।

[श्री भैरूसिंह]

दूसरी बात रेवेन्यु बोर्ड के लिये कि कौन व्यक्ति उपयुक्त हो सकता है, रेवेन्यु बोर्ड का चेअरमेन इसका निर्णय देगा। तो इस प्रकार यह तीन आदमियों की कमेटी निर्णय देगी कि अमुक आदमी उपयुक्त है या नहीं, योग्य है या नहीं। सारी योग्यता निर्धारित करने का काम इन ३ आदमियों की बनी कमेटी को दे दें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। वैसे आर्बिट्रेरी पॉवर्स से सरकार चाहे कुछ भी कर दे किन्तु आम लोगों को यह सवाल पेश करने का मौका नहीं मिलेगा कि अमुक व्यक्ति ठीक तरह से बनाया गया है या नहीं। वैसे सरकार चाहे तो उस कमेटी को उसके काम में सहायता दे सकती है, सरकार भी अपनी राय दे सकती है, पर निर्णय करने का अधिकार, फाइनल रूप से प्रेस्काइब करने का अधिकार कि किन किन योग्यताओं वाला व्यक्ति रेवेन्यु बोर्ड का मेम्बर हो सकता है, इस प्रकार के अधिकार सरकार अपने पास न रख कर कमेटी को दे दें। कमेटी ने भी सरकार की ही है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सरकार का ही नौकर है, रेवेन्यु बोर्ड का चेअरमेन भी सरकार का ही नौकर है और पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमेन भी सरकार का नौकर है। यदि सरकार को इस बात का संकोच हो कि इस प्रकारकी ३ आदमियों की कमेटी को ये सारे अधिकार दे दिये गये तो फिर सरकार अपनी मन्शा के माफिक किसी भी गलत आदमी को नहीं ले सकेगी तो यह दूसरी बात है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के संकोच के कारण ही वह मेरे इस प्रस्ताव को नामन्जूर करेगी।

इसी सिद्धांत को लेकर मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो २ संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको गंभीरता से सोचे और स्वीकार कर ले।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेअरमैन, जोधपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने एक-दो संशोधन इस क्लॉज़ न० ५ में रखे हैं। उसमें यह उन्होंने कहा है कि एक मेम्बर कम से कम जुडिशियल सर्विस का होना चाहिये और एक दाता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन क्लॉज ६ में रखा है उसमें यह कहा है कि ३ के बजाय ६ होने चाहिए और दूसरी बात क्लॉज़ ४ में बिल्कुल संशोधन करने की बात कही है।

अब जो रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स को अपोइन्ट करने के पॉवर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास न रख कर ३ आदमियों की कमेटी, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रेवेन्यु बोर्ड के चैअरमेन और पब्लिक सर्विस कमीशन के चैअरमेन हों, इन तीन आदमियों की कमेटी फाइनल रूल्स बना कर तय करे कि रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स कौन कौन व्यक्ति हों। ......

श्री भैरोंसिंह—मैंने यह नहीं कहा कि कौन कौन व्यक्ति होंगे, मैंने यह कहा है कि किन किन योग्यताओं के व्यक्ति रहेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा—कौन कौन व्यक्ति रहेंगे, इसका मतलब यही है कि किन किन योग्यताओं के व्यक्ति रहेंगे।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

तो मेरे खयाल से माननीय चेयरमैन, यह जो तीनों सुझाव दिये हैं वे तीनों ही ऐसे हैं कि जिनको माना जाना ठीक नहीं होगा।

पहले क्लॉज़ में यह कहना कि कम से कम एक जुडिशियल अफसर हो और जिसके लिए यह दलील दी गई है कि जितने भी रेवेन्यु बोर्ड के सदस्य होते हैं वे एज़ीक्युटिव साइड के और एग्जीक्युटिव दियाग के होते है इसलिये, जूडिशियरी के तमाम प्रोसिजर से वाकिफ नहीं होते, जूडिशियल काम किस तरीके से होना चाहिए, इसमें अपने आपको पूरी तरह एड्जस्ट नहीं कर पाते और इस तरह ठीक न्याय नहीं कर पाते, यह दलील मुझे ठीक नहीं जंचती। मेरी समझ में एग्जीक्युटिव साइड के जो ओफीसर्स हैं उनको एग्ज़ीक्युटिव ओफिसर मान लेना ठीक नहीं, रेवेन्यु के प्रोसीजर के माफिक, जैसे कानून रेवेन्यु के बने हुए हैं उनके मुताबिक जैसा इन्साफ होना चाहिए वैसा इन्साफ वे देते हैं। सभी इसी तरह करते हैं कि जुडिशियल नेचर का रेवेन्यु का काम करते हुए एग्ज़ीक्युटिव ड्यूटी भी डिस्चार्ज करते हैं। तो यह मान लेना कि एग्जीक्युटिव साइड के जो ओफिसर्स हैं वे जिस तरह जूडिशियल साइड के ओफीसर्स इन्साफ करते हैं वैसा इन्साफ नहीं कर पाते जूडिशियल में रहने से पक्के इन्साफी बन गये, उनका जो फैसला होगा वह सही ही होगा और उसे कोई चेलेंज नहीं कर सकेगा, इसे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो जूडिशियल साइड के ओफीसर्स हैं वे हमेशा एग्ज़ीक्युटिव साइड से अनभिज्ञ हैं, यह मानना भी उतना ही गलत होगा। तो माननीय चेअरमैन साहब, यह सुझाव रखना कि इसमें कम से कम एक जुडिशियल साइड का ओफीसर रखा जाय, यह कोई महत्व नहीं रखता।

खास मुद्दे की बात यह है कि सरकार जिस किसी भी व्यक्ति को इस रेवेन्यु बोर्ड का सदस्य नियुक्त कर रेवेन्यु बोर्ड की बैंच में बिठाये तो यह सोच कर बिठाया कि यह हमारा सबसे ज्यादा इन्साफी, योग्य और सब से अच्छा इन्साफ करने वाला है, इसका पुराना रेकॉर्ड किस तरह का रहा है, यह इस पोस्ट पर बिठाने के योग्य है या नहीं। इन बातों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान सरकार रखती है, यह सोच कर ही यह काम किया जा रहा है।

हो सकता है कि किसी मेम्बर के बारे में लोगों की राय अलग हो। दो पक्ष के लोग बैठते हैं तो डिफरेन्ट तरह की बातें रखते ही हैं, ऐसी बातें होती ही हैं। इस लिए यह कहना कि इसमें ३ की बजाय ६ कर दिये जाने चाहिए और इसका कारण यह बताया कि रेवेन्यु कमिश्नर्स की व्यवस्था हमारे एड्मिनिस्ट्रेशन में है वह तोड़ देनी चाहिये और ऐसा करने से जो एडीशिनल कमिश्नर्स हैं उनके पास काम बढ़ जायगा यह भी एक दलील दी थी। तो माननीय चेयरमैन, बजट पर बहस के सिलसिले में भी पहले यह कहा गया है कि कमिश्नर्स पोस्ट ओफिस का काम करते हैं। जब से राजस्थान बना है रेवेन्यु ओफीसर्स, डिविजल ओफीसर्स, सब डिविजल ओफीसर्स तहसीलदार या इनका सबोर्डिनेट स्टाफ है उनको ट्रेनिंग की जरूरत रही है क्योंकि दूसरी पार्ट ए. स्टेट्स में जितना काम जमा हुआ है उतना पार्ट बी. स्टेट्स में जमा हुआ नहीं है, ऐसी सूरत में उनको ठीक तरह से

[श्री नाथूराम मिर्धा]

कन्ट्रोल करने के लिए कमिश्नर्स का सेट अप जो हमारे यहां है वह कुछ दिनों के लिये रहना जरूरी है, इसको इमीजियेटली हटाया नहीं जा सकता। तो ऐसी सूरत में इस समय ३ के बजाय ६ रखने का जो सुझाव है वह ठीक नहीं जंचता। सिर्फ उन्हीं पर छोड़ देना और सदस्यों की ओपीनियन को मान कर छाप लगा देना चाहिये, यह भी इस समय उचित नहीं होगा। राजस्थान की सर्विसेज के अपोइन्टमेंट्स के जितने पावर्स हैं वह गवर्नमेंट के पास होते हैं। जितने एक्सपर्ट बताये, जिनको जस्टिस का प्रतीक मानते हैं, उन ३ सदस्यों की, गवर्नमेंट के ये ३ आदमी हैं, उनकी राय ली जा सकती है, उनको पूछा जा सकता है, उनके काम-काज, रेकार्ड के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है और सरकार इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करके ही आगे चलती है। तो यह जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सरकार का जो रेवेन्यु बोर्ड का कोरम बनाना चाहिए और बनाये रखा है उसमें कोई रद्दो बदल कर देंगे। इसके अलावा माननीय चेअरमेन, मेरा यह सुझाव है कि रेवेन्यु बोर्ड के कन्स्ट्रक्शन में जिस तरह से ऑफीसरों का कोम्बीनेशन है वैसा कोई हाईकोर्ट में भी प्रोविजन है कि बाहर का भी अगर कोई फिट आदमी हो तो कम से कम एक आदमी लिया जा सकता है। इसी प्रकार कम से कम एक आदमी रेवेन्यु बोर्ड में भी लेने के लिये स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए कि एक आदमी बाहर से लिया जावेगा। एक सदस्य बाहर का और जितने तीन सदस्य या जितनों का प्रोविजन रखा है उतने सरकारी अफसरों को रखा जावे। यह सुझाव माननीय चेअरमेन, मैं आपके जरिये सदन में रखता हूँ और जैसा कि माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर ने कहा है वे इन मुद्दों पर छोड़ रहे हैं तो इस पर भी सोचेंगे और ऐसा हमें प्रोविजन बनाना चाहिये और जिस तरह से हाई कोर्ट की बैंचों में जाकर बार का एडवोकेट बैठता है, जिसको अनुभव होता है, उसी प्रकार कम से कम बाहर के आदमी के लिये भी इसमें प्रोविज़न रखा जावे, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड जो कि रेवेन्यू के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय है वह कैसे बने उसके अधिकारियों की क्या योग्यता हो, कौन अपोइन्ट करें उन अधिकारियों को और कौन उनको वहां से हटाये। मेरे ख्याल से अभी जो माननीय मिर्धा जी ने अपने विचार प्रकट किये हैं वे सही नहीं हैं। प्रजातन्त्र के लिये यह बड़ा आवश्यक है कि जो जो अदालतें कायम की जावें या जो आधारभूत न्याय की व्यवस्था है उसमें किसी भी स्थिति में सरकार का हस्तक्षेप न हो।

यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आज के रेवेन्यू बोर्ड के माननीय सदस्य एक प्रकार से एग्ज़िक्युटिव ऑफिसर हैं। उनको अपने कोर्ट का, यानि रेवेन्यू कोर्ट का काम अवश्य दिया है कानून के मुताबिक, मगर फिर भी वे सरकार के एग्जिक्युटिव ऑफिसर हैं जिन्हें जब चाहें सरकार इधर से उधर बदल सकती है। ऐसी स्थिति में हम यहां ऐसी बात कहते हैं कि एग्ज़िक्युटिव से जुडिशियरी को अलग किया जावे। रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू लॉ के लिये जुडिशियरी है, मगर फिर भी उसको किसी तरह से एग्ज़िक्टियुव अधिकार दिये गये हैं। आज एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि

Page No.82

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

उनके पास कुछ एग्जिक्युटिव, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर और जुडिशियल मैटर हैं। अगर सरकार का ख्याल हो कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में कठिनाई आ सकती है और जिस स्मूथनेस से काम को आप चलाना चाहते हैं उसको चलाने के लिये आपने उनको यह काम सुपुर्द किया है। ऐसा है कि रेवेन्यु बोर्ड का ज्यादातर काम तो अदालती ही है लेकिन सरकार ने अपनी सहूलियतों के लिये उनको दूसरा यह काम दे दिया है। अगर सरकार यह समझती है कि रेवेन्यू बोर्ड जो प्योरली जुडिशियल है यदि उसको प्योरली जुडिशियल समझती है तो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव काम वापिस ले सकती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड का एक काम तहसीलदारों के तबादले आदि करना है। यह तो हाई कोर्ट में भी होता है। दूसरा काम रेवेन्यू बोर्ड का है एसेसमेंट की रेट को रिवाइज़ करना और इस संबंध में अपनी राय गवर्नमेंट को देना। मैं समझता हूँ कि यह जुडिशियल काम है, उसमें किसी प्रकार से किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। तीसरा काम है उनका कोर्ट ऑफ वार्ड्स का। यह भी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। अगर वे चाहें तो इस काम को सेक्रेट्री या कलेक्टर या किसी दूसरे अधिकारी के मार्फत करवा सकते हैं। उनके एग्जेक्युटिव वर्क में बाधा पड़ती है, इस लिहाज से हमको जुडिशियल ऑफिसरों को रखना उन कामों के लिये ठीक नहीं होगा। आम जनता में यह विश्वास कायम रखना है कि अगर वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय की मांग करे तो उसको न्याय मिलेगा और वह न्याय की मांग कर सकती है। ऐसा हमें विश्वास लोगों में पैदा करना है। जो लोग यह सोचते हैं कि जिस प्रकार रेवेन्यू बोर्ड की व्यवस्था है उससे न्याय नहीं मिलेगा तो उनकी धारणा गलत है। गलत हो चाहे सही हो, मगर फिर भी हमें विश्वास पैदा करना होगा कि उनको न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट में उसको ओनेस्टी, इन्टग्रिटी और जजमेंट में प्रत्येक आदमी विश्वास करता है और उनको विश्वास है। उसी तरह हमको रेवेन्यू कोर्ट में भी विश्वास पैदा करना होगा। वह तभी होगा जब ऐसे आदमी रखे जावेंगे जिनके तबादले और एपोइन्टमेंट में किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड का काम ज्यादातर फैसले देना होता है, हमको उस स्थान पर ऐसी युक्ति के आदमी रखने होंगे जिनको तजुर्बा मुकदमों के फैसले करने का हो, जिनको कानून का भी काफी अनुभव हो। ऐसा हो सकता है कि जो एडवोकेट बार में होते हैं और जिनको १५ साल या १० साल का एक्सपीरियन्स होता है और जिनकी कानून में अच्छी योग्यता होती है उनको हाई कोर्ट में लेते हैं। उसी प्रकार एडवोकेट भी रेवेन्यू बोर्ड के कम्पलसरी मेम्बर हों। यह भी व्यवस्था की जा सकती है कि तीसरा आदमी आई० ए० एस० हो सकता है, जिसको जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन में तजुर्बा हो और जिसकी काबिलियत में और ईमानदारी में किसी तरह का शक और शुबहा नहीं हो। यदि इस प्रकार के आदमी बोर्ड में हों तो इसमें जनता का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। मगर जो कानून आज हम बना रहे हैं उससे जनता को जितना फायदा होना चाहिये नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि कमिश्नर के लिये जो कहा जाता है कि कमिश्नर का ऑफिस बेकार है, इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर हम लैंड रेवेन्यू बिल पर बहस कर रहे हैं और

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

ऐसी सूरत में कमिश्नर के ऑफिस के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। हमारा प्रश्न यह है कि रेवेन्यू मेटर के लिये रेवेन्यु कमिश्नर की आवश्यकता है। इस संबन्ध में कइयों का यह ख्याल हो सकता है कि यह सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम करता है। एस्टीमेट कमेटी ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है। कइयों का ख्याल हो सकता है कि अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नया है और इसलिये कुछ समय तक के लिये यह कायम रहना चाहिये क्योंकि यह कलेक्टर और सरकार के बीच एक प्रकार का चैक है। क्लेक्टर की रेवेन्यू मामलों में अपील एडीशनल कमिश्नर के पास जाती है और उसका फंक्शन प्योरली जुडिशियल हो जाता है। मैंने ध्यान से इस बिल को पढ़ने की कोशिश की है और मैं यह समझता हूँ कि तहसीलदार की अपील एस०डी०ओ० के पास और उसकी दूसरी अपील क्लेक्टर के पास और उसके बाद एडीशनल कमिश्नर के पास हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं है।

क्योंकि तहसीलदार के पास बहुत छोटे छोटे मामले जाते हैं और यह लाजमी भी है कि अगर हम किसानों की मदद का खयाल रखते हों तो डिविजनल कमिश्नर के पास उनकी अपील नहीं होनी चाहिये। डिवीज़नल कमिश्नर्स के हैडक्वार्टर्स तो हैडक्वार्टर्स पर हैं और एक यदि छोटा सा मामला भी डिवीजनल कमिश्नर के पास जायगा तो किसानों को काफी असुविधा रहेगी और ऐसा मामला तो क्लेक्टर्स के पास तक ही पेश किया जा सकता है। सेकिन्ड अपील रेवेन्यू बोर्ड के पास जा सकती है। ऐसी सूरत में अगर कमिश्नर्स और एडीशनल कमिश्नर्स से ये अपील्स लेली जांय तो कोई खतरा पैदा होने वाला नहीं है बल्कि इससे तो काफी सुविधा ही मिलेगी। नुक्सान तो किसी का होने वाला नहीं है। अतः मैं यह सुझाव देता हूँ कि माननीय मंत्रीजी इस पर खास तौर पर विचार करें क्योंकि उनका खुद का तजुर्बा है कि आजकल रेवेन्यू के कानूनों का किस तरह का इन्टरप्रिटेशन मिल रहा है और आम लोगों में, आम जनता में कैसे आ रहा है, वे इसके लिये विशेष दिलचस्पी लेकर करेंगे कि रेवेन्यू बोर्ड में वे आदमी होने चाहिए कि जो कि कानून समझते हों। मैं आपको बताऊं कि टिनेन्सी प्रोटेक्शन एक्ट पर ८ दफा फैसले हुए, सारी रूलिंग्स रिपोर्टेड थीं और वे एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी थी। यह कभी नहीं हो सकता था जब कि वहां जो मेम्बर बैठते थे उनको सारे पुराने कानूनों का और नये कानून जो पास हुए हैं उनका और ऐसे कानून जो दूसरी स्टेट्स में रायज हैं अगर उनका पूरा ज्ञान होता। मैं यह अर्ज करता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष, कि यह इसलिए हमारे लिए बड़ा आवश्यक है कि कम से कम हम सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा बनावें कि जिससे कि आम जनता में विश्वास पैदा हो, कानूनों का इन्टरप्रिटेशन जनता को सही मिले। यह मेरा सुझाव है और मैं समझता हूँ कि मंत्रीजी इस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह केलवा—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से ताल्लुक रखने वाले सब मुकदमें किसी सर्वोच्च न्यायालय के पास जायेंगे और उसका निर्णय अन्तिम होगा। मैं यह देखता हूँ कि रेवेन्यू साइड इतनी बढ़ती जा रही है और इसी के केसेज़, हो सकता है कि बड़े बड़े शहरों में,

[श्री भैरोंसिंह केलवा]

उदयपुर, जोधपुर के शहरों के नागरिकों के केसेज़ सिविल केसेज हों, लेकिन गांवों के लोगों के ज़्यादा केसेज़ रेवेन्यू केसेज होते हैं, रेवेन्यू केसेज का निर्णय करना, रेवेन्यू बोर्ड का ताल्लुक रहेगा। रेवेन्यू बोर्ड द्वारा निष्पक्ष न्याय दिया जा सके, उसके लिए वहां पर आदर्श लोग हों, आदर्श मेम्बर हों जो किसी तरह के दबाव में न हों और अपना न्याय अच्छी तरह से दे सकें, जो कि अत्यन्त आवश्यक है। इस वक्त जैसा कि इसमें प्रोविज़न है, इस वक्त जैसा कि रेवेन्यु बोर्ड का गठन है वह बिल्कुल एक्ज़ीक्युटिव से दबा हुआ है। इसी तरह अगर भविष्य में भी रखा जायगा तो न्याय की किसी तरह की आशा नहीं की जा सकती। न्याय के लिए, जैसा कि नियम है कि ज्युडिशियल अलग रखा जावे, एक्जीक्युटिव अलग रखा जावे; ज्युडिशियल अलग है; इसी तरह से इनके मेम्बरों को अगर एक्जीक्युटिव की तरफ देखना पड़ेगा, या मंत्रियों की तरफ देखना पड़ेगा अपनी स्थिति के लिए, अपने तबादले के लिए, तो यहां न्याय कदाचित ठीक नहीं रहेगा और अभी हमारे सामने दृष्टान्त आये हैं कि कमिश्नर बना दिया गया, ट्रान्सफर कर दिया गया तो मैं निवेदन करूंगा कि जो रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर हैं उनकी सिक्योरिटी रिटायरमेंट तक हो और वे ही तब तक वहां बने रहें, वे किसी विशेष कारण से हटाये जांय, न कि मामूली कारणों से, कोई विशेष बात हो, राज्य के खिलाफ कार्य होता हो या इनएबिलिटी हो, तो उस लिहाज से हटा दिये जांय; लेकिन जिस तरह की मामूली ट्रान्सफर्स होते हैं, मंत्रियों की इच्छा पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि उनको लाइफ टाइम तक जितना वे रहें उस पद से हटाया न जावे और उन्हें मालूम हो कि उन पर दबाव नहीं है। यह भी ध्यान में रखा जावे कि रिटायरमेंट के लिए दो-तीन महीने ही बाकी रहें। ऐसे व्यक्तियों को इस बोर्ड में न रखा जावे क्योंकि उनको तो गवर्नमेन्ट से डरना पड़ता है और अपनी पेन्शन का ही ध्यान रहता है। वे कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे आदमियों को जो रिटायरमेन्ट की स्टेज पर होंवे रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर न हों क्योंकि वे अपने भविष्य के बारे में, अपनी पेन्शन की चिंता में लग जावेंगे किन्तु ऐसे आदमी होने चाहिए कि जिन्हें पेन्शन का डर न हो, वे न्याय अच्छी तरह से दे सकेंगे, बाकी किसी तरह सिलेक्शन में में आ गये, कार्यकर्ता हैं, ऊपर से भेज दिये गये, तो वे शुद्ध न्याय नहीं दे सकते।

दूसरा सुझाव यह है कि बोर्ड एक जगह होता है। इसमें यह होना चाहिए कि यह एक सर्किल बोर्ड हो जो सब स्थानों पर जावे। अभी जिस तरह से यह उदयपुर बैठता है, कोटा बैठता है, तो यह कम्पलसरी नियमानुकूल रहे। इसमें ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि इस प्रकार का यह बोर्ड हो जिससे हरएक आदमी को, हर एक काश्तकार को सस्ता न्याय मिल सके और वह आसानी से मिल सके। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस बोर्ड के मेम्बर्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए, यह सर्किट बोर्ड की तरह से हो जो घूमता रहे, लोगों को न्याय देता रहे।

एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि इस बोर्ड में एक इन्डिपेडेन्ट आदमी हो, एक इन्डिपेन्डेन्ट वकील की हैसियत का हो, वही रखा जावे। इससे निष्पक्षता में लाभ पहुँचेगा। मैं इससे सहमत हूँ कि बोर्ड में एक आदमी अच्छे वकील वर्ग में से लिया जाय।

Page No.85

श्री त्रिवेणी श्याम—उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बहस चल रही है वह कम्पोज़िशन ऑफ रेवेन्यू बोर्ड पर है। आखिर यह देखना है कि रेवेन्यू बोर्ड से हमें क्या मतलब हासिल करना है और उस मतलब के लिए किस तरह का रेवेन्यू बोर्ड बनना चाहिए? बोर्ड का मतलब यह है कि लोगों को न्याय मिले। सोवेरिनिटी ऑफ लॉ रहे व कानून की इज्जत हो। इस तरह से कोई दूसरी मदालखत न हो सके। इस तरह की चीज हम चाहते हैं और न्याय, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई छोटा आदमी हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कानून का प्रबन्ध सब पर एकसा हो। यही हमारा मतलब है और इसी तरीके का रेवेन्यू बोर्ड बनाने से हमारा मतलब है।

इस तरीके से जब रेवेन्यू बोर्ड बनता है तो हमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि बोर्ड के मेम्बर की योग्यतायें क्या होनी चाहिये, उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिये। ये ऐसी बातें हैं जिनका होना निहायत जरूरी है। इन बातों के होते हुए अगर हम योग्यता का ख्याल न रखेंगे, जैसा कि आगे के क्लॉज में रखा गया है और सरकार को पॉवर्स दे रखे हैं वह जिस किसी को चाहे रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बना सकती है; बिना किसी क्वालिफिकेशन के इस तरह से यदि किसी व्यक्ति को फोर्स कर देती है तो आयन्दा चलकर गलतियां होने का अन्देशा हो सकता है। इसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर बनाये जाने मुमकिनात हो सकती है। इन मुमकिनात को दूर करने के लिये रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में और उनके हटाये जाने के बारे में तरीका रख दें तो कोई मुश्किलात नहीं हो सकती और सारी बातें काफी हैं। क्वालिफाइड हो सब तरह से, और स्टेबिलिटी का पूरा भरोसा हो तो वह व्यक्ति इसके मेम्बर की तौर पर ठीक तरह से कार्य कर सकता है और इस प्रकार लोगों को न्याय मिलने की ज्यादा सम्भावना हो सकती है। ऐसी सूरत में यह लाजमी हो जाता है कि सबसे पहली बात है वह यह है कि क्वालिफिकेशन रखने की जरूरत है, कम से कम भी लॉ ग्रेजुएट की तो क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिये एक रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के लिये। आज ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं और न क्वालिफाइड ही है वे भी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को मेम्बर बनाना चाहिये जो लॉ को खुद अच्छी तरह से समझता हो और दूसरों को भी समझाने की लियाकत रखता हो। यह जरूर है कि चेयर पर बिठाने के बाद चाहे कैसा भी वह हुक्म दे वह फाइनल हो जाता है। इससे यह होता है कि लोगों को न्याय मिलने की ज्यादा संभावना नहीं रहती, लोगों के साथ अन्याय होने का अन्देशा रहता है। सबसे पहले यह जरूरी है कि रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर के लिये एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरिएन्स का होना भी लाजमी है। एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ यह बात भी जरूरी है कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के मुकाबले जिसको १०-१५ साल का एक्सपीरिएन्स हो, तजुर्बा हो; ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिये ताकि पब्लिक को इन्साफ मिल सके, उसमें अन्याय की संभावना बहुत कम रहती है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इन्साफ नहीं कर सकता। गलतियां हो सकती हैं तजुर्बेकार से; जो फायदा मिल सकता है यह उसमें कमी रह जाती है। तजुर्बे

[श्री त्रिवेणी श्याम]

का फायदा इंसाफ करने में जरूरी है। मेरा यह मानना है कि ऐसी जगह के लिये १० और १५ साल के एक्सपीरिएन्स का होना जरूरी है। यह भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भी रखा जा सकता है जो कोर्ट के केसेज़ की डील करता हो और जिसको १०-१५ साल का अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को भी रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बनाया जा सकता है। अगर हम ऐसे स्थान पर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी के आदमी को रख देते हैं, चाहे वह कितना ही एक्सपीरिएन्स्ड हो वह रेवेन्यू के केसेज़ को अच्छे तरीके से डिसाइड नहीं कर सकता, वह जस्टिस नहीं दे सकता; केस वर्क को समझने वाला आदमी होना निहायत जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि हमारे यहां के कमिश्नर सेक्रेटरीज़ जिन्होंने कभी केसेज़ को डील नहीं किया, जिन्होंने सारी उम्र ओफिसियल वर्क ही किया या दूसरे तरीके के काम किये उनको यदि रेवेन्यू बोर्ड में उठाकर रख देते हैं तो उनसे इन्साफ मिलने की इत्मीनात कम रहेगी। यदि वे किसी का केस भी डिसाइड कर देते हैं तो उसमें इनजस्टिस की ज्यादा संभावना रहती है। १५ साल का केस वर्क का जिसको अनुभव हो या १०-१५ साल का स्टेडिंग एडवोकेट हो उनके इन्साफ में ज्यादा इत्मीनान रहता है इन्साफ का।

इसके साथ साथ जैसा कि राजप्रमुख को पॉवर्स दिये गये हैं कि वे मर्जी के मुवाफिक जितने दिन चाहें किसी को रेवेन्यु बोर्ड का चेयरमेन रख सकते हैं और हटा सकते हैं। इस एक चीज़ से पहले जितनी भी चीजें कही गई है वे सब खत्म हो जाती है। कितना भी किसी व्यक्ति को एक्सपीरिएन्स हो, कितनी ही एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन हो इस क्लॉज़ के मुवाफिक उनकी किसी प्रकार से स्टेबिलिटी नहीं। वे चाहे जिस किसी आदमी को हटा सकते हैं, वे चाहे जिस किसी को मदालखत कर सकते हैं, इन अधिकारों की वजह से भी लोगों को इन्साफ मिलने की दिक्कत हो सकती है। इनके लिये यह कानून में प्रोविजन होना चाहिये कि वे किसी कानून के जरिये हटाये जा सकते हैं। इसमें चाहे राजप्रमुख हो चाहे सरकार हो बिना कानून के उनकी टर्म ऑफ सर्विसेज़ को खत्म नहीं कर सकते, ऐसा प्रोवीजन भी होना चाहिये। इस प्रकार का कानून हमें बनाना चाहिये। उन्हें हटाना और उनको रखना कानूनी तरीके से ही होना चाहिये। इसी से उनकी स्टेबिलिटी हो सकती है और इन्साफ मिलने की ज्यादा संभावना है।

दूसरे इस प्रकार के सजेशन्स भी आये कि स्ट्रेन्थ कम हो या बेसी। इसके बारे में मैं अपने केस वर्क के हिसाब से और अपनी प्रेक्टिस के तजुर्बे से बताता हूँ कि कलेक्टर के पास आज जितने भी केसेज़ होते हैं उनकी क्या हालत होती है बरसों तक बिना इन्साफ के पड़े रह जाते हैं। जब कभी लोग अपने केस के फैसले के लिये जाते हैं तो कभी दौरे पर चल दिये या कभी भूस्वामी आन्दोलन में लगे हुए हैं इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। इससे होता यह है कि जितने भी मजिस्ट्रेटी के केसेज़ होते हैं वे एडजर्न हो जाते है दो साल के लिये। इससे कानूनी मन्शा खत्म हो जाती है। इससे जिनके मुकद्मे होते हैं उनको कितना नुकसान होता है, इस प्रकार यह चीजें ठीक नहीं रहती। केसेज़ का स्पीडिली डिस्पोज़ल हो यह चीज़ होनी चाहिये। इसलिये लाजमी बात यह है कि केस वर्क

[श्री त्रिवेणी श्याम]

जिसके पास हो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से दूर रखा जाना चाहिये। मेरा इससे यह बिल्कुल मतलब नहीं कि बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं रखा जाना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रखा जाय किन्तु प्रायोरिटी केस वर्क को दी जानी चाहिये। ५० कोस का फासला तय करके कोई व्यक्ति आता है, कितना पैसा खर्च करके आता है, उसको यहां आने पर हताश होकर वापिस लौट जाना पड़ता है तो यह बड़ी बेजा बात होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिना पार्टीज़ को इत्तला दिये कलेक्टर आदि दौरे पर चले जाते हैं। इसके लिये जो दौरे का प्रोग्राम हो, उससे यदि पार्टी को इन्फोर्म कर दिया जाय तो उनको हाजिर होने की जरूरत नहीं रहती। ऐसा इन्तजाम हो जाय तो लॉ सस्ता और सुलभ हो सकता है, यह जरूरी चीज़ है।

मैंने जैसा कि निवेदन किया मेम्बर्स की स्टेबिलिटी हो, एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन हो, राजप्रमुख को जो अधिकार दिये हैं हटाने के और मेम्बर के रखने के यह भी नहीं होना चाहिये। इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन पर पूर्ण रूप से विचार करके इस बिल को पेश करेंगे। इतनी बहस के बाद में इन सारे डिस्कशन्स का फायदा उठा कर फिर से पेश करेंगे। उन्हें चाहिये कि जितने अमेन्डमेन्ट पर डिस्कशन हो गया है उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए अमेन्डमेन्ट पेश करेंगे, जिससे रूल आफ लॉ हो न कि रूल ऑफ पर्सनेलिटी होनी चाहिये। इन सारी चीजों को रखकर ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज के बारे में काफी वाद-विवाद हो चुका है। इसके अन्दर एक अमेंडमेंट दांतारामगढ़ से तशरीफ लाने वाले सदस्य ने पेश किया है। यह देखने में काफी आकर्षक ही मालूम होता है लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह लैंड रेवेन्यु बिल जिस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया है और जिस प्रकार से सिलेक्ट कमेटी ने भी सदन के सामने रखा है उसके अन्दर वाकई में एक-दो बड़ी खामी रह गई हैं कि जिनको सुधारना बहुत ही आवश्यक है। आज की हमारी सरकार का जो न्याय देने का प्रोसीजर है वह बहुत ही रद्दी है और धीमें होने के कारण हम लोगों को अदालतों की खाक छानने में पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। यह मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अपील जाने से सौ में से दस केसेज़ में शायद वाजिब न्याय मिल पाता है पर ९० केसेज ऐसे हो जाते हैं कि जो कि बहुत जल्दी तय होने के लिए अदालतों में लाये जाते हैं उनमें इतना समय लग जाता है कि उनका फैसला होते होते उन मुकदमों के फैसले होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिये हम लोगों को इस बुनियादी बात को लेकर चलना पड़ेगा कि इस न्याय का जो तरीका है उनमें कुछ न कुछ बुनियादी तब्दिलियां करनी चाहिये। मैं मानता हूँ कि हमारे यहां का जो रेवेन्यु बोर्ड है उसके अन्दर अपोइन्टमेंट के तरीकों में, उसके अन्दर जो इस समय शिथिलता आ रही है उसको दूर करने के लिए कुछ परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है।

[श्री मानसिंह महार]

मेरे मित्र ने यह कहा है कि राजस्थान के रेवेन्यु बोर्ड के अन्दर ६ सदस्य होने चाहिये कम से कम मैं इस बात की ताईद करता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि वर्तमान एक्ट में रखा गया है कि कम से कम तीन सदस्य रक्खे जावें तो तीन को मैं बहुत ही कम और अनुपयुक्त समझता हूँ,

तीन सदस्यों से वही बात होती है जो कि आजकल हमें देखने को मिलती है। एक रोज मैं रेवेन्यु बोर्ड में चला गया तो वहां पर मैंने एक जोधपुर के परबतसर परगने के काश्तकार को एक्चुअली रोते हुए देखा। मैं गाली-बाली देने की बात नहीं कह रहा हूँ। पर वह सरकार को कोस रहा था। वह यह कहता था कि मुझे बड़ा कड़वा अनुभव है यहां का। उसने फिर कहा कि साहब, हमारे भाइयों भाइयों में डेढ़ बीघा ज़मीन के लिए तकरार हो गई, मेरे भाई ने मुझ से यह कहा कि तू मुझे यह ज़मीन दे दे और पांच सौ रुपया ले ले, मुकद्दमे बाजी मत कर। मैंने मेरा वाजिब हक लेने के लिए इसे स्वीकार नहीं किया और मुकद्दमा किया। मैंने मुकद्दमा शुरु किया तो मेरे भाई ने मुझसे यह कहा कि अगर ज़मीन रखनी है तो रख ले, मुझे इसके पांच सौ रुपया तू दे दे। पहले तो कहा, मैं उसे दे दूं पर बाद में कहा तू मुझे दे दे। तो मैंने फिर यही सोचा कि मेरा वाजिब हक है। मैं मुफ्त में रुपया क्यों दूं? और मैं अदालत के चक्कर में पड़ गया। वह एक्चुअली यह कह रहा है। इस इलाके से जयपुर आने जाने में और कोर्ट की तारीखों में दौड़ते दौड़ते वह पांच सौ रुपया नहीं देने से भी अधिक, करीब डेढ़ हज़ार रुपया उसका खर्च हो चुका है और फिर यह कहा कि इतना खर्च करने के बाद भी अभी तक तो मेरी सुनाई ही नहीं हुई है। तो यह यहां का तरीका है। इस न्याय में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है और मैं यह समझता हूँ कि जब हमारे राजस्थान में एक प्रणाली सी बन गई है कि मन्त्री लोग जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं और ऐसे मन्त्री लोग जो किसी पद पर बैठते हैं जो कि इन बातों को जानते हैं वे महसूस करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन कुर्सियों पर बैठते ही हमारे मन्त्री इस पुराने जाने पहचाने दर्द को भूल जाते हैं। यह बात समझ में नहीं आई। (हंसी)

इसलिये मैं यह समझता हूं कि कुर्सी का आकर्षण ही ऐसा है, यह बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आकर्षण जरूर नहीं है, पर यह रेड टेपिज़्म है। सचिव वगैरह भुलावे में डाल देते हैं, स्पेशल रेवेन्यु अफसर मुकर्रर कर दिये जाते हैं। यहां हमारे जयपुर राज्य के अन्दर रेज़ीडेन्ट वगैरह रहा करते थे। जो ब्रिटिश शासन के अन्दर मंजे हुए हैं, ऐसे आदमियों को एडवाइज़र कर दिया जाता है जो ब्रिटिश सम्राज्यवाद के सबसे बड़े पृष्ट पोषक थे उनको जब इनका एडवाइज़र बना दिया जाता है तो उनको एक ऐसे जाल में से निकालने के लिए तड़फड़ाते तो हैं, जैसा कि मन्त्रीजी की मधुर मुस्कान से हमे महसूस होता है, पर इनके बारे में मजबूर हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि वाजिब मांगें हैं उससे जनता को राहत हो सकती है, इसकी पूर्ति करनी चाहिये।

इसके अलावा मेरे मित्र ने यह बताया कि मेम्बर का अपोइन्टमेन्ट किस तरह से हो तो उनकी योग्यता

[श्री मानसिंह महार]

की बात पर भी ध्यान देना चाहिये और मैं तो यह समझता हूँ कि राजस्थान के रेवेन्यु बोर्ड को इतनी ही इन्डिपेन्डेन्ट बोडी होना चाहिये कि जितना हमारा हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के लिए आज कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि हाई कोर्ट में किसी तरह का दबाव देखा जाता है। तो हमको तो यह चाहिये और हमारा फर्ज हो जाता है कि कोई आदमी हम पर किसी प्रकार के लांछन लगाता है तो उन लान्छनों से हमें घबराना चाहिये नहीं, हम पर तो यह दिखा देना है कि जनता के द्वारा जो जो लांछन लगाये जाते हैं वे गलत हैं। वास्तविकता यह नहीं है। हम सब ठीक करना चाहते हैं, रेड टेपिज्म की गलती है वह भी हम दूर करना चाह रहे हैं—छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिये। तो इससे लोगों को सोचने का मौका मिलता है। इसलिये मैं समझता हूँ की इसको अपोइन्ट करने के लिए एक कमेटी हो। मैं यह नहीं कहता कि जो मेरे मित्र ने सजेस्ट किया है वही हो पर एक इन्डिपेन्डेन्ट कमेटी जरूर होनी चाहिये और उसके जरिये बोर्ड के सदस्यों को अपोइन्ट करना चाहिये। अब मेरे मित्र ने एक बात कही कि हमारे यहां रेवेन्यु बोर्ड के चेयरमेन को जोधपुर के कमिश्नर की पोस्ट पर कर दिया गया है। इस तरह का ट्रान्सफर मैं स्वयं न्यायोचित नहीं मानता। मैं यह समझता हूँ कि रेवेन्यु बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको एक जगह अपोइन्ट करने के बाद कन्टीन्युइटी ऑफ सर्विस होनी चाहिये, उनको यह मालूम होना चाहिये कि रेवेन्यु बोर्ड का सदस्य होने के बाद ट्रान्सफर होना सम्भव नहीं होगा, हाई कोर्ट के जजों की तरह होगा। उनके अपोइन्टमेन्ट में सिक्योरिटी होनी चाहिये चाहे वैसे वे हटाये नहीं जा सकें। उनको यह विश्वास होना चाहिये के मैं जिस पद पर हूं वहां से विना किसी गम्भीर कारण के कोई नहीं हटा सकेगा। इस प्रकार की बात होगी तो इससे जनता में विश्वास की मात्रा बढ़ेगी।

इसलिये मैं यह समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस छोटे से संशोधन को मन्जूर करके आम जनता को राहत पहूंचाने में सहायता प्रदान करेंगे।

श्री गोपीलाल यादव :—माननीय उपाध्यक्षजी, रेवेन्यू बोर्ड पर जो विचार हो रहा है वह वास्तव में बहुत महत्पपूर्ण है। मैं इस सम्बन्ध में ऐसी बात हाउस के सामने रखना चाहता हूँ कि रेवेन्यू बोर्ड की तरफ अभी तक कोई ध्यान यू० पी० या दूसरे सूबों में नहीं दिया गया। इसका क्या कारण है?

हाई कोर्ट को इन्डिपेन्डेन्ट बनाया हमारे कान्स्टीट्यूशन में और जजों का अपोइन्टमेन्ट भी अलग से रक्खा और उनका डिसमिसल तो नामुमकिन कर दिया; यह इसलिये किया कि वे सुरक्षित बन जावें। ऐसा होने पर वे निश्चित रूप से ईमानदार भी रहेंगे, बशर्ते कि उनको तनखा अच्छी दे दी जावे। ऐसा इसमें भी होना चाहिये। दो हजार के मामूली मामले को भी अकेला, एक सिंगल जज नहीं सुन सकता उसको भी दो जज सुनते हैं। यहां दो हजार रुपयों को भी इतनी अहमियत दी गई है, फिर क्या कारण है कि जमीन के मामलों में जो कि एक एक खेत दो हजार रुपयों से भी ज्यादा कीमत रखता है और जो किसी खानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी मिल्कियत है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका कारण जो मेरी समझ में आया वह एक है।

[श्री गोपीलाल यादव]

पहले ऐसे लॉज़ थे कि रेवेन्यू अदालत का फैसला फाइनल नहीं होता था, रेवेन्यू अदालत के फैसले के बाद हरेक आदमी का अधिकार था कि केस सिविल कोर्टस में जा सके और हाई कोर्ट तक पहुँच जांय। अब नई तब्दिलियां हो रही हैं। लॉज़ यहां तय किये जा रहे हैं। रेवेन्यू लॉज़ के अन्दर अब वह लिया जा रहा है कि छोटी २ बातों के सम्बन्ध में रेवेन्यू कोर्ट ही विचार कर सकेगी, दीवानी अदालत या हाई कोर्ट में नहीं जा सकती हैं। यह नई चीज पैदा हो रही है। इसके पैदा होने पर भी एक नई चीज़ उसमें दी गई है कि पहले प्रोपर्टी राइट्स के बारे में जो कुछ किसी को शिकायत होती तो वह हाई कोर्ट में जा सकता था; वह अब हम रेवेन्यु कोर्ट्स के अधिकार में दे रहे हैं। ऐसे प्रापर्टी राइट्स हम हाईकोर्ट में भेजते हैं तो ऐसी हालत में रेवेन्यु कोर्ट्स की इन्डिपेन्डेन्स ज्यादा नहीं हो तो हमारा नुकसान होने नहीं जा रहा है। लेकिन आज के युग की हालत बदल रही है। जिन टिनेन्सी राइट्स का हक आज संपति या प्रोपर्टी राइट्स के बराबर है पहले किसी काश्तकार के पास रहने दें या न रहने दें, इस बारे में किसी अफसर ने जोर से अन्याय कर लिया तो वह चीज खत्म हो गई लेकिन अब टेनेन्सी राइट्स उन प्रोपर्टी राइट्स के बराबर पहुँच गए हैं, उनके समतल हो गए हैं जिनको आज भी हाई कोर्ट में ले जाने का अधिकार दिया हुआ है। इसलिये मैं यह चीज हाउस के सामने रखते हुए माननीय मन्त्री महोदय के खास नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर रेवेन्यु बोर्ड को हाई कोर्ट के समकक्ष नहीं बना सके तो टिनेन्सी राइट्स प्रोपर्टी राइट्स के समान हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट्स को दे दिए जायं। आजकल टिनेन्सी राइट्स इतने अहम हैं जितने कि प्रोपर्टी राइट्स पहले थे। यदि यह ठीक नहीं बैठता है तो रेवेन्यु बोर्ड को इतना मजबूत, सुदृढ़ बनायें जितना कि हाई कोर्ट है। हाईकोर्टस् में यह है कि क्रिमिनल केसेज के अलावा बहुत से रुपये पैसे के सवाल, सिविल केसेज़ जाते हैं। क्रिमिनल केसेज़ में सजा के स्वरूप में दो-चार नुकसान उठाते हैं लेकिन अगर किसी की पैदा की जो जमीन है वह हमेशा के लिए उससे चली जाती है तो उसका खानदान का खानदान नष्ट हो जाता है। यह बड़ा भारी गलती होगी। हाई कोर्ट में जहां नीचे और ऊंचे दर्जे के जजेज़ रखे जाते हैं वहां एक स्पेशल अपील का प्रोविजन है। अपनी पहली अपील के बाद दूसरी अपील हाई कोर्ट में हो सकती है। दूसरी अपील एक सिंगल जज ने सुनी है तो आपको एक अधिकार और है। यदि आप सिंगल जज के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप उसके फैसले की स्पेशल अपील कर सकते हैं उसी हाई कोर्ट में जिसको कि दो जजेज़ सुनेंगे। लेकिन रेवेन्य बोर्ड में यह नहीं है कि किसी एक मामले में किसी रेवेन्यु बोर्ड के एक मेम्बर ने फैसला कर दिया है तो वह खत्म हो गया। वह रेवेन्यु बोर्ड के दो जजेज़ के पास नहीं ले जा सकता और हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकता। इसलिये हमें इसमें कई तब्दीलियां करने की जरूरत है। जो मामले सिंगल जज रेवेन्यु बोर्ड में सुने, उसमें भी यह अधिकार देना चाहिए कि स्पेशल अपील फुल बेंच में किसी खास कानूनी प्वाइन्ट पर अगर एक आदमी ले जाना चाहता है तो वह उचित है।

टिनेन्सी राइट्स और प्रोपर्टी राइट्स बराबर मान लिये जांय। रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स का एप्वॉइन्टमेंट उन्हीं लाइन्स पर हो जिन लाइन्स पर हाई कोर्ट के जजेज़ का होता है। तनख्वाह और

[श्री गोपीलाल यादव]

टेन्योर ऑफ सर्विस भी उतनी ही हो जितनी कि हाई कोर्ट के जजेज़ की होती है। यह मुमकिन हो सकता है कि तीन हजार के बजाय दो हजार रख दिये जांय। कोई बात नहीं, थोड़ी सी कम कर दी जाय। एक दफा रेवेन्यु बोर्ड में पहुंच गया तो या तो वह रिटायर हो तब तक वहां रहेगा या असेम्बली के अन्दर उसके चाल-चलन के खिलाफ प्रस्ताव आये और असेम्बली के मेम्बरों में से कम से कम २-३ उसके पक्ष में हों तो फिर उसको पास करके राजप्रमुख से प्रार्थना की जाय तब वह हटे, वर्ना जैसे कि हाई कोर्ट के जज को नहीं हटा सकते है वैसे ही रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स को भी हरगिज़ हटा नहीं सकते। उसको हटाने से बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। आपने अभी सुना होगा कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को एक जगह का गवर्नर बना दिया गया तो अखबारों में उसकी बड़ी चर्चा चली कि इसके मायने यह हैं कि रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट के जजेज़ को लालच दिया जा रहा है कि अगर वे गवर्नमेंट के पिट्ठू रहेंगे तो बाद में गवर्नर बना दिये जायेंगे, रिटायरमेंट के बाद कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट के जजेज़ को इतना इम्पार्श्यल बनाया जाय तो रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर से उसका कोई फर्क नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा यह सुझाव है कि पहले 'राजप्रमुख' था उसकी जगह 'गवर्नमेंट' कर दिया तो 'गवर्नमेंट' की जगह यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि 'राजप्रमुख, रखा जाय। राजप्रमुख एप्वाइन्ट करें, with the advice of the Chief Justice of Rajasthan; जिस तरह कि हाई कोर्ट के जजेज़ को प्रेसीडेन्ट एप्वॉइन्ट करता है with the advice of the Chief Justice of Supreme Court उसी तरह से रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स का एप्वॉइन्टमेंट भी राजप्रमुख के जरिये से हो। कहने का मतलब यह है कि रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स का एप्वॉइन्टमेंट राजप्रमुख के जरिये हो और वह चीफ जस्टिस की सलाह से हो। तो उससे वह करीब २ उतने ही इन्डिपेन्डेन्ट हो जाते हैं जितने कि हाई कोर्ट के जज।

इसके अलावा जुडीशिरी में मुन्सिफ से लेकर सेशन्स जजेज़ तक के अप्वाइन्टमेंट, ट्रान्सफर चीफ जस्टिस के सुपुर्द होता है। यहां रेवेन्यू बोर्ड के सुपुर्द अब भी है और आगे भी रहे। इससे रेवेन्यू बोर्ड इतना इन्डिपेन्डेन्ट हो जायगा कि नीचे की सर्विसेज़ जो हैं उन पर कोई गलत दबाव नहीं डाल सकेगा। वह भी यह महसूस करेंगे कि हाई कोर्ट के समकक्ष रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन हैं। वे यह सोचेंगे कि उनके राइट्स को सेफगार्डेड हैं और किसी आदमी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से रेवेन्यू बोर्ड को अगर मजबूत बना देगें तो बहुत कुछ फायदा होगा। अगर कुछ कन्सीडरेशन ऐसे हैं कि रेवेन्यू बोर्ड को आप गवर्नमेंट के नीचे रखते हैं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव सुझाव मेरा यह है कि टिनेन्सी राइट्स को रेवेन्यू बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से हटा कर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाय। रेवेन्यू बोर्ड के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भी बोलू आज ; वर्ना कल।

श्री उपाध्यक्ष—कितना बोलेंगे !

श्री वेदपाल त्यागी —मैं बोलूंगा १५—२० मिनट ।

कई माननीय सदस्य—तो कल पर रखियेगा ।

श्री वेदपाल त्यागी—Then I shall have the fisst preference on the next sitting.

श्री श्रीदास गोयल—On what day we will meet ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—लीडर ऑफ दी हाउस और हमने यह तय किया है, चार तारीख को तीन बजे यह सेशन होगा ।

श्री गोपीलाल यादव—चार बजे रखिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास—Let it be at four o-clock.

श्री उपाध्यक्ष—At four on the fourth. Now we adjourn today.

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२. ३० बजे मध्यान्होत्तर में, मंगलवार, दिनांक ४ अक्तूबर, १९५५, के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थागित हुई ।)

विधान सभाभवन, जयपुर, दि० २९ सितम्बर १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १३५ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	स्थान	नाम सहकारी समिति	संख्या
		कोआपरेटिव बैंक	
१	मालपुरा		२+१+१+१+१=६
२	गनवट		१
३	बेरोल		१
४	इडौली		१
५	रूपा हेली		१
६	केरिया		१
७	डेशमी		२
८	शाह		१
९	भान्डा		१
१०	चाद सैन		२
११	कलमन्डा		१
१२	महाराजपुरा		१
१३	मालूनी		१
१४	गोपालपुरा		१
१५	टोडा रायसिंह		१+१=२
१६	डूंगरी खर्द		१
१७	भावलपुर		१
१८	रामपुरा		१
१९	अम्बापुरा		१
२०	नमूकिया		१
२१	सकरपुरा		१
२२	रामेश्वरपुरा		१

क्रम संख्या	स्थान	नाम सहकारी समिति व संख्या
२३	दाथेडा	१
२४	खाती	१
२५	डातकी	१
२६	डिग्गी	१
७	नवाई	२+१+२=५
२२८	बनस्थली	१
२९	राजपुरा	१
३०	खेड़ेवत	१
३१	देवली	१+१
३२	अरनिया खिदार	१
३३	टोंक	१+१+२+५+२=११
३४	मंडावर	१
३५	बगर	२
३६	अलपा वाल	१
३७	कुना	१
३८	राजमहल	१
३९	दूनी	२
४०	जंकीपुरा	१
४१	टोडीं सउकर	१
४२	सोरमपुरा	२
४३	गरस	१
४४	लावा	२
४५	बादा ग्राम	१
४६	जूला	१
४७	छुछारपुरा	१
४८	बगदी	१
४९	सोनवा	१

क्रम संख्या	स्थान	नाम सहकारी समिति व संख्या
५०	आमली	१
५१	कन्डीला	१
५२	सांवरिया	१
५३	लालबाड़ी	१
५४	मूडिया	१
५५	जैसिंहपुरा	१
५६	बमहोरी	१
५७	प्रतापपुरा	१
५८	सोडा	१
५९	भगवानपुरा	१
६०	गांधीपुरा	१
६१	पचवर	२
६२	सीता रामपुरा	१
६३	मलूक नगर	१
६४	महरूम	१
६५	अजमेरी	१
६६	अवादा	१
६७	सोलगपुर	१
६८	ड़ापड़ा	१
६९	गिलोड़	१
७०	भवानीपुरा	१
७१	नागी	१
७२	पड़ली	१
७३	पीपलू	१
७४	पीमंग	१
७५	अखतरी	१
७६	कल्यानपुरा	१
७७	तीलाजू	१
७८	चैनपुरा	१+१=२
७९	नौहग	१

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १२३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING YEARWISE EXPENDITURE FOR SHOPS CONSTRUCTED FOR REFUGEES

S. No.	Name of District	Quantity of shops	Year	Amount	
1.	Jaipur	521 shops.	1950-51	62,156-15-3	
			1951-52	33,854-0-0	
			1952-53	3,49,545-0-0	
			1953-54	1,20,677-0-0	
			1954-55	42,642-6-0	
			1955-56	68,336-3-0	
					6,77,211-8-3
2.	Ganganagar	50 ,,	1953-54	51,970-0-0	51,970-0-0
3.	Bikaner City	37 ,,	1951-52	74-0-0	
			1952-53	8,023-0-0	
			1953-54	28,381-0-0	
			1954-55	4,169-14-0	
					40,647-14-0
4.	Jodhpur City	(a) 80 ,, (in Rameshwari Nehru Market)	1950-51	88,047-0-0	
		(b) 100 shops at other places	1951-52	74,163-5-6	
			1952-53	25,836-10-0	
					1,88,047-0-0
5.	Pali	60 shops	1951-52	43,200-0-0	43,200-0-0
6.	Kotah	106 ,,	1950-51	1.34,825-0-0	
7.	Ballabh Nagar	10 ,,	1953-54	8.909-10-0	
8.	Bhimgunj Mandi	80 ,,	1954-55	93,741-0-0	
					2,37,475-10-0
9.	Bundi	20 ,,	1952-53	19,000-0-0	19,000-0-0

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १५६ के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देखिये)

कार्यवाही

१. मामले की जांच की गई तो शिकायत गलत पाई गई फिर भी कन्डेक्टर को चेतावनी दी गई।

२. वर्कशॉप फोरमेन को कांच फिट करने का आदेश दिया गया और काच फिट करा दिया गया।

३. इस बारे में एप्लायर से लिखा पढ़ी की जा रही है और फोरमेन से भी इसे देखने को कहा गया है।

त्रुटि

१. यात्रियों ने कंडक्टर महमद हुसेन व भेरुसिंह के खिलाफ टिकट देने में रियायत करने की शिकायत की।

२. यात्रियों ने खिडकी में काच न होने की शिकायत की क्योंकि बरसात में काच न होने से पानी अन्दर आता था।

३. इन्सपेक्शन करते समय बस आर० जे० डब्ल्यु. १६ जिस पर कि रिकन्डीशान इंजिन अभी चार महीने पहले ही लगाया था और जो कि अभी ८२०० मील ही चली है, बुरी तरह धूंवा देती हुई पाई गई।

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १६० का उत्तर देखिये)

सन १९५४:५५ में बीज वितरण की तालिका ।

जिला	चावल	मक्का	जुआर	गेहूँ	जौ	आलू
	म० से० छ०	म० से०	म० से०	म० से० छ०	म० से०	मन
१. जोधपुर	०	१८ ५	०	२७८०	०	३०
२. पाली	०	६५	०	१००००	८५	१००
३. जालोर	०	०	०	१६६३		१४
४. नागोर	०	०	०	३०००	०	७०
५. सिरोही	१	७५	१०	१४००	१००	६०
६. जयपुर	०	०	०	५२११	०	३३८
७. सवाईमाधोपुर	२४ १०	०	०	२१२७	२०	१००
८. अलवर	०	०	३६८ २२	८५८	०	२१६
९. भरतपुर	०	०	०	५४८३	०	१२००
१०. टोंक	१०	२५	७३	८०९	०	७५
११. उदयपुर	११४	१२५	०	२०००	३४	२४०
१२. चितौड़गढ़	४	०	०	१०३४	०	१५
१३. भीलवाड़ा	०	०	०	७४०	०	५०
१४. बांसवाडा	०	०	०	५००	०	१००
१५. डूंगरपुर	९५	७१	०	२५०	०	२०
१६. श्री गंगानगर	०	०	०	७०६५ ६	२५	९०
१७. कोटा	३००	०	०	५०४५ १२	०	१००
१८. बूंदी	११७ १४	०	०	११००	०	२८
१९. झालावाड़	२०	०	०	१०००	०	१५०
	६८५-२४	३७६ - ५	४८१ – २२	५७६५ – २१	२६४	३१७६

परिशिष्ट ५

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्न काल में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१६१ (४१ । एच. एम,) श्री किशनलाल शाह, एम. एल.ए. डिवीजन नम्बर ७८:—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या नावां तहसील के पुलिस थानों के पुनर्गठन की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक पुनर्गठन हो जावेगा?

उत्तर

क. आपने सन् १९५४ में ऐसा एक सुझाव हमारे पास भेजा था। इस पर सम्बन्धित अधिकारियों की राय मांगी गई है। जो महकमें पुलिस से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

ख. यह अभी नहीं कह सकता ।

प्रश्न

१६२ (९ । एफ. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ८७:—क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) प्रिन्सिपल, एकाउन्ट्स ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर की नियुक्ति कब की गई ?

(ख) उक्त प्रिन्सिपल को प्रतिमास कितना वेतन दिया जाता है ?

(ग) उक्त प्रिन्सिपल के पास किन किन व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा ट्रेनिंग के लिये भेजा गया है ?

(घ) ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जो पी. एस. सी. द्वारा असफल घोषित किये गये और इस ट्रेनिंग में भेजे गये है !

(ङ) ऐसे कौन कौन व्यक्ति है जिन्होंने पी. एस. सी. के कम्पीटिटिव एग्ज़ामिनेशन में हिस्सा नहीं लिया और उन्हें इस ट्रेनिंग में भेजा गया है !

Page No.100

उत्तर

क. प्रिन्सिपल अकाउन्ट्स ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर की नियुक्ति १८ फरवरी, १९५५ से की गई।

ख. केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली पेन्शन के अतिरिक्त ६१६) रुपये मासिक वेतन दिया जाता है।

ग. प्रारम्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चुने हुए २१ परिवाधीन सेवा पालों (prob accountants)को, तत्पश्चात् ६ कोषागार लेखापालों का प्रशिक्षण दिया गया।

वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना के लिये भर्ती किये गये १५ परिविभाजन लेखा लिपिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(घ) सूची मेज पर रख दी गई है ?

(ङ) सर्व श्री हनुमान प्रसाद व परमानन्द क्रमशः कोषागार लेखापाल, जयपुर व पाली ने कम्पीटिटिव परीक्षा में भाग नहीं लिया था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रश्न

१६३ (२४ । ए. टी. एम.) श्री किशनलाल शाह, एम. एल. ए, डिवीजन नम्बर ७८:— क्या सिचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के पास मारोठ (तहसील नावां) में कोई बांध बांधने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या विचार किया जा रहा है ?

उत्तर

(क) मारोठ के पास एक पुराना तालाब है जो कि नीची जगह में पहाडियों से घिरा हुआ है और यह सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं दीखता। फिल हाल इस पर कोई योजना नहीं है लेकिन इसकी जांच पड़ताल कर दी जावेगी।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

प्रश्न

164 (39 R. M.) Shri H. K. Vyas M. L. A., (Division No. 160): Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) Is the Government aware that the Bund in village Deevali in Tehsil Laxmangarh has been broken and lying unrepaired for the last so many years ?

(b) Is the Govrnment aware that despite this, recovery of irrigation charges (DHAHARI) is being made form the kisans ?

(c) Will the Government take steps to set this irregularity right ?

उत्तर

क. हां ।

ख. यह बांध सिंचाई विभाग की लिस्ट पर नहीं है और न ही सिंचाई विभाग इस बांध की जमीन से दहडी या और कोई टेक्स वसूल करता है ।

ग. इस विषय को राजस्व विभाग की जानकारी के लिये भेज दिया गया है, जो उस पर उचित कार्यवाही करेंगे ।

परिशिष्ट ६

(१५। एफ. एम.) **श्री चांदमल मेहता विभाजन संख्या ८७:**--क्या वन मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क. राजस्थान के निर्माण के बाद किस २ वर्ष में वन विभाग द्वारा कितने २ एकड भूमि में पेड़ काटने के ठेके दिये गये ?

ख. उक्त ठेकों से सरकार को कितनी २ आमदनी हुई ?

ग. जिन वनों में से पेड़ काटे जा चुके है उन वनों में किन २ में कितने २ नये पेड राजस्थान के निर्माण के बाद लगाये जा चुके हैं ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

२. (५। एस. आर. एम.) **श्री चांदमल मेहता, विभाजन संख्या ८७** :–क्या पृथक राजस्वमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

क. कस्टम्स डिपार्टमेंट के कितने कर्मचारियों को किस आधार पर रिटायर किया गया है ?

ख. ऐसे कौन २ कर्मचारी है जो कस्टम्स के महकमें के टूट जाने की वजह से राज्य सरकार की सेवाओं से मुक्त किये जा चुके हैं ?

ग. कस्टम डिपार्टमेंट के कितने कर्मचारियों को सेल्स टैक्स या अन्य डिपार्टमेंट में काम पर लगाया जा चुका है ?

घ. कितने कर्मचारी अभी तक सरप्लस में हैं ?

ड. उक्त कर्मचारियों के नाम व योग्यताएं क्या २ हैं, और उनकी कितने २ वर्षों की सर्विस है ?

उत्तर

१. कस्टम डिपार्टमेंन्ट के ४५० कर्मचारियों को रिटायर किया गया है। रिटायर किये जाने के आधार निम्न हैं :

१. स्थाई कर्मचारी जो लगातार ३० वर्ष तक की राज्य सेवा कर चुके थे	६६
२. स्थाई कर्मचारी जो २५ वर्ष की स्थाई राज्य सेवा और ५० वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे	१७४
३. स्थाई कर्मचारी जो ५५ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे।	४
४, स्थाई कर्मचारी जिनकी स्वयं की प्रार्थना पर उन्हें रिटायर किया गया	२०६
कुल जोड़	४५०

इसके अतिरिक्त ५०४ अस्थाई व्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक (Surplus) होने के कारण सेवा से पृथक किया गया है।

२. राज्य सरकार ने प्रश्न १ के उत्तर में इंगित श्रेणियों के अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी को सेवा से मुक्त नही किया है।

३. कस्टम डिपार्टमेंन्ट के २०८५ कर्मचारियों को सेल्स टैक्स या अन्य डिपार्टमैन्ट में काम पर लगाया जा चुका हैं।

४. अब कोई कर्मचारी सरप्लस नहीं है।

५. प्रश्न नं० ४ का उत्तर नकारात्मक होने से इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न

३. (डी. एम. आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, विभाजन संख्या ८७ :–क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

क. सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में कस्टम्स विभाग के कितने कर्मचारियों को काम दिलाया गया ?

ख. उक्त डिपार्टमेंट में कितने नये कर्मचारी नौकर रखे गये ?

ग. नये नौकर रखे गये कर्मचारियों के नाम व योग्यताएं क्या २ है ?

घ. नये कर्मचारियों का सिलेक्शन किन अधिकारियों द्वारा किया गया ?

ङ. किशनगढ़ सब डिविजन में किन २ नये कर्मचारियों को उक्त विभाग में किस २ काम पर नौकर रखा गया है ?

उत्तर

१. कस्टम के जो कर्मचारी केवल कस्टम का ही काम करते थे जैसे नाकेदार, मोहर्रिर उनमें से किसी व्यक्ति को सेल्सटेक्स डिपार्टमेंट में काम नहीं दिलाया गया क्योंकि डिपार्टमेंट के नये सेट अप में नाकेदार व मोहर्रिर के लिये कोई स्थान नहीं था और पहले कस्टम व एक्साइज़ तथा सेल्सटेक्स विभाग के मिनिस्ट्रीयल श्रेणी के कर्मचारियों को एक्साइज़ व सेल्सटेक्स विभाग की नई स्ट्रेन्थ के माफिक एडजस्ट किया गया। जहां तक गार्डों का प्रश्न है ३५ सेल्सटेक्स इन्सपेक्टरों के पास लगाये गये हैं और ७४ सेल्सटेक्स के दफ्तरों में लगाये गये हैं।

२. सेल्स टेक्स डिपार्टमेंट में केवल एक नया कर्मचारी, टाइपिस्ट, जो कमिश्नर जयपुर डिविजन से अप्राप्य प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अस्थाई नियुक्त किया गया है।

३. उक्त नये कर्मचारी का नाम श्री रामेश्वर दयाल है और वह मैट्रिक उतीर्ण है।

४. उक्त कर्मचारी का सिलेक्शन कमिश्नर एक्साइज़ व कर विभाग द्वारा किया गया है।

५. किशनगढ़ सब डिविजन में उक्त विभाग में कोई नये कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये हैं।

प्रश्न

४. (८ एफ.एम.) श्री चांदमल मेहता विभाजन संख्या ८७-क्या वित्त मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

क. अकाउन्टेन्ट केडर के लिये पी. एस. सी. द्वारा क्या २ योग्यतायें निर्धारित की गई ?

ख. कुल कितने उम्मीदवार पी. एस. सी. द्वारा सफल घोषित किये गये ?

ग. उक्त उम्मीदवारों में राज्य कर्मचारी कौन २ है और उनका मेरिट के हिसाब से कौन २ सा नम्बर है ?

घ. अब तक किन २ कर्मचारियों का एकाउन्टेन्ट केडर में पोस्टिंग किया जा चुका है ? उनका पी. एस. सी के सिलेक्शन में कौन २ सा स्थान है ?

ङ. डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिये किन २ व्यक्तियों को पी. एस. सी. द्वारा सफल घोषित किया गया है ?

च. उक्त व्यक्तियों में किन २ का पोस्टिंग किया जा चुका है ?

उत्तर

(क) निम्नलिखित योग्यतायें निर्धारित की गई जिन्होंने दो वर्ष तक अकाउन्टेन्ट का कार्य हो या दो वर्ष से कर रहे हों तथा उनके पर्यवेक्षण में कम से कम उक्त समय में तीन लिपिकों ने काम किया हो।

अथवा

१. जो राजस्थान में बिलीन हुई इकाइयों में ग्रेजुएट होते हुए मौलिक रूप से नियुक्त रहे हों।

(ख) १२९

(ग) सभी राज्य कर्मचारी हैं। उनके नामों व मेरिट लिस्ट में स्थान की सूची मेज पर रख दी गई है।

(घ) सूची मेज पर रख दी गई है।

(ङ) सूची मेज पर रख दी गई है।

(च) सभी व्यक्तियों का पोस्टिंग किया जा चुका है।

सूचियें

List of the successful candidates who were appointed

substantive Accounts

S. No.	Name	Merit No.
1.	Shri Babu Lal Gupta	12
2.	,, Bhoray Lal	110
3.	,, Hari Prasad	19
4.	,, Khem Chand Sharma	1
5.	,, Mohan Lal Kochar	55
6.	,, Murli Lal	112
7.	,, Nahar Singh	115
8.	,, Prahlad Kishan	24
9.	,, Prem Raj	89
10.	,, Ram Baboo Jain	17
11.	,, Ram Krishna Sharma	122
12.	,, Rishabh Lal Jain	63
13.	,, Roop Shanker Kanjolia	22
14.	,, Sampat Raj Gamawat	2
15.	,, Shree Lal Nagori	98
16.	,, Surya Narain	4
17.	,, Tej Raj Bhanetia	29

LIST OF CANDIDATES REJECTED FOR RAJASTHAN

ACCOUNT SERVIC AND

Confirmed in Accountants Cadre

1. Shri Bhargava T. N.
2. ,, Fateh Lal Gupta
3. ,, Kesri Singh Darda
4. ,, Mohan Lal Sharma
5. ,, Narsinghpura K. L.
6. ,, Shri Nath
7. ,, Sunehri Lal
8. ,, Vyas M. M.

५. (४। सी एम.) श्री **जवानसिंह विभाजन संख्या ६६** : –क्या वित्त मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

क. सिरोही जिले के सन् १९५४ के पूर्व के ऐसे कितने सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनके पेन्शन केस अभी तक फाइनल न होने से उन्हे पेन्शन नहीं दी जा रही हैं ?

ख. उपरोक्त अफसरों को अभी तक पेन्शन न मिलने के क्या कारण है ?

ग. साधारणतया एक सरकारी अफसर के रिटायर्ड होने की तारीख से कितने समय में पेन्शन मिल जाया करती है ?

घ. सन् १९५३ से पहिले के कितने पेन्शन केस सरकार के विचाराधीन है और इस लम्बे अर्से की देरी के क्या कारण है।

उत्तर

क. यह प्रश्न गत सेशन विधान सभा में भी रखा गया था। उस समय सन् १९५४ के पूर्व के सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या ३९ बतलाई गई थी, उसके बाद २० ऐसे और कर्मचारियों की संख्या प्राप्त हो गई है। इस तरह कुल संख्या ५९ में से ४१ कर्मचारियों के मामले अन्तिम परिणाम पर पहुँच चुके हैं जिनमें से ३० को पेन्शन दी जा रही है और ११ की पेन्शन की स्वीकृति अकाउन्टैन्ट जनरल के यहां पहुँच चुकी है। अकाउन्टैन्ट जनरल के यहां से पेन्शन पेमेन्ट आॅर्डर जारी होने पर शीघ्र ही पेमेन्ट मिलने लग जावेगी। शेष १४ कर्मचारियों के मामलों में से एक को एन्टीसीपेट्री पेन्शन भी मिल रही है। आशा की जाती है कि कुल शेष १४ कर्मचारियों के मामले भी शीघ्र ही निपटा दिए जावेंगे।

ख. सम्बन्धित कागज़ात का एक स्थान पर प्राप्त न होना, अन्य स्थानों से सूचनायें प्राप्त करना, सर्विस रेकार्ड का अधूरा होना, पेन्शन का नियमित समय पर प्रार्थना पत्र पेश न करना व सेवाकाल का प्रमाणित न होना है।

ग. नियमानुसार पेन्शनर को रिटायर होने की तारीख की बाद जिस दिन से उसको पेन्शन मिलना वाजिब होता है पेन्शन मिल जानी चाहिए, लेकिन (ख) में लिखे कारणों से विलम्ब हो जाया करती है, जिसके लिये सरकार ने कोलेटरल एवीडेन्स व एफीडेविट्स (Collateral Evidence & Affidavits) इत्यादि लिये जाने की व अन्य दीगर रियायतों की आज्ञाएं जारी कर दी हैं और जल्दी से जल्दी पेन्शन के मामलात के निपटारे के लिए एक योग्य तजुर्बेकार व्यक्ति को सरकार की ओर के व अकाउन्टैन्ट जनरल के अख्त्यारात दिए जाकर नियुक्त कर दिया है। सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा के लिये एक वर्ष पूर्व पेन्शन का प्रार्थना पत्र रिटायर होने के समय से पेश किये जाने के लिये आज्ञा भी दे दी है और एन्टीसीपेट्री पेन्शन दे दिये जाने का नियम भी है जिससे कि कर्मचारियों को असुविधा न हो और अफसरान महकमात को भी हिदायत कर दी है कि ज्योंही उनको किसी के १२ मास में रिटायर होने की बाबत मालूम हो वैसे ही बिना इन्तजार प्रार्थना पत्र पेन्शनर पेश होने की तैयारी, कागजात पेन्शन व उनकी जांच नियमानुसार शुरु करादें।

घ. सन् १९५३ से पहले के २७ मामले हैं जिनमें से १० पेन्शनों की स्वीकृति अकाउंटैंट जनरल के यहां पहुँच चुकी है, अकाउंटैंट जनरल के यहां से पेन्शन आॅर्डर जारी होने पर शीघ्र ही पेंशन मिलने लग जावेगी। शेष प्रश्न का उत्तर (ख) में दिया जा चुका है।